लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खंड ३, १९५५

(२० अप्रैल से ७ मई, १९५५)

1st Lok Sabha

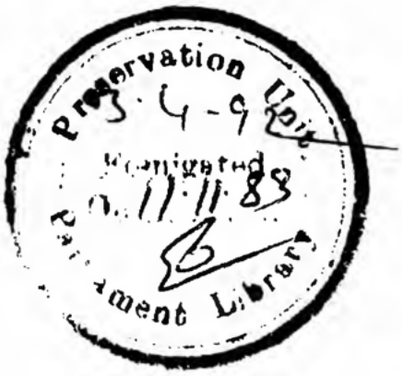

नवम् सत्र, १९५५

(खण्ड ३ में अंक ४१ से ५२ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

(खंड ३, अंक ४१ से ५२—२० अप्रैल से ७ मई, १९५५)

अंक ४१—बुधवार २० अप्रैल, १९५५

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३९९, २४०१, २४०३, २४०५, २४०९, २४११, २४१४ से २४१९, २४२१ से २४२३, २४२६, २४२७, २४२९ से २४३६, २४३९, २४४०, २४४२, २४४३, २४००, २४०४, २४०६ और २४१३ . . . . . २९७३—३०१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४०७, २४०८, २४१२, २४२०, २४२४, २४२५, २४२८, २४३७ और २४४१ . . . . ३०१५—१९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९०९ से ९११, ९१३ से ९४५ और ९४७ . ३०१९—४२

अंक ४२—शुक्रवार, २२ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २४७७ से २४८३, २४८६ से २४८८, २४९०, २४९१, २४९३ से २४९५, २४९८, २५०१, २५०२, २५०४ से २५०६, २५०८ से २५१०, २५१२, २५१६ और २५१७ . . . ३०४३—७९

अल्पसूचना प्रश्न संख्या ९ . . . . . ३०८०—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४४४ से २४७६, २४८४, २४८५, २४८९, २४९२, २४९९, २५००, २५०३, २५०७, २५११, २५१३ से २५१५, २५१८ और २५१९ . . . . . ३०८७—३१११

अतारांकित प्रश्न संख्या ९४८ से ९८३, ९८५ से ९९१ और ९९३ . ३१११—३१४०

अंक ४३—सोमवार, २५ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २५२१, २५२४ से २५२६, २५४०, २५४२, २५४४ से २५४७, २५५०, २५५२, २५५५ से २५५७, २५५९, २५६२ से २५६४, २५४१ और २५३८ . . . . . ३१४१—६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या २५२०, २५२२, २५२३, २५२७ से २५३७, २५३९, २५४३, २५४८, २५४९, २५५१, २५५३, २५५४, २५६० और २५६१ ३१६५---३१७७

अतारांकित प्रश्न संख्या ९९४ से १०१९ और १०२१ से १०४३ . ३१७८---३२०८

अंक ४४---मंगलवार, २६ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या २५६५ से २५६८, २५७०, २५७३, २५७४, २५७७, २५७९, २५८०, २५८२, २५८४, २५८५, २५८७, २५८८, २५९० से २५९७, २५९९, २६०२, २६०३, २५७८ तथा २५६९ . ३२०९---३२४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या २५७१, २५७२, २५७५, २५७६, २५८१, २५८३, २५८९, २५९८, २६००, २६०१, २६०४ . . . ३२४७---३२५२

अतारांकित प्रश्न संख्या १०४४ से १०५७, तथा १०५९---१०७० . ३२५२---६८

अंक ४५---बुधवार, २७ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या २६०५, २६०७, २६०८, २६१० से २६१८, २६२० से २६२२, २६२४, २६२५, २६३०, २६३२ से २६३४, २६३८, २६४०, २६४२, २६४५ से २६४९, २६५१, २६५६, २६५६-क, २६०६, २६२८ और २६५३ . . . . ३२६९---३३१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या २६०९, २६१९, २६२३, २६२७, २६२९, २६३१, २६३६, २६३७, २६३९, २६४१, २६४३, २६४४, २६५०, २६५२, २६५४, २६५५ और २६५७ . . . . ३३१२---३३१९

अतारांकित प्रश्न संख्या १०७१ से ११०४, ११०४-क और ११०४-ख ३३१९---३३४०

अंक ४६—गुरुवार, २८ अप्रैल, १९५५

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६५८ से २६६२, २६६४, २६६७, २६७० से २६७२, २६७४ से २६७७, २६७९, २६८२ से २६८४, २६८६, २६८७, २६८९, २६९०, २६९०—क, २६९१, २६९२, २६९३—क, २६९४, २६९६, २६९८, २६९३, २६९६, २६८५, और २६९९ ३३४१—३३८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६६५, २६६८, २६७३, २६७८, २६८०, २६८१, २६८८, २६९३, २६९५, २६९७ और २६९९ ३३८८—३३९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ११०५ से १११८, ११२० से ११२७, ११२९ से ११५३ और ११५३—क. ३३९३—३४२६

अंक ४७—शुक्रवार, २९ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७००, २७०१, २७०३, २७०६, २७१२, २७१३, २७१५, २७१८, २७२२ से २७२५, २७०९ और २७१० ३४२७—३४४५

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि— ३४४५-३४४६

तारांकित प्रश्न संख्या २७११ ३४४६-३४४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७०२, २७०४, २७०५, २७०७, २७०८, २७१४, २७२०, २७२१ और २७२६ ३४४७—३४५१

अतारांकित प्रश्न संख्या ११५४ से ११६०, ११६१ से ११८७ ३४५१—३४७०

अंक ४८—सोमवार, २ मई, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १० ३४७१—३४७४

अंक ४९—मंगलवार, ३ मई, १९५५

	स्तम्भ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २७२८, २७२९, २७३१ और २७३२	३४७५-३४८१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २७२७ और २७३०	३४८१-३४८३
अतारांकित प्रश्न संख्या ११८८ से ११९४	३४८३-३४८८

अंक ५०—बुधवार, ४ मई, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ और १२	३४८९-३४९४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३	३४९४-३४९६

अंक ५१— गुरुवार, ५ मई, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	३४९७
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १४ और १५	३४९७-३५०६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६	३५०६

अंक ५२—शनिवार, ७ मई, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १७ और १८	३५०७-३५१२
अनुक्रमणिका	१-८९

लोक-सभा

गुरूवार २८ अप्रैल, १९५५

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

चीनी

*२६५८. **श्री सारंगधर दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे, जिस में यह बताया गया हो कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५३-५४ के चीनी के उत्पादन के मुकाबले में १९५४-५५ में उस का उत्पादन ४० प्रतिशत अधिक होगा ;

(ख) क्या चालू ऋतु में चीनी के कारखानों से माल कम उठा है और यदि हां तो कितना कम उठा है ;

(ग) ३१ मार्च १९५५ को कारखानों और सरकार के पास चीनी का कुल कितना स्कन्ध था ;

(घ) सरकार ने विदेशों में कुल कितनी मात्रा में चीनी खरीद ली है, जो कि अभी भारत में नहीं पहुंची है ; और

(ङ) १९५५-५६ में सरकार कितनी मात्रा में चीनी खरीदने का विचार करती है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (ङ). मांगी गई सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ४९]**

श्री एस० एन० दास : जितने एकड़ भूमि में गन्ने की काश्त होती है, क्या उस में कुछ वृद्धि हुई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं गर्व से यह बात कहता हूं कि गत वर्ष एकड़ भूमि में बिना कोई वृद्धि किये हुए ही हम गत वर्ष के १० लाख टन के उत्पादन के मुकाबले में इस वर्ष १५ लाख टन से भी अधिक चीनी का उत्पादन कर सकेंगे ।

श्री एस० एन० दास : चीनी के उत्पादन की वृद्धि को देखते हुए क्या सरकार चीनी का आयात रोकने का विचार करती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हां, श्रीमान् । केवल उन मामलों को छोड़ कर जहां कि हम वचन दे चुके हैं; हम चीनी का आयात नहीं करना चाहते हैं ।

श्री सारंगधर दास : यदि सरकार की यह धारणा है कि लगभग सारे गत वर्ष प्रति शीर्ष दानेदार चीनी का उपयोग बढ़ा है, तो फिर इस का क्या कारण है कि कारखानों से गत वर्ष के मुकाबले में माल कहीं कम उठा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : चीनी के मामले में बड़ी गड़बड़ चलती है, क्योंकि गुड़ और चीनी के भावों के अन्तर के साथ ही साथ दोनों चीजों के उपभोग में भी अन्तर आता रहता है । अतः चीनी के उपभोग के सम्बन्ध में मुझे जो आंकड़े मिलते हैं, मैं उन पर विश्वास नहीं करता । आंकड़ों के एकत्र

करने में बहुत सी कठिनाइयां तथा गड़बड़ें हैं ।

श्री नेवटिया : क्या सरकार आयातित चीनी के भेजन में देरी करने तथा उस को न भेजने के लिये सहमत होगी, ताकि चीनी के मूल्य उचित स्तर पर कायम किये जा सकें ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम इसको यथासंभव करने को तैयार हैं ।

१२-चैनल कैरियर प्रणाली

*२६५९. **श्री एस० एन० दास** : क्या **संचार** मंत्री २ दिसम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ६८४ के उत्तर के सम्बन्ध में सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे, जिस में यह बताया गया हो कि :

(क) स्वयंचालित टेलीफोन तथा विद्युत् समवाय लिमिटेड के पास अभी तक १२-चैनल कैरियर प्रणाली के लिये कितने आदेश भेजे गये हैं ;

(ख) ऐसे भारतीयों की संख्या कितनी है, जो इंगलैंड में इस सार्थ के कारखानों तथा प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण के लिये भेजे गये हैं ;

(ग) क्या इस समवाय द्वारा निर्माण तथा इंजीनियरिंग सम्बन्धी सारी सूचना देने के लिये प्रबन्ध कर लिये गय हैं ; और

(घ) भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड के अपने विभाग में १२-चैनल कैरियर उपकरण विभाग के विकास के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हो चुकी है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ५०**]

(ख) २ ।

(ग) जी हां

(घ) भवन तैयार हो रहा है, मशीनरी के लिये आदेश दिया गया है और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ।

श्री एस० एन० दास : वह समय-सीमा क्या है जिस के भीतर दिये गये आर्डर पूरे किये जाने को हैं ?

श्री राज बहादुर : मार्च, १९५६ तक । १९५४ में जो आर्डर दिये गये थे उन के पूरे किये जाने की आशा की जाती है ।

श्री एस० एन० दास : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर से यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि केवल दो व्यक्तियों को ही क्यों भेजा गया है ? उन से वहां कौन सा विषय सीखने के लिये कहा गया है ?

श्री राज बहादुर : उद्देश्य १२-चैनल कैरियर इंस्ट्रूमेंट के निर्माण के लिये प्रशिक्षण प्राप्त करना है जिस में विद्युत् और परीक्षण सम्बन्धी प्रशिक्षण भी सम्मिलित है । अब तक केवल दो व्यक्ति भेज गये हैं चार और व्यक्ति कुछ समय बाद भेजे जायेंगे । निर्माण कार्यक्रम सम्बन्धी कुछ अन्य विस्तारों का निबटारा करने के लिये अन्य दो यांत्रिक दो महीने की अवधि के लिये भेजे जायेंगे ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि इस के पूर्व कि आई० टी० आई० ये १२-चैनल कैरियर उपकरण का निर्माण करने की स्थिति में हो, क्या इस कार्य के लिये अपेक्षित व्यक्ति उपलब्ध होंगे ?

श्री राज बहादुर : ए० टी० एंड ई० के परामर्श से बनाये गये कार्यक्रम में उस की कल्पना की गई है ।

दूसरी पंच वर्षीय योजना

*२६६०. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **संचार** मंत्री २० दिसम्बर, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १४०४ के उत्तर के

सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उस के बाद से डाक व तार विभाग के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना के बनाने में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : सुझावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस सम्बन्ध में सब सर्किलों से सम्मतियां मांगी गई हैं और क्या इस सम्बन्ध में पोस्ट मास्टर जनरलों से कहा गया है कि अपनी सम्मति भेजने से पहले रीजनल एडवाइजरी कमेटियों से भी परामर्श कर लिया जाये ?

श्री राज बहादुर : विभिन्न विभागीय कर्मचारियों से अवश्य परामर्श किया जायगा और जनता के प्रतिनिधियों और पी० एंड टी० एडवाइजरी कमेटीज से भी विचार विमर्श किया जायगा ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि कुछ महीने पहिले भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल श्री जेरथ ने एक प्रैस कांफरेंस में यह वक्तव्य दिया था कि दो हजार की आबादी के बदले एक हजार की आबदी के लिये एक डाक-घर खोला जायगा ? अगर यह सत्य है तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राज बहादुर : इस सदन में इस मुद्दे पर एक निश्चित प्रश्न किया गया था और मैं ने उस का उत्तर दिया था कि उनके ये विचार उस समय के थे जब कि वह रिटायर हुए थे और मैं समझता हूं कि वह अपने शब्दों में सोच रहे थे। यह नहीं कहा जा सकता है कि इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कोई निश्चय कर लिया गया है।

श्री भक्त दर्शन : अगर वह वक्तव्य अधिकृत नहीं था और विभाग से उस का कोई सम्बन्ध नहीं था तो उस का प्रतिवाद क्यों नहीं किया गया ?

श्री राज बहादुर : उस का प्रतिवाद कहिये या उस विषय में एक स्पष्टीकरण कहिये, वह तो इस सभा में किया जा चुका है। यही सब से अच्छा माध्यम है, जिस के द्वारा किसी भी मुद्दे के ऊपर सही बात कही जा सकती है ।

रेलवे के क्वार्टर्स

*२६६१. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में रेलवे कर्मचारियों के लिये कुल कितने क्वार्टर्स बनाये गये; और

(ख) उन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाह नवाज खां) : (क) क्वार्टरों का अभिलेख वित्तीय वर्षों के अनुसार रखा जाता है पत्री वर्ष के अनुसार नहीं। १९५४–५५ में रेलवे कर्मचारियों के लिये कुल १०,४०७ क्वार्टरों के बन कर पूरा हो जाने की आशा है ।

(ख) लगभग ४६२.८८ लाख रुपये।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि रेलवे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और अब तक कुल कितने कर्मचारियों को क्वार्टर दिये गये हैं ?

श्री शाह नवाज खां : रेलवे में नियुक्त कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग १० लाख है । सितम्बर, १९५४ में केवल लगभग चार लाख कर्मचारियों को रेलवे द्वारा निर्मित क्वार्टरों में आवास दिया गया था ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या सरकार ने कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों की आवश्यकता का अनुमान लगाया है और कितने वर्षों में वह निर्माण कार्य को पूरा करेगी ?

श्री शानवाज़ खां : हम रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने पर करीब पांच करोड़ रुपये सालाना खर्च कर रहे हैं। रेलवे के पास निधि की बहुत कमी है क्यों कि उसे क्वार्टर बनाने के अलावा और भी बहुत सी चीजें करनी होती हैं । इन सब बातों के साथ साथ, जल्दी से क्वार्टर बनाने के आड़े आने वाली मुख्य कठिनाइयों में एक कठिनाई सीमेंट और इस्पात की कमी है । फिर भी, क्वार्टरों के उपबन्ध की अतीव आवश्यकता के बारे में रेलवे पूर्णरूप से जागरूक है और जो भी कुछ संभव है, हम कर रहे हैं ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्वार्टर के लिये कोई किराया लिया जाता है ?

श्री शाह नवाज़ खां : श्रेणी ४ के कर्मचारियों को छोड़ कर सभी रेलवे कर्मचारियों से किराया लिया जाता है । जिन रेलवे कर्मचारियों को रेलवे क्वार्टर नहीं दिये गये हैं, उन्हें आवास भत्ता दिया जाता है ।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि रेलवे कर्मचारियों को क्वार्टर आवंटित करने के लिये एक आवश्यक सूची रखी जाती है, और यदि हां, तो क्या अभी हाल में कोई परिवर्त्तन किये गये हैं और क्या आवश्यक सूची में रखे गये कुछ कर्मचारियों के नाम निकाल दिये गय हैं ? यदि हां, तो क्या उस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

श्री शाह नवाज़ खां : रेलवे जिस नीति का अनुसरण कर रही है उस के अनुसार जहां तक क्वार्टरों के उपबन्ध का सम्बन्ध है आवश्यक कर्मचारियों को पूववर्त्तिता दी जाती है। आवश्यक कर्मचारी के कर्मचारी हैं जिन्हें अपने कार्य-स्थान के निकट रहना पड़ता है क्योंकि उन को किसी भी क्षण बुलाया जा सकता है ।

मोकामा घाट पर पुल

*२६६२. **श्री विभूति मिश्र :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मोकामा घाट पर पुल के बन जाने की कब तक संभावना है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाह नवाज़ खां) : अनुमान किया जाता है कि यह पुल दिसम्बर, १९५९ तक बन कर तैयार हो जायेगा ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या रेलवे लाइन के अलावा इस पुल पर रोड़ ट्रैफिक का भी इंतजाम किया जा रहा है ?

श्री शाह नवाज़ खां : वह एक सड़क-रेल पुल बनने जा रहा है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही है कि सरकार मोकामा स्टेशन से इस पुल से होते हुए मुजफ्फरपुर तक रेलवे लाइन बनाने का विचार कर रही है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : जी नहीं, ऐसा विचार नहीं है ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्

*२६६४. **श्री डाभी :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि जनवरी, १९५५ में त्रिवेन्द्रम् में हुई एक बैठक में केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने सरकार से यह सिफारिश की है कि औषधि निर्माण के नियंत्रण के प्राधिकार को केन्द्र में निहित करने के लिये औषधि अधिनियम को समुचित रूप संशोधित किया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) हां ।

(ख) सिफारिश विचाराधीन है ।

श्री डाभी : क्या मैं जान सकता हूं कि परिषद् ने सरकार से ऐसी सिफारिशें किस कारण की हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : इस का कारण यह था कि भेषजीय जांच समिति ने इस की सिफारिश की थी और इसी कारण यह निर्णय किया गया है ।

सुपारी

*२६६७. **श्री वोडयार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सुपारी के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये अब तक क्या कार्यावाहियां की गयी हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : दोनों प्रकार की अर्थात् गहन और विस्तृत कृषि के द्वारा सुपारी का उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं । सुपारी के पौधे के फलने में ८ से १० वर्ष तक लगते हैं और यह संभव नहीं है कि १९६६–६७ के पूर्व अर्थात् तृतीय पंच वर्षीय योजना के समाप्त होने से सुपारी के विषय में भारत आत्मनिर्भर हो सकेगा । फिर भी मैं यह बता सकता हूं कि ये अनुदार गणनायें हैं और विकास की गहन साधारणज्ञान पद्धति से हम संभवतः इस लक्ष्य तक इस से पहले पहुंच जायेंगे ।

श्री वोडयार : इस देश में कुल कितने एकड़ भूमि में सुपारी की खेती की जाती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मझे खेद है कि यहां मेरे पास आंकड़ नहीं हैं ।

श्री ए० एम० थामस : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या गहन और विस्तृत दोनों प्रकार की कृषि के विस्तार सम्बन्धी कोई योजनायें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये केन्द्रीय सुपारी सिमिति से प्राप्त हुई हैं और क्या सरकार ने उस विषय में कोई निर्णय किया है और समिति द्वारा प्रस्तुत योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च किये जाने का अनुमान है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे खेद है कि खर्च की जाने वाली धनराशि के आंकड़े मेरे पास नही हैं। किन्तु उन सभी योजनाओं को जो प्राप्त हुई थीं, अंतिम रूप दे दिया गया है ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने पश्चिमी बंगाल में नर्सरियों की संख्या बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाहियां की है जिस से कि उस क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि हो ?

डा० पी० एस० देशमुख : हमारी योजनाओं में यह भी एक योजना है । आसाम, पश्चिमी बंगाल और मलाबार में भी सुपारी की नर्सरियों की योजना बनाई गयी है ।

रेलवे डाक सेवा

*२६७०. **श्री गिडवानी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली-अहमदाबाद लाईन पर रेलवे डाक सेवा के कितने डिब्बे काम में लाये जाते हैं ;

(ख) क्या ये डिब्ब रोशनी की दोषपूर्ण व्यवस्था के कारण प्रायः ट्रेन से अलग कर दिये जाते हैं :

(ग) क्या यह तथ्य है कि डाक और तार विभाग ने डिब्बों की मरम्मत और रोशनी के प्रबन्ध के लिये कई बार प्रार्थनायें की है ; और

(घ) यदि हां, तो उस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) बारह ।

(ख) नहीं ।

(ग) हां ।

(घ) रोशनी और अन्य दोषों सम्बन्धी शिकायतों की ओर ध्यान दिया जाता है और जहां तक संभव होता है उन्हें घटनास्थल पर ही ठीक कर दिया जाता है । बड़े मरम्मत के मामलों में, दोषों को ठीक करने में अनिवार्य रूप से कुछ विलम्ब होता है । इस पर ध्यान दिया जा रहा है और उचित कार्यवाही की जायगी ।

श्री गिडवानी : क्या यह तथ्य है कि जब ये डिब्बे ठीक दशा में नहीं होते हैं तब डाक तीसरे दर्जे के डिब्बों में, जहां रोशनी का प्रबन्ध काम करने के लिये पर्याप्त नहीं होता है ले जायी जाती है ?

श्री शाहनवाज़ खां : किसी समय ऐसी आकस्मिता हुई होगी किन्तु यह साधारण प्रथा नहीं है । जहां भी रोशनी के सम्बन्ध में कोई दोष होता है, हम तेल के बहुत अच्छे लैम्पों का प्रबन्ध कर देते हैं ।

श्री गिडवानी : मेरा श्न यह था कि जब ये डिब्बे खराब हो जाते हैं तब क्या तीसरे दर्जे के डिब्बों का उपयोग किया जाता है ?

श्री शाहनवाज़ खां : कभी कभी वह घटना हो सकती है ।

श्री गिडवानी : क्या और डिब्बे उपलब्ध किये जायेंगे जिससे कि जब कोई डिब्बा एसी दशा में हो कि उस से काम न किया जा सके तब उस के स्थान पर दूसरा डिब्बा रखा जाये और कर्मचारियों को तीसरे दर्जे के डिब्बों में काम न करना पड़े ।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : इस पर विचार किया जायेगा ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या यह तथ्य है कि रेलवे डाक सेवा के डिब्बों में रोशनी की वर्त्तमान व्यवस्था बिलकुल अपर्याप्त है, और यदि हां, तो क्या उन डिब्बों में रोशनी की व्यवस्था को सुधारने के लिये कोई प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : हम उन्हें बिलकुल अपर्याप्त नहीं समझते । जहां कहीं वह अपर्याप्त हैं और हमारे ध्यान में बात आती है, तो हम अवश्य ही उस में सुधार करते हैं ।

विमान निगम अधिनियम

*२६७१. **श्री टी० बी० विटठल राव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान निगम अधिनियम, १९५३, की धाराओं ३० और ४१ में निर्दिष्ट (१) विमान परिवहन परिषद् (२) मंत्रणा समिति और (३) श्रम सम्पर्क समितियां अब तक स्थापित कर दी गयी हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो उन को बनाने और उन के काम कराने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाहियां की हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). १६ अप्रैल, १९५५ से एक विमान परिवहन परिषद् बनायी गयी है । उक्त अधिनियम की धारा ४१ में कल्पित मंत्रणा समितियों और श्रम सम्पर्क समितियों की स्थापना के लिये विमान निगम नियमों, १९५४ में उपबन्ध कर दिया

गया है । इन समितियों की स्थापना का प्रश्न शीघ्र ही उठाया जायेगा ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या मैं जान सकता हूं कि लगभग किस महीने तक ये समितियां बनायी जायेंगी क्योंकि मूल अधिनियम को पारित हुये दो वर्ष हो चुके हैं ।

श्री राज बहादुर : माननीय सदस्य भली भांति जानते हैं कि विभिन्न कम्पनियों के विभिन्न कर्मचारियों को एकीकृत करना बहुत कठिन काम था और भूतपूर्व कम्पनियों के कर्मचारियों के एकीकरण के बिना, निर्वाचन के लिये निर्वाचन-क्षेत्र निर्धारित करना असंभव था । वह यह भी भली भांति जानते हैं कि श्रम सम्पर्क समिति के आधे सदस्य स्वयं कर्मचारियों द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या म जान सकता हूं कि क्या सरकार उस निगम में श्रम का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संचालक के स्थान पर अखिल भारतीय विमान कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधि को श्रम का प्रतिनिधित्व करने के लिये नाम निर्देशित करने के विषय पर विचार करेगी ?

श्री राज बहादुर: श्रम का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी संचालक के बारे में मुझे जानकारी नहीं है । वास्तव में श्रम सम्पर्क का प्रभारी पदाधिकारी अपनी शासकीय हैसियत से केवल बैठकों में उपस्थित होगा ; उसे मत देने का कोई अधिकार नहीं होगा। उसे श्रम सम्पर्क समिति में अपने दृष्टिकोण रखने का अधिकार होगा । कर्मचारियों के किसी विशिष्ट संघ अथवा विभाग के किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता क्योंकि श्रम-प्रतिनिधि निर्वाचन के द्वारा चुने जायेंगे ।

श्री मात्तन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री को आन्तरिक विमान लाइनों के यात्रियों की इन शिकायतों का, कि कुछ दिनों से सेवा की कार्य कुशलता और किस्म बिलकुल गिर गयी है, ज्ञान है ?

श्री राज बहादुर : इस प्रश्न में बहुत सी बातें पहले ही मान ली गयी हैं । मैं उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे विचार से वे पूर्ण रूप से ठीक नहीं हैं । संभव है कि किसी एक सेवा के सम्बन्ध में शिकायत के कुछ कारण हों किन्तु विस्तृत रूप में विमान सेवाओं की कार्य-कुशलता और अन्य स्तरों में सुधार हुआ है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : दोनों निगमों की संचालक मंडली में श्री माइकेल जांन किस हित प्रतिनिधित्व करते हैं ।

श्री राज बहादुर: यह प्रश्न इस प्रश्न विशेष से कठिनाई से उत्पन्न होता है । वह श्रम हितों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है ?

मचकुन्द परियोजना

*२६७२. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र सरकार ने मचकुन्द परियोजना में भूमि-रक्षा योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार से वित्तीय सहायता की मांगी की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) नहीं ! किन्तु उड़ीसा सरकार के नदी घाटी विभाग से वित्तीय सहायता के लिये केन्द्रीय भूमि रक्षा बोर्ड को मचकुंद जलविद्युत् परियोजना सम्बन्धी एक योजना, जो आंध्र और उड़ीसा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से बनायी गयी है, प्राप्त हुई है ।

(ख) योजना बोर्ड के विचाराधीन है ।

श्री संगण्णा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस योजना के कार्यान्वित किये जाने से उस स्थान में रहने वाले लोगों का कोई विस्थापन होगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस अवस्था पर मैं कुछ नहीं कह सकता ।

श्री संगण्णा : इस योजना के अन्तर्गत कितना भूमि क्षेत्र आता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : प्रभावित क्षेत्र बहुत अधिक है । उड़ीसा में यह २९० वर्ग मील है और आंध्र में ५६८ वर्ग मील है ।

श्री संगण्णा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या योजना की लागत मचकुंद के जलविद्युत् परियोजना में सम्मिलित की जायगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : साधारणतया हम आशा करते हैं कि वह अंशत: सम्मिलित की जायेगी ।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस योजना के अन्तर्गत आने वाली भमी को उड़ीसा और आंध्र क्षेत्रों में आदिवासी लोग अदल बदल कर खेती करते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता किन्तु अदल बदल कर खेती करना मिट्टी के कटाव और अनेक कष्टों का कारण है ।

परीक्षात्मक नल-कूप

*२६७४. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टी० सी० ए० के अधीन परीक्षात्मक नल-कूप कार्यक्रम अनुसूची अनसार चल रहा है; और

(ख) छेद करने वाले दल आंध्र राज्य में अपना कार्य संभवत: कब प्रारंभ करेंगे ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) टी० सी० ए० की सहायता से जो कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, वह अनुसूची के अनुसार प्रगति कर रहा है ।

(ख) वर्तमान संकेतों के अनुसार १९५६ के उत्तरार्द्ध में ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : इस योजना के अनुसार कुल कितने कुएं एक बार में खोदे जा सकते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह तो उस उपकरण पर निर्भर होगा जो कि हमारे पास हो । मैं यह तो ठीक ठीक नहीं बता सकता कि हम कितने कुएं खोद सकेंगे । हमारे पास १६ राज्यों में ३५० परीक्षात्मक कुएं खोदने का एक कार्यक्रम है ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : इन ३६० परीक्षात्मक कुंओं में से कितने अनावृष्टि से अधिकतम प्रभावित क्षेत्रों में स्थित हैं ।

डा० पी० एस० देशमुख : हम ने उन क्षेत्रों की ओर ध्यान दिया है जहां जल का अभाव है । अब यह भूतत्वीय आंकड़ों से पता लगेगा कि हमारा अनुसंधान कितना उपयोगी है ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : मैं तो केवल यह जानना चाहता था कि कितने कुंए वास्तव में अनावृष्टि से अधिकतम प्रभावित क्षेत्रों में स्थित हैं ।

डा० पी० एस० देशमुख : मैं ने यह गणना नहीं की है । इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे भारत के समस्त क्षेत्र में जाना होगा ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या इन सभी कुंओं की स्थिति सरकार द्वारा अन्तिम रूप से निश्चत कर दी गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं यह कह नहीं सकता हूं कि प्रत्येक राज्य में कुंओं की स्थिति निश्चित कर दी गई है या नहीं । परन्तु बहुत से राज्यों में, जहां हम शीघ्र ही कार्य आरंभ करने वाले हैं यह निश्चित कर दिया गया है कि कुंए कहां पर स्थित होंगे । कुछ अन्य राज्यों के सम्बन्ध में, जिन की बारी बाद में आयेगी, संभवतः उन के सम्बन्ध में अन्तिम निश्चय अभी तक नहीं किया गया है ।

गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड

*२६७५. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा-ब्रह्मपुत्र जल **परिवहन** बोर्ड एक स्वायत्तशासी निकाय है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वह अपने कार्यकरण सम्बन्धी कोई वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित करता है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) गंगा-ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड एक असंविहित निकाय है जो भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा आसाम की राज्य सरकारों के मध्य हुए एक करार से स्थापित किया गया है । यह बोर्ड भारत सरकार के अधीन कार्य करता है ।

(ख) नहीं । परन्तु परिवहन मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदनों में इस बोर्ड के कार्यकरण का भी उल्लेख किया जाता है ।

श्री के० सी० सोधिया : यह बोर्ड कितने समय से काम कर रहा है और उस की वर्त्तमान गतिविधियां क्या हैं ?

श्री अलगेशन : यह बोर्ड १९५२ से कार्य कर रहा है । इस का मुख्य कार्य राज्य सरकारों के अन्तर्देशीय नौवहन सम्बन्धी विभिन्न कृत्यों का समन्वय करना है । इस समय यह बोर्ड छिछली नावों के द्वारा गंगा और घाघरा के छिछले भागों में एक अग्रिम परियोजना को कार्यान्वित कराने में लगा हुआ है ।

श्री के० सी० सोधिया: गंगा नदी की नौ परिवहन के लिये उपयुक्त कुल लम्बाई की जांच करने में अभी कितना समय लगने की संभावना है ?

श्री अलगेशन : इलाहाबाद और पटना के मध्य प्रयोग किये जायेंगे । प्रयोग का खंड चुन लिया गया है । घाघरा नदी के एक अन्य खंड में भी प्रयोग किये जायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते थे कि इस में कितना समय लगेगा ?

श्री अलगेशन : जहां तक नावों का सम्बन्ध है हमने नावों के निर्माण के टेंडर मांगे हैं । नावों के तैयार हो जाने पर प्रयोग किये जायेंगे ।

श्री एस० एन० दास : क्या भारत के अन्य भागों में ऐसे बोर्ड बनाने की योजना पूरी हो गई है, और यदि हां, तो क्या दक्षिण भारत में कोई बोर्ड स्थापित किया गया है ?

श्री अलगेशन : हम पुराने अविभाजित मद्रास राज्य से तथा त्रावनकोर-कोचीन राज्य से पत्र-व्यवहार कर रहे हैं । उन सरकारों का, और केन्द्रीय सरकार, दोनों का एक बोर्ड बनाना संभव नहीं है । प्रत्येक राज्य के लिये पृथक रूप से ऐसे बोर्ड बनाने की प्रस्थापना की हम जांच कर रहे हैं । अभी इस विषय के सम्बन्ध में हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं ।

जापानी जलयान

*२६७६. **डा० रामा राव** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पत्तनों में ठहरने वाले जापानी जलयानों के जापानी नाविकों ने गत पंद्रह मास में, भारतीय पत्तनों में किये गये दुर्व्यवहार तथा चोरी सम्बन्धी कोई शिकायतें भारतीय प्राधिकारियों से की हैं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उस के परिणाम क्या हुए ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

डा० रामा राव : क्या सरकार का ध्यान जापानी नाविक सम्मेलन के उस संकल्प की ओर दिलाया गया है जो इस मामले को प्रस्तुत करता है और जिस में कहा गया है कि दुर्व्यवहार तथा आक्रमण की घटनायें ऐसी गंभीर प्रकार की हैं कि हो सकता है कि वे भारतीय पत्तनों में ठहरने वाले जापानी पोतों में काम करने से इंकार कर दें ?

श्री अलगेशन : हम ने समाचार पत्रों में ऐसे कुछ संवाद देखे हैं । इस के पश्चात् एक समाचार पत्र में एक और संवाद यह भी देखा गया है कि कलकत्ता स्थित जापानी वाणिज्य दूत ने इस प्रकार की किसी भी जानकारी के होने से इंकार किया है । उस ने ह भी कहा है कि यदि ऐसी कोई बात हुई होती तो सामान्यतः उस की ओर उस का ध्यान आकर्षित किया गया होता और उसे ऐसी किसी बात का पता नहीं था । यह दोनों ही समाचार पत्रों के संवाद हैं ।

डा० रामा राव : सम्मेलन के इस संकल्प का कारण कोई न कोई घटना अवश्य ही होगी, यद्यपि जापानी वाणिज्य दूत का कथन है कि उस का ध्यान इस ओर नहीं आकर्षित किया गया है, फिर भी विदेशी नागरिकों के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने की दृष्टि से, क्या मंत्रालय ऐसी शिकायतों की जांच करने के लिये और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखने के लिये कि ऐसी घटनायें भविष्य में न घटित हों, और अधिक सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों के बनाने की वांछनीयता पर विचार करेगा ?

श्री अलगेशन : जब तक किसी बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित न किया जाये, हम कोई कार्यवाही करने की स्थिति में नहीं हैं ।

राष्ट्रीय राजपथ (मध्य प्रदेश)

*२६७७. **श्री बी० एन० मिश्र** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश राज्य में रायपुर तथा जगदलपुर के बीच के राष्ट्रीय राजपथ पर बहुत से पुराने पुल लकड़ी के हैं और उन के घिस जाने के कारण बहुत सी दुर्घटनायें घटित हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार किया जाता है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४३ पर रायपुर तथा जगदलपुर के बीच बहुत से पुल शहतीरों से पुरे हुए हैं । कुछ पुलों के ढांचे भी लकड़ी के हैं । सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है कि यह पुल

घिस गये हैं तथा इस कारण दुर्घटनायें घटित हुई हैं ।

(ख) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत जब राष्ट्रीय राजपथ के विकास का विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जायेगा तो इन शहतीर वाले पुलों के स्थान पर पक्के पुल बनाने के प्रश्न पर यथोचित ध्यान दिया जायेगा ।

श्री एस० एन० मिश्र : क्या पंच वर्षीय योजना के आरंभ होने के पूर्व क्या इन में से किसी पुल को पक्का बनाया जायेगा या सरकार इस सम्बन्ध में कुछ करने का विचार कर रही है ?

श्री अलगेशन : प्रथम पंच वर्षीय योजना म चार निर्माण कार्यों की मंजूरी दी गई है । उन में से दो हैं--(१) कांकेर में ८७ वें मीता पर दूध नदी पर एक पुल का निर्माण (२) रायपुर-अमनपुर खंड का सुधार (तारकोल बिछाने के अतिरिक्त) । इन दोनों निर्माण कार्यों के प्राक्कलन मंजूर हो गये हैं । अन्य दो निर्माण कार्यों का जहां तक सम्बन्ध है हम राज्य सरकार से प्राक्कलन प्राप्त होने की राह देख रहे हैं । राज्य सरकारों ने कहा है कि आगामी योजना में इन लकड़ी के पुलों के स्थान पर पक्के पुल बनाये जायें । और हम उन की प्रस्थापनाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

श्री बी० एन० मिश्र : उप मंत्री ने चार निर्माण कार्यों का उल्लेख किया था । परन्तु जानकारी केवल दो के सम्बन्ध में दी । अन्य दो निर्माण कार्य कौन से हैं जिन की जांच की जा रही है ?

श्री अलगेशन : मैं ने कहा कि अन्य दो निर्माण कार्यों के प्राक्कलनों की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं । वे हैं--(१) रायपुर-अमनपुर खंड पर तारकोल बिछाना तथा २) अमनपुर-धमतारी खंड का सुधार ।

चाय बागानों के मजदूर

*२६७९. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा सरकार के श्रम कार्यालय ने २५ फरवरी, १९५५ को सारे चाय बागानों के नाम यह हिदायतें जारी की थी कि मजूरों को प्रत्येक बीस दिन के काम के पीछे एक दिन की सवेतन छुट्टी दी जाया करे ।

(ख) यदि हां, तो कितने चाय बागान इन हिदायतों का पालन करने के लिये सहमत हो गये हैं ; और

(ग) सरकार ने इन हिदायतों का परिपालन करने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी त्रिपुरा सरकार से मांगी गई है । १ अप्रैल, १९५४ को बागान श्रम अधिनियम, १९५१ लागू किया गया था । उपलब्ध जानकारी के अनुसार सवेतन छुट्टी देने से सम्बन्धित धारायें त्रिपुरा राज्य में उसी तिथि से लागू कर दी गई थीं ।

श्री तुषार चटर्जी : क्या इस सम्बन्ध में कोई जानकारी सरकार के पास है कि बहुत से चाय बागानों को इस उपबन्ध से मुक्त कर दिया गया है ?

श्री आबिद अली : मेरा ध्यान इस बात की ओर आकर्षित नहीं किया गया है ।

श्री बीरेन दत्त : क्या त्रिपुरा सरकार ने इस का परिपालन करने के लिये कोई नियम बनाये हैं?

श्री आबिद अली : हां, और हम ने प्रारूप नियमों के सम्बन्ध में अपनी स्वीकृति भी दे दी है ।

रेलवे डाक सेवा कर्मचारी संघ

*२६८२. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे डाक सेवा कर्मचारियों की विभिन्न संघों के पुनः एक सूत्रीकरण होने से पहले कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया गया था कि सामान्य प्रशासन सम्बन्धी प्रत्येक विषय में नये संघ से परामर्श लिया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को ज्ञात है कि बार बार प्रार्थना करने पर भी उन को विशेष समितियों के प्रतिवेदन नहीं दिये जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस का कारण क्या है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सरकार का अभिप्राय कर्मचारियों को प्रशासन सम्बन्धी बातों में अधिक से अधिक रूचि लेने का अवसर देने का है। इसी उद्देश्य से ह्विरले मॉडल के अनुरूप कर्मचारी परिषदें बनाने की संभाव्यता की खोज की जा रही है ।

(ख) और (ग). यह स्पष्ट नहीं है कि किन प्रतिवेदनों का हवाला दिया गया है ! डाकखाने के टाइमटेस्ट के पुनरीक्षण सम्बन्धी मराठे प्रतिवेदन की एक प्रति संघों के पास भेजी जा चुकी है ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : कितने समय के बाद सरकार इन संघों से परामर्श कर सकने की स्थिति में होगी ? इस में कितना समय लगेगा ?

श्री राज बहादुर : वस्तु स्थिति यह है कि जहां तक मुझ ज्ञात है हमें अभी तक मराठे प्रा सम्बन्ध में स्वयं संघों की ही आलोचना या सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या मराठा प्रतिवेदन प्रकाशित हो चुका है ?

श्री राज बहादुर : यह प्रकाशित नहीं हुआ है परन्तु इस की एक प्रति संघों को भेजी जा चुकी है ।

केन्द्रीय तम्बाकू गवेषणा संस्था

*२६८३. **श्री बी० एन० चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १६ अप्रैल, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या २३१० के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि जिस में यह दिखाया गया हो कि केन्द्रीय तम्बाकू गवेषणा संस्था प्रशिक्षणार्थियों को कौन कौन सुविधायें देती हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट संख्या १२, अनुबन्ध संख्या ५१**]

श्री एन० बी० चौधरी : क्या केन्द्रीय तम्बाकू गवेषणा संस्था तथा तम्बाकू गवेषणा उपकेन्द्र के संधारण व्यय का कोई अंश उन औद्योगिक समवायों द्वारा दिया जाता है जो इन संस्थाओं में प्रशिक्षित व्यक्तियों को नौकर रखते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे विचार से ऐसा नहीं है ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या सरकार और औद्योगिक समवायों के बीच ऐसा कोई समझौता हुआ है कि इन संस्थाओं में प्रशिक्षित कितने व्यक्तियों को वे नौकर रखेंगे ?

डा० पी० एस० देशमुख : जहां तक हमें आशा है, जो प्रशिक्षण सामान्यतः दिया जा रहा है वह सामान्यतः तम्बाकू की खेती करने वालों को सहायता पहुंचाये न कि

औद्योगिक समवायों को, यद्यपि ऐसा कोई निषेध नहीं है कि यह प्रशिक्षण उद्योग वालों को नहीं दिया जा सकता है। हमारी योजना उद्योगपतियों से अधिक छोटे पैमाने पर तम्बाकू की खेती करने वालों को सहायता पहुंचाने के लिये है।

डा० रामा राव : इन दो नगरों में दिया जाने वाला प्रशिक्षण क्या प्रविधिक कर्मचारियों को इस योग्य बना देता है कि वे तम्बाकू को सिगरेट में भरे जाने योग्य स्तर तक ठीक कर सकें या केवल इतना कि वे तम्बाकू की तैयारी सम्बन्धी आधा काम ही कर सकें ?

डा० पी० एस० देशमख : मुझे यह नहीं मालूम है कि इस प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप उनसे ठीक ठीक कितनी आशा की जा सकती है। सम्भवत: मेरे माननीय मित्र का अनुमान ठीक है।

एअर इंडिया इंटरनेशनल

*२६८४. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया इंटरनेशनल के हांगकांग कार्यालय में अभारतीय भी नौकर हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है तथा वे किस देश के नागरिक हैं ;

(ग) कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(घ) भारतीयों तथा अभारतीयों की नियुक्ति के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ; और

(ङ) क्या इस प्रकार के अभारतीयों की नियक्ति के पूर्व, उनके पिछले अभिलेखों की जांच ध्यानपूर्वक की गई थी ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां।

(ख) आठ। वे सभी चीनवासी हैं।

(ग) तेरह।

(घ) अधिकारियों की नियुक्ति मुख्य कार्यालय द्वारा की जाती है। पर्यवेक्षणीय तथा अपर्यवेक्षणीय स्थानों पर नियुक्तियां मुख्य कार्यालय की स्वीकृति के अधीन विदेशी स्टेशनों पर नियुक्त जिला प्रबन्धक द्वारा की जाती हैं। विज्ञापनों के द्वारा या बिना विज्ञापन के, अन्य अन्तर्राष्ट्रीय समवायों द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया के अनुसार, आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं और नियुक्ति से पूर्व डाक्टरी परीक्षा तथा छै मास के प्रोबेशन इत्यादि के अधीन नियुक्तियां की जाती हैं। आवेदकों की अर्हताओं तथा अनुभव समान होने की दशा में भारतीयों को अधिमान दिया जाता है।

(ङ) नियुक्ति के लिये प्रार्थी सभी आवेदकों के चाहे वे भारतीय हों या अभारतीय पिछले सेवा अभिलेख की जांच की जाती है

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या यह सच है कि भारत तथा जापान के मध्य वाले मार्ग के उद्घाटन के पश्चात् ही हांगकांग स्थित एक उच्च भारतीय अधिकारी ने बम्बई में स्थित एयर इंडिया, के मुख्य कार्यालय को एक पत्र के द्वारा कुछ अवांछित व्यक्तियों के विरुद्ध, जो जासूस प्रतीत होते थे और जो संस्था में घुसने का कथित प्रयत्न कर रहे थे, चेतावनी दी थी। तथा क्या इस प्रकार के कथित अवांछित व्यक्तियों को हमारी सेवा में आने से रोकने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राज बहादुर : मुझे ज्ञात नहीं कि माननीय सदस्य को यह सूचना कहां से प्राप्त हुई है तथा मैं इस की सत्यता को भी प्रमाणित नहीं कर सकता हूं।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मेरा प्रश्न यह था। कि क्या इस प्रकार की कोई सूचना

थी या नहीं। यदि नहीं थी, तो मैं नकारात्मक उत्तर से सन्तुष्ट हो जाऊंगा।

श्री राज बहादुर : मेरे विचार से मैं यह बता चुका हूं कि इस प्रकार के किसी पत्र व्यवहार के सम्बन्ध में मुझे ज्ञात नहीं है। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य को यह सूचना कहां से प्राप्त हुई है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : 'काश्मीर प्रिन्सेस' की भयानक दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार, महाप्रबन्धक समेत, हांगकांग स्थित अपने सभी कर्मचारियों के विगत जीवन की जांच करेगी तथा उन निर्देशों का परीक्षण करेगी ?

श्री राज बहादुर : जांच करने का कार्य पूर्णतया जांच पदाधिकारियों अथवा इंडोनेशिया सरकार द्वारा नियुक्त की गई जांच समिति के क्षेत्राधिकार में है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या एयर इंडिया इंटरनेशनल की यह प्रथा है कि चाहे हांगकांग हो अथवा अन्य कोई स्थान हो वे विमानों में विशेष रेडियो पदाधिकारी नहीं रखते हैं जैसा कि अन्य अन्तर्राष्ट्रीय विमानों की जाती है; तथा क्या जिस विमान से प्रधान मंत्री बांडुग गये थे उसमें भी विशेष रेडियो आपरेटर नहीं था ?

***श्री राज बहादुर** : रेडियो पदाधिकारी उस में था तथा इतना होना ही अपेक्षित था इसके अतिरिक्त उस में एक अतिरिक्त इंजीनियर भी था जो कि यद्यपि पूर्ण रूप से अर्ह नहीं था।

श्री नानादास : प्रश्न के भाग (ङ) के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया विदेशी कर्मचारियों के पिछले–अभिलेखों की जांच की गई थी। क्या मैं जान सकता हूं कि विदेशी राष्ट्रजनों के पिछले अभिलेख, सरकार को कहां से प्राप्त हुए थे ?

श्री राज बहादुर : सामान्यतः इस सम्बन्ध को जिस स्रोत से प्राप्त करना चाहिये उसी से हमने इनको प्राप्त किया था।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि वह सामान्य स्रोत क्या हैं।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति।

अन्तर्राष्ट्रय होटल संस्था

*२६८६. **श्री डाभी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ दिन पूर्व नई दिल्ली में समवेत हुए अन्तर्राष्ट्रीय होटल संस्था परिषद् के प्रारंभिक सत्र में उन्होंने देश के होटल उद्योग को सहायता देने का वायदा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की, तथा किस सीमा तक सहयता देने की प्रस्थापना है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). केवल यह शुभेच्छा प्रकट की गई थी कि सरकार को होटल उद्योग के विकास के लिये कुछ सहायता देना संभव हो सकता है।

श्री डाभी : क्या मैं समझूं कि केवल एक शुभेच्छा ही प्रकट की गई थी ?

श्री अलगेशन : उन्होंने उसे वायदे के रूप में बताया था, मैंने केवल शुभेच्छा प्रकट की थी।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस सुझाव पर विचार किया गया है कि गवर्नमेंट को जो बहुत पुराने जमे हुए ऊंची श्रेणी के होटल हैं, उन को ही सहायता न दे कर के उन छोटे-छोटे स्थानों के उन छोटे-छोटे होटलों को भी सहायता दी जानी चाहिये जो कि पर्यटन के अच्छे केन्द्र बन सकते हैं और क्या इस बारे में कोई कार्यवाही की जा रही है ?

---

*इस उत्तर को बाद में शुरू किया गया। देखिये लोक सभा वाद-विवाद भाग २, दिनांक स्तम्भ संख्या १३२

श्री अलगेशन हम ने पर्यटक के विकास की एक योजना बनाई है, जिस में कि हम ने उपयुक्त मामलों में होटल उद्योग को ऋण दिये जाने का उपबन्ध भी रखा है। इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है। अभी हम योजना आयोग मंत्रणा कर रहे हैं। इस के पश्चात् ही इस प्रश्न पर विचार करना होगा कि इस ऋण का उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिये तथा इस से किस प्रकार उत्तमोत्तम परिणाम प्राप्त किये जायें।

रेलवे रियायतें

*२६८७. **श्री एस० एन० दास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक कोसी परियोजना में ऐच्छिक श्रम देने के लिये कितने व्यक्तियों को रेलवे के किराये में रियायत दी गई है तथा प्रत्येक श्रेणी के यात्रियों के अलग अलग आंकड़े क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाह नवाज़ खां) : ३१–३–५५ तक कोसी परियोजना बांध के निर्माण को ऐच्छिक रूप से कार्य करने वाले १७,४०० व्यक्तियों को रियायत दी गई है। इन सभी व्यक्तियों ने तृतीय श्रेणी में यात्रा की थी।

श्री एस० एन० दास : रियायत किस दर से दी गई थी ?

श्री शाह नवाज़ खां : तृतीय श्रेणी का आधा किराया।

श्री एस० एन० दास : हमारे देश के किन भागों से ये व्यक्ति कोसी परियोजना को गये थे ?

श्री शाह नवाज़ खां : वे अधिकांशत: पूर्वोत्तर रेलवे के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के थे।

श्री एस० एन० दास : ये रियायतें किस आधार पर दी गई थी तथा किसी संस्था से कोई प्रमाणपत्र अपेक्षित है ?

श्री शाह नवाज़ खां : भारत-सेवक समाज, कोसी परियोजना के लिये ऐच्छिक श्रम अथवा श्रम दान का आयोजन कर रहा है तथा भारत सेवक समाज द्वारा आने वाले आवेदन पत्रों पर ये रियायतें दी जाती हैं।

रेलवे रियायतें

*२६८९. **श्री संगण्णा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५४–५५ में उड़ीसा की राष्ट्रीय विस्तार सेवा के स्वयंसेवकों को रेलवे किरायों में कोई रियायतें दी गई थीं : और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) जी हां।

(ख) इन रियायतों की घोषणा दिसम्बर, १९५४ में की गई थी कि द्वितीय श्रेणी के मेल के किराये से प्रथम श्रेणी में, इंटर श्रेणी के मेल के किराये से, द्वितीय श्रेणी में, तृतीय श्रेणी के मेल के किराये से इंटर श्रेणी में, तथा तृतीय श्रेणी के आधे किराये से तृतीय श्रेणी में यात्रा की जा सकती थी, परन्तु उड़ीसा राज्य में, किसी भी स्वयंसेवक ने इस का लाभ नहीं उठाया था।

श्री संगण्णा : क्या इन रियायतों पर हुआ व्यय राष्ट्रीय विस्तार सेवा व्यय में डाल दिया जाता है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : मैं प्रश्न को समझा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : इन रियायतों पर इस व्यय को किस शीर्ष में डाला जाता है ?

श्री अलगेशन : इन रियायतों पर हुए व्यय को किसी शीर्ष में डालने का कोई प्रश्न ही है। यह रियायतें दी जाती हैं। मैं समझा नहीं कि इस व्यय को किसी खाते में डालने का क्या तात्पर्य है।

अध्यक्ष महोदय : रेलवे को कुछ राजस्व की हानि होती है, तथा प्रश्न यही है कि यह हानि राष्ट्रीय विस्तार सेवा के खाते में डाल दी जाती है ?

श्री अलगेशन : जी नहीं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या इस सम्बन्ध में कुछ नियम बनाये गये हैं कि जिन के आधार पर यह निर्णय किया जाता है कि किस को रियायत दी जायें अथवा किस को नहीं, तथा कौन अधिकारी इन रियायतों को देता है ?

श्री अलगेशन : रेलवे बोर्ड इन रियायतों को स्वीकार करता है तथा नियम सभी जानते हैं। हम ने यह रियायतें उन व्यक्तियों को दी हैं जो सार्वजनिक कार्यों में —जैसे सामुदायिक परियोजनाओं राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा विशेषतया कोसी परियोजना में श्रम दान दे रहे हैं इन की स्वयं हां एक पृथक श्रेणी बन गई है

सरदार हुक्म सिंह : हमें यह बताया गया है कि उस प्रदेश में इस रियायत का किसी ने कोई लाभ नहीं उठाया। क्या यह लाभ इस कारण नहीं उठाया गया कि कोई भी वहां काम करने नहीं गया अथवा इस का यह कारण था कि वह निम्न श्रेणी में यात्रा करना चाहते थे तथा जहां तक उस यात्रा का सम्बन्ध था उन्हें कोई रियायत नहीं मिली थी ?

श्री अलगेशन : रियायत तो तृतीय श्रेणी क लिये भी है। आधी रियायत दी गई है। इसलिये निम्न श्रेणी में रियायत देने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। परन्तु मुझे यह ज्ञात नहीं कि किन कारणों से यह हुआ है कि इन रियायतों का लाभ नहीं उठाया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह उड़ीसा से सम्बन्धित है।

रेलवे लाइनें

*२६९०. **श्री विश्वनाथ रेडडी** : क्या रेलवे मंत्री २२ सितम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ६१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओंगोल को बोरिंगपेट से कड़पा होते हुए रेल द्वारा मिलाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां तो सर्वेक्षण कब प्रारंभ किया जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगशन) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री विश्वनाथ रेडडी : क्या आंध्र सरकार ने अथवा मैसूर राज्य सरकार ने इस प्रस्थापना के सम्बन्ध में कोई निर्देश किया है ?

श्री अलगशन : आंध्र सरकार ने अभी कोई सिफारिश नहीं भेजी है। आंध्र सरकार की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है। मैं नहीं जानता कि मैसूर सरकार ने अपनी सिफारिशों में इस को स्थान दिया है, या नहीं, मैसूर सरकार ने जिन लाइनों की सिफारिशें की हैं उन की सूची मेरे पास नहीं है।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : राज्य सरकार की सिफारिशों के अतिरिक्त, क्या भारत सरकार स्वयं भी इस प्रस्थापना की शीघ्र ही जांच करेगी ?

श्री अलगशन : जब हम द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अधीन नई लाइनों के निर्माण

पर विचार करेंगे उस समय इस की जांच की जा सकती है

श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या सरकार को ज्ञात है कि यह प्रस्थापित लाइन चार ब्राड गेज लाईनों को एक प्राय: सीधी लाइन में काटती है, तथा क्या माननीय मंत्री ने स्वयं नकशे पर इन स्थानों को अंकित किया है तथा राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से इस लाइन द्वारा होने वाली सुविधा पर विचार किया है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : इस क्षेत्र को सुविधा देने के लिये इस के अतिरिक्त और कौन सी अन्य लाइनें बिछाने का विचार किया जा रहा है ।

श्री अलगेशन : अभी तक तो मुख्य लाइन ही विचाराधीन नहीं है । मैं नहीं समझता कि वैकल्पिक लाइनें बिछाने का प्रश्न किस प्रकार उत्पन्न होता है ।

भूमि का कटाव (उड़ीसा)

*२६९०-क. **श्री सारंगधर दास**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में भूमि के कटाव को रोकने की कोई योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक योजना की प्राक्कलित लागत क्या है ; और

(ग) हीराकुड बांध के तलहटी के समस्त प्रदेश में भूमि के कटाव को रोकने के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ५२]** ।

(ग) हीराकुड बांध में बह कर आने वाली इब नदी की तलहटी में एक अग्रिम भूमि संरक्षण परियोजना स्थापित करने की एक योजना को वित्तीय सहायता देने का विषय केन्द्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड के विचाराधीन है ।

श्री सारंगधर दास : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि डा० सेवेज ने १९४८ के लगभग यह सूचना दी थी कि बांध के बनाये जाने के साथ साथ मध्य प्रदेश के तलहटी वाले प्रदेश का पुन:वनीकरण किया जाना चाहिये, क्या कारण है कि उस प्रदेश में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तथा जैसे जैसे बांध बनता जा रहा है कठिनाइयां उत्पन्न होंगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : जैसा कि सभा को ज्ञात है भूमि संरक्षण बोर्ड अभी हाल ही में बनाया गया है तथा जिस प्रदेश की ओर मेरे मित्र ने अपने प्रश्न में निर्देश किया है, उस के सम्बन्ध में अभी तक कोई प्रस्थापना अथवा योजना हमें नहीं भेजी गई है ?

श्री सारंगधर दास : क्या केन्द्रीय सरकार की, जिस ने हीराकुड बांध को प्रारंभ किया है, यह कर्तव्य नहीं है कि उस के सलाहकार द्वारा १९४८ में दी गई सलाह को, जिस में बताया गया था कि भूमि के कटाव को रोकने के लिये मध्य प्रदेश की तरफ के तलहटी प्रदेश में पुन: बन लगाये जायें, कार्यान्वित नहीं किया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यदि विषय इतना ही महत्त्वपूर्ण है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि भूमि संरक्षण बोर्ड इस सिफारिश पर अवश्य विचार करेगा ?

रेलवे दुर्घटना

*२६९१. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ६ अप्रैल १९५५ की रात को मध्य रेलवे के दोरनाकल स्टेशन पर जनता एक्सप्रेस और दो डिब्बों में हुई टक्कर में कितने यात्रियों को चोट लगी ;

(ख) उक्त दुर्घटना के सम्बन्ध में विभागीय अधीक्षक, मध्य रेलवे, सिकन्दराबाद द्वारा की गई जांच का क्या परिणाम निकला ; और

(ग) क्या सरकार इस स्टेशन पर यातायात अधिक होने की बात को ध्यान में रखते हुए वहां एक विद्युत् चालित ट्रैक सरकिट यंत्र स्थापित करने की प्रस्थापना करती है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जैसा कि प्रश्न में दिया गया है दुर्घटना ६-४-१९५५ को नहीं बल्कि ७-४-१९५५ को ४-२४ पर हुई थी जिस में एक रेलवे कर्मचारी जो अपना काम कर रहा था, तथा चार यात्रियों के हल्की चोटें आई थीं ;

(ख) विभागीय अफसरों की जांच समिति की आपत्तियों के अनुसार, जिस के सभापति, विभागीय अधीक्षक, सिकन्दराबाद थे, यह दुर्घटना यार्ड असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की इस भूल से हुई थी कि जिस लाइन पर गाड़ी आने को थी, वह साफ नहीं थी ।

(ग) दोरनाकल में विद्युत्चालित ट्रैक सरकिट यंत्र लगाने का अभी कोई कार्यक्रम नहीं है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या मैं जान उकता हूं कि किसी स्टेशन पर विद्युत्-चालित ट्रैक सरकिट यंत्र स्थापित करने का आधार क्या है ?

श्री शाहनवाज़ खां : यातायात की अधिकता ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या मैं जान सकता हूं कि इस स्टेशन पर कितनी गाड़ियां आती हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : श्रीमान्, मैं इस समय ठीक संख्या तो नहीं बता सकता, किन्तु मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि अन्य भीड़भड़क्का वाली लाइनों की अपेक्षा इस लाइन पर यातायात कम है और यदि यह यंत्र लगाये गये तो सब से अधिक यातायात वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जायेगी ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि कुछ अफसरों पर अभियोग चलाया जा रहा है, और यदि हां, तो क्या उन को निलम्बित कर दिया गया है और क्या उन्हें कोई निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न से यह बात कैसे उत्पन्न होती है ?

श्री टी० बी० विट्ठल राव : जांच का नतीजा यह निकला था कि यह दुर्घटना मानवीय त्रुटि के कारण हुई थी ।

अध्यक्ष महोदय : इस का तो इस प्रश्न से बहुत दूर का सम्बन्ध है । इस के लिये तो वह एक प्रथक् प्रश्न पूछ सकते हैं ।

भविष्य निधि अधिनियम, १९५२

*२६९२. **श्री तुषार चटर्जी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा १७ के अन्तर्गत उन्मुक्त फैक्टरियों की भविष्य निधि के लिये कोई प्रन्यासी बोर्ड बनाने के लिये

अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में कोई निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार का है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) नहीं ।

(ख) सरकार निधि के सदस्यों के हेतु कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन पर नियंत्रण करने की एक प्रस्थापना की जांच कर रही है ।

श्री तुषार चटर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि निश्चय के कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

श्री आबिद अली : बहुत देर नहीं लगेगी ।

श्री तुषार चटर्जी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह विषय एक वर्ष से विचाराधीन है, क्या इस का शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा ?

श्री आबिद अली : हां, यह जल्दी ही तय किया जायेगा ।

कच्छ में चिकित्सा योजनायें

*२६९३-क. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांधीधाम के अस्पतालों और दवाखानों (कच्छ) के हेतु चालू वर्ष के लिये कुल कितनी रकम स्वीकृत की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि चालू वर्ष की रकम पिछले वर्ष दी गई रकम से आधी कम कर दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस के मुख्य कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

फल गवेषणा केन्द्र

*२६९४. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई फल गवेषणा केन्द्र चलाये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां वे स्थित हैं ।

खाद्य मंत्री (डा० पी० एस० देशमख): (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को पता है कि कुछ राज्य सरकारें, विशेषतः मद्रास और आंध्र की सरकारें, पर्वतीय फलों पर बड़ी सफलता से बहुत मूल्यवान गवेषणा कार्य कर रही हैं ; और यदि हां, तो क्या सरकार राज्य सरकारों को इस के लिये वित्तीय अथवा अन्य किसी प्रकार की सहायता देने का प्रयत्न कर रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : ऐसी किसी भी योजना के लिये भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् बहुत कुछ सहायता देती है, और यदि वे योजनायें उत्तम प्रकार की होती हैं और अच्छी तरह से चलाई जाती हैं । तो, मुझे विश्वास है कि उन्हें अवश्य सहायता मिलेगी ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह बात सरकार के ध्यान में लायी गयी है कि फलोत्पादन में

सब से बड़ी बाधा उत्पादन और खपत के केन्द्रों में शीत संग्रह सुविधाओं के अभाव से उपस्थित होती हैं, और यदि हां, तो क्या सरकार इन सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयत्न कर रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हां, श्रीमान् । हम फल उद्योग की आवश्यकताओं से पूर्णतया परिचित हैं। जहां तक स्थिर तथा चलते फिरते शीत संग्रहों का प्रश्न है, हम यथाशक्ति प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार कई स्थानों पर द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित गवेषणा केन्द्र खोलने की किसी योजना को करना चाहती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हां, जहां तक द्वितीय पंच वर्षीय योजना का सम्बन्ध है यह प्रश्न विचाराधीन है और बहुत संभव है हम केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत एक केन्द्रीय विद्यालय अथवा बागबानी सम्बन्धी एक केन्द्रीय गवेषणा संस्था खोलेंगे ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट ने कोई ऐसी योजना बनाई है या बनाने का विचार कर रही है जिस से कि फलों के सम्बन्ध में यह देश आत्म निर्भर हो सके, और क्या इस सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकारों को कोई सहायता दी जा रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : अभी फिलहाल तो हम ने हॉर्टिकल्चर स्कीम्स ग्रो मोर फूड के अन्दर रखी थीं और उस के अन्दर जो सहायता मांगी गई थी, उस को देने का हम ने निश्चय किया था । आइन्दा जो फाइव इयर प्लेन चलने वाली है उस में भी इस बात का ध्यान रखा जायेगा और उम्मीद है कि हम कुछ सहायता दे सकेंगे ।

राष्ट्रीय चावल आयोग

*२६९६. **श्री संगण्णा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्थापित राष्ट्रीय चावल आयोग को संभवतः किस तिथि तक स्थापित किया जायेगा ; और

(ख) इस की संरचना क्या होगी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख). यह विषय सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है और आशा की जाती है कि राष्ट्रीय चावल आयोग शीघ्र ही स्थापित किया जायेगा ।

श्री संगण्णा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह संगठन भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् से संयुक्त है अथवा स्वयं एक स्वतंत्र संस्था है ? यदि यह स्वतंत्र है तो यह भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् से किस प्रकार सम्बन्धित है ?

डा० पी० एस० देशमुख : भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् तो केवल कुछ व्यक्तिगत योजनाओं पर विचार करती है और यह आयोग बन जाने पर उत्पादन तथा वितरण दोनों से सम्बन्धित विभिन्न बातों पर ध्यान देगा किन्तु यह एक दूसरे पर अतिद्वायी नहीं होंगे ।

श्री संगण्णा : किस संभावित तिथि तक इस संगठन के संस्थापन को स्थापित किया जायेगा ।

डा० पी० एस० देशमुख : इस में महीने पन्द्रह दिन से अधिक समय नहीं लगेगा ।

श्री बी० के० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि इस का अनुसंधान क्षेत्र क्या होगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम अनुसंधान का क्षेत्र बहुत विस्तृत रखा है । यदि माननीय मंत्री जानना चाहते हैं तो वह इस प्रकार है : अधिक उत्तम उर्वरक

प्रणाली से चावल के उत्पादन में वृद्धि, चावल की किस्म में उन्नति, चावल उत्पादन का यंत्रीकरण, विस्तार सेवाओं का विकास; चावल की वैज्ञानिक, प्रविधिक और आर्थिक समस्याओं पर लगातार पुनरीक्षण करना, सुधरी हुई कार्य संचालन प्रणालियों द्वारा हानि को कम करना चावल के अन्य उत्पादनों का उपयोग करना चावल के आहार पोषक तत्वों में वृद्धि करना चावल के खेतों को मछली पालने के लिये उपयोग करना इत्यादि।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आवर्तक तथा अनावर्तक वित्तीय आवश्यकताओं का कोई अनुमान लगाया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : अभी कोई अंतिम प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया है। अभी तो हमें अधिक व्यय होने की आशा नहीं है, किन्तु जब काम बढ़ेगा, तब खर्च भी अधिक बढ़ेगा।

रेलवे पथिकायें

*२६९८. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री १९५५–५६ के रेलवे आय-व्ययक पर हुई सामान्य चर्चा में उपमंत्री के भाषण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरेनी की कोयले खदानों में पिथकाओं के प्रभारों का पुनरीक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय की दर क्या है ; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो इसके कारण क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख) . यह विषय अभी विचाराधीन हैं।

(ग) वास्तविक आंकड़ों के एकत्रित किये जाने की आवश्यकता और अपेक्षित वास्तविक आंकड़ों पर, जो कि बहुत उलझे हुए से हैं और जिन का सम्बन्ध अन्य बातों से भी है, विचार करने के कारण।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सिंगरेनी की कोयले खदानों के प्रबन्ध ने रेलवे को इस बात की सूचना दी थी ?

श्री अलगेशन : हां, श्रीमान, और माननीय सदस्य ने भी आय-व्ययक के समय इस विषय में हमें सूचित किया था।

श्री टी० बी० विट्ठलराव : कम्पनी का यह अभ्यावेदन रेलवे बोर्ड को कब प्राप्त हुआ था ?

श्री अलगेशन : मेरे पास वह तिथि नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : लगभग किस महीने में?

श्री अलगेशन : श्रीमान, मुझे याद नहीं है।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड की यह अभ्यावेदन अट्ठारह महीने पहले प्रस्तुत किया गया था ?

श्री अलगेशन : हो सकता है। मैं तो समझा था कि समय और अधिक होगा। यह तो एक बड़ा ही उलझा हुआ प्रश्न है। यह सच है कि मध्य रेलवे की अन्य कोयला खदानों में लगाये गये प्रभावों और सिंगरेनी कोयला खदानों में लगाये गये प्रभावों में विभिन्नता है। हम इस समस्त विषय पर विचार कर रहे हैं। और हम शीघ्र ही इसका कोई निर्णय करेंगे।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : जब कभी भी निर्णय हो तो क्या उसे भूतलसी प्रभाव से लागू किया जायगा ?

श्री अलगेशन : इस के लिये मैं अभी कुछ नहीं कह सकता।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या मैं जान सकता हूं कि निश्चय किये जाने की कब तक सम्भावना है ?

श्री अलगेशन : मैंने आय-व्ययक सम्बन्धी चर्चा में भी कहा था कि यह काम जल्दी ही किया जायेगा। यही बात मैं अब भी कहता हूं।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : जब यह दर समस्त भारत में एक रुपया है, तो फिर रेलवे बोर्ड को इस अन्तर को दूर करने में किन विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

श्री अलगेशन : हम ने मध्य रेलवे से सूचना मांगी है। मध्य रेलवे द्वारा दी गई सूचना पूरी नहीं है और हम ने अग्रेतर सूचना मांगी है उस सूचना के प्राप्त होने पर, कोई निर्णय किया जायेगा।

डाक कर्मचारी संघ

*२६६३. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक तथा तार संघों के पूर्ण हो जाने के पश्चात् अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के दसवें संघ को मान्यता प्रदान करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो वह अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी संघ को किस प्रकार बनाने की प्रस्थापना करती है, और इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ; और

(ग) यदि उपरोक्त मांग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो सरकार नये संघ को कब मान्यता प्रदान करने की प्रस्थापना करती है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). समस्त प्रश्न की विस्तृत जांच की जा रही है। परन्तु मैं यह बता दूं कि बहुत से अतिरिक्त विभागीय अभिकर्त्ता राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों आदि के कर्मचारी हैं और इसलिये इन वाहन निकायों के अनुशासन सम्बन्धी नियमों के अधीन हैं। यदि ऐसे व्यक्तियों को किसी अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी संघ में, यदि डाक तथा तार विभाग द्वारा उसे मान्यता प्रदान की गई तो, सम्मिलित होने की अनुमति दे दी जाये तो इस से उनके नियोजकों को परेशानी होगी और स्थिति बहुत अनियमित हो जायेगी। परन्तु ऐसे अतिरिक्त विभागीय अभिकर्त्ताओं को, जो बाहरी व्यक्ति हैं, या अन्य नियोजकों के अधीन उन की सेवा सम्बन्धी शर्तें मत्सहित नहीं होती हैं, पुनः मिलों संघों की किसी उपयुक्त शाखा में सम्मिलित होने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : देश में अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और उन की कितनी प्रतिशतता राज्य सरकारों अथवा स्थानीय बोर्डों के अन्तर्गत आती है ?

श्री राज बहादुर : यह संख्या कोई ५१,२०० है, जिस में से २,८०० सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं, २०,१०० अन्य विभागों के सरकारी कर्मचारी हैं और २८,३०० अन्य हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : माननीय मंत्री ने कहा कि उनके संघ बनाने के अधिकार को मान्यता प्रदान करने की प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है। उन्होंने राज्य सरकारों तथा स्थानीय बोर्डों के कर्मचारियों की कठिनाइयां भी बताई हैं। तो क्या हम अतिरिक्त विभागीय कर्मचारीवर्ग के संगठन के विषय में सरकार के सिद्धान्तों तथा नीति का कुछ आभास प्राप्त कर सकते हैं।

श्री राजबहादुर: मूल प्रश्न के उत्तर में मैंने यह भी बता दिया है कि हम उनके पुनः मिल संघों की उपयुक्त, शाखा में सम्मिलित होने का स्वागत करेंगे।

श्री मुनिस्वामी : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि फैडरेशन पहले ही सरकार द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है, क्या इस अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी वर्ग को सम्मिलित करने के प्रश्न पर उस समय विचार नहीं किया गया था ?

श्री राज बहादुर : मेरे विचार से यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । फैडरेशन में नौ संघ सम्मिलित हैं और यह एक पृथक् प्रश्न है।

चीनी का निर्यात

*२६६६. **श्री इब्राहीम** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५–५६ में चीनी की कितनी अनुमानित मात्रा निर्यात के लिये उपलब्ध होगी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): अभी यह बताना कि क्या हम को चीनी का आयात करना पड़ेगा या हमारे पास चीनी का अतिरेक होगा समय से बहुत पहले की बात है।

परन्तु अगणना के अनुसार, किसी भी अतिरिक्त चीनी के आयात करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि मद्रास में राब अथवा गुड़ की बहुत अधिक परिमात्रा इकट्ठी की जा रही है और क्या सरकार इस राब से कुटीर उद्योग आधार पर चीनी बनाने के जैसी कोई कार्यवाही करेगी जिससे कि वह निर्यात के लिये उपलब्ध हो सके ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : कुटीर आधार पर राब से चीनी बनाने की कोई प्रस्थापना नहीं है । परन्तु यदि कोई निर्माता ऐसा करना चाहें, तो उनको ऐसा करने की छुट्टी है । सरकार की ओर से ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : माननीय मंत्री ने कहा कि निर्यात के सम्बन्ध में कोई अनुमान नहीं लगाया गया है । क्या निर्यात की कोई सम्भावना है

श्री ए० पी० जैन : इस समय किसी निश्चितता के साथ कुछ कहना असंभव है । अगला पिराई मौसम नवम्बर से प्रारम्भ होगा और केवल उसी समय हम यह जानने की स्थिति में होंगे कि हमारे पास कितना स्टॉक है, कितनी खपत होगी और इन आंकड़ों के आधार पर ही कोई परिणाम निकाले जा सकते हैं ।

नारियल उत्पादन

*२६८५. **श्री इब्राहीम** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में नारियल की मांग की तुलना में उसके उत्पादन में कितने प्रतिशत कमी है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : लगभग १० प्रतिशत ।

श्री आल्तेकर : सरकार ने नारियल का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की है ।

डा० पी० एस० देशमुख : इस सम्बन्ध में हमने साधारण कार्यवाही की है, अर्थात् पौधों के फार्मों की संख्या बढ़ा दी है, पेड़ों की बीमारियों और कीटाणुओं पर रोक लगा रखी है, और किसानों एवं अन्य लोगों को अधिक अच्छी फसल प्राप्त करने के सम्बन्ध में मंत्रणा दी है । आगामी पंचवर्षीय योजना में इस काम के लिए हमारा एक प्रस्ताव भी है जिस पर लगभग ७० लाख रुपये की लागत आएगी ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या इस सम्बन्ध में कोई अनुसंधान किया गया है कि वर्तमान पेड़ों में अधिक फल लगें ?

डा० पी० एस० देशमुख: मैं आशा करता हूं कि यह इस समय होने वाले अनुसंधानों में इस बात की भी जांच की जा रही है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या नारयिल के उत्पादन के लिये आसाम राज्य को कोई सहायता दी गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : कदाचित् मैं बिना पूर्व सूचना के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता।

श्री ए० एम० थामस : क्या कारण है कि मांग से कम का उत्पादन होते हुए भी नारियल के मूल्य में एक दम कमी हुई है, और क्या केन्द्रीय नारियल समिति तथा त्रावनकोर-कोचीन सरकार से केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, तथा सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

डा० पी० एस० देशमुख : मूल प्रश्न से शायद ही ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता हो, अस्तु; मेरे पास इसकी जानकारी नहीं।

भूमि का कृषि योग्य बनाया जाना

*२६६९. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना के अधीन कांस से घिरी भूमि तथा जंगल भूमि को कृषियोग्य बनाने का काम निश्चित समयानुसार चल रहा है ; और

(ख) क्या योजना अवधि में ही भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए निर्धारित लक्ष्य समय पर ही प्राप्त होगा ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां।

(ख) आशा की जाती है कि योजना अवधि के समाप्त होने से पहले ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी।

श्री विश्वनाथ राय : प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितनी एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने का लक्ष्य निश्चित किया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्री मान् प्रारम्भ में जब यह योजना चलाई गई तो १४ लाख एकड़ का लक्ष्य था किन्तु १९५२ में इसमें परिवर्तन हुआ और ११ लाख एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने का लक्ष्य निश्चिय हुआ। अब तक इससे अधिक भूमि को कृषि योग्य बनाया जा चुका है।

श्री विश्वनाथ राय : क्या सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश में भूमि को कृषि योग्य बनाने की नई योजनाओं की ओर आकर्षित किया गया है ?

डा० पी० एस० देशमख : राज्यों की इस प्रकार की कई योजनाएं हैं और हमारी भी। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य उनमें से किस की ओर निर्देश कर रहे हैं।

श्री विश्वनाथ राय : इस तथ्य को ध्यान में रखतेहुए कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ने बहुत अच्छा काम किया है, क्या इसके कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जाएगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, हमारा भी यही मत है, और हमें इस संगठन के काम और गतिविधियों में वृद्धि करने से बहुत प्रसन्नता होगी।

प्रश्नों के लिखत उत्तर

गाड़ी के तीसरे दर्जे के डिब्बे

*२६६५. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे में इस समय तीसरे दर्जे के कितने डिब्बों का प्रयोग किया जा रहा है ?

(ख) कितने तीसरे दर्जे के डिब्बों मे अब तक पंखे लगाये जा चुके हैं ; और

(ग) बाकी डिब्बों में पंखे लगाने का क्या कार्यक्रम है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाह नवाज खां) : (क) २१५६ ।

(ख) ७१० ।

(ग) जो डिब्बे १-४-४९ को २० वर्ष से कम के थे उन में पंखे लगाने का कार्य-क्रम है । यह कार्य दो तीन वर्षों में पूरा होने की आशा है ।

बीकानेर रेलवे वर्कशाप

*२६६८. **श्री पी० एल० बारूपाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीकानेर रेलवे वर्कशाप से १९५२–५३ और १९५४ तक की कालावधि में कितने मूल्य के धातु के सामान आदि चुराये गये ;

(ख) उक्त काल में वर्कशाप से माल चुराते हुए कितने व्यक्ति पकड़े गये ;

(ग) कितने व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालयों में मुकदमे निलम्बित हैं ; और

(घ) कितने व्यक्तियों को सजा दी गई ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) १९५२-५३ में ५३ रुपये और १९५४ तक १,५८४ रुपये ।

(ख) ३१-१२-५४ तक १५ ।

(ग) कोई नहीं ।

(घ) केवल एक ।

राष्ट्रीय कृषक अभिसमय

*२६७२. **श्री भगवत झा आजाद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल १९५५ के प्रथम सप्ताह में नई दिल्ली में एक कृषक अभि समय बैठी थी; और

(ख) उस में क्या विनिश्चय किये गये ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हां ।

(ख) अभिसमय के पूर्ण सत्र में पारित किये गये सकल्पों की एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखी जाती है । **देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ५३**]

टिड्डी दल

*२६७८. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को राज्य सरकारों से कोई प्रतिवेदन मिले हैं कि वर्ष १९५५ में देश में कुल कितने टन और कुल कितने कितने मूल्य की फसलों की हानि हुई ; और

(ख) यदि हां, तो ये आंकड़े गत वर्ष की तुलना में कैसे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) अब तक किसी हानि का प्रतिवेदन नहीं मिला ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ग्राम महिला सेविकाएं

*२६८०. **डा० सत्यवादी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार भारत सेवक समाज द्वारा ग्राम सेविकाओं को प्रशिक्षण देने की जो योजना चलाने वाली है उस की मुख्य विशेषतायें क्या हैं और उस पर कितना वित्त व्यय होगा; और

(ख) क्या प्रशिक्षार्थियों को कोई छात्रवृत्तियां दी जायेंगी और यदि हां, तो कितनी राशि की ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) और (ख). खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के पास, भारत सेवक समाज द्वारा ग्राम सेविकाओं को प्रशिक्षण देने की कोई प्रस्थापना नहीं है । तो भी ग्राम सेविकाओं को प्रशिक्षण देने के लिये राज्यों में गृह अर्थ-शास्त्र विभाग स्थापित करने हेतु हाल ही में एक योजना की मंजूरी दी गई है । इस योजना की मुख्य विशेषताओं और उस पर किये जाने वाले व्यय का एक विवरण लोक सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ५४**] ।

मालदा हवाई अड्डा

*२६८१. **श्री एस० एम० घोष** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालदा में एक हवाई अड्डा बनाने का कार्य चालू वर्ष में आरम्भ हो जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस के पूर्ण निर्माण में कितना समय लगेगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). पश्चिमी बंगाल सरकार को कहा गया है कि वे मालदा में हवाई अड्डा बनाने के लिये अपेक्षित भूमि का अर्जन करें और भूमि के अर्जन और उस पर कब्जा करने के पश्चात् ८ मास के बीच में यह परियोजना पूरी होने की आशा है ।

चीनी की मिलें

*२६८८. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में बिहार राज्य से किसी अन्य राज्य में किसी चीनी मिल को हटाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मिल मालिकों ने उससे अपनी सहमति प्रगट की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल होता ही नहीं ।

नासूर

*२६९३. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार इस देश की ग्रामीण जनता को नासूर के भयानक रोग के लक्षणों और खतरों के सम्बन्ध में शिक्षित करने के लिए किसी प्रस्थापना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्थापना किस प्रकार की है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) तथा (ख). स्वास्थ्य शिक्षा विभाग नासूर के सम्बन्ध में ग्रामीण जनता को भी शिक्षा देने का कार्य अवश्य करेगा ।

डाक कर्मचारियों की सहकारी समितियां

*२६९५. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डाक कर्मचारियों की सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने और उनका विकास करने के लिए क्या विशेष सुविधाएं दी गई हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : अपेक्षित जानकारी का एक विवरण लोक सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ५५**]

खाद्य का आयात

*२६९७. **श्री इब्राहीम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई से अक्तूबर १९५४ तक की कालावधि में खाद्यान्न और खाद्य पदार्थों के आयात में कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त कालावधि में डालर और स्टर्लिंग क्षेत्रों से पृथक् पृथक् कितने मूल्य की आयात हुई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) यदि इस से पूर्व के चार मास की कालावधि से तुलना की जाये तो उत्तर नकारात्मक है ।

(ख) डालर क्षेत्र से लगभग ७७६ लाख रुपये और स्टर्लिंग क्षेत्र से लगभग ३९०२ लाख रुपये की आयात की गई ।

बालपक्षाघात निवारक टीका

*२६९९. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि हाल ही में अमरीका में 'साल्क' नाम के नये बालपक्षाघात निवारक टीके का खोज किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस देश में प्रयोग के लिए इस टीके की पर्याप्त मात्रा आयात करने के हेतु शीघ्र कार्यवाही करना चाहती है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी हां ।

(ख) इस बालपक्षाघात निवारक टीके के प्रभाव के सम्बन्ध में प्रमाणिक वैज्ञानिक ब्यौरा और टीके के प्रमाणीकरण के ढंग के सम्बन्ध में ब्यौरा मांगा गया है । इन ब्यौरों की परीक्षा करने के पश्चात् इसे देश में प्रयोग करने के लिए आयात करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

वार्त्ता व्यवस्था

११०५. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५४ में उत्तर रेलवे की सभी स्तरों पर वार्ता व्यवस्था अधीन कितनी बैठकें हुईं ;

(ख) बैठकों में कितने अभ्यावेदन आये;

(ग) कितनी मदों पर सहमति हुई और अब तक किन को कार्यान्वित किया गया है ; और

(घ) सहमति प्राप्त मदों को कार्यान्वित करने में यदि कोई देरी हुई तो उस के क्या कारण है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ४३ ।

(ख) २,५७४ ।

(ग) १,१०९ ।

(घ) वार्ता व्यवस्था अधीन की गई बैठकों में रेलवे प्रशासन ने जिन मदों पर सहमति दी उनको कार्यान्वित करने में कोई अनुचित देरी नहीं हुई, परन्तु कतिपय मदों को कार्यान्वित करने में काफी समय लगता है क्योंकि आवश्यक ब्यौरा एकत्र करना होता है और परीक्षा करनी होती है । अन्य कारणों से भी देरी होती है, उदाहरणतः छुटटी पर गये कर्मचारियों के स्थान पर रखे जाने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में निर्णय को लागू करते हुए कतिपय श्रेणियों में प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी थी ।

राशन विभाग के भतपूर्व कर्मचारी

११०६. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर १९५४ से असैनिक संभरण विभाग के कितने भूतपूर्व कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के विभागों में लिया गया है ; और

(ख) कितने अभी लिए जाने वालों की सूची में है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) तथा (ख). जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

केन्द्रीय सरकार का यंत्रीकृत फार्म

११०७. **चौधरीमुहम्मद शफी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और काश्मीर में केन्द्रीय यंत्रीकृत फार्म के आरम्भ किये जाने के पश्चात अब तक उसमें कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस फार्म में कितने ट्रैक्टर चलाये जा रहे हैं और उस पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है ; और

(ग) कुल वार्षिक लाभ या हानि क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण लोक सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ५६**]

डाक सम्बन्धी सुविधायें

११०८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५४–५५ में उत्तर प्रदेश के पांच पहाड़ी जिलों अर्थात्, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, अलमोड़ा, नैनीताल, और गढ़वाल में किन किन स्थानों पर निम्न सुविधायें दी गई अथवा हटाई गईं :—

(१) नय डाकघरों का खोला जाना ;

(२) तार सम्बन्धी सुविधाओं का दिया जाना ;

(३) नये सार्वजनिक टेलीफोन के कार्यालय और टेलीफोन एक्सचेंज;

(४) तारघरों, सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों, टेलीफोन एक्सचेंज और डाकघरों का बन्द किया जाना ; और

(५) विभागातरिक्त डाकघरों का विभागीय डाकघरों में बदला जाना

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर):

(१) जिला देहरादून के देबरी, अशोक आश्रम, प्रेमनगर, रिफ्यूजी केम्प देहरादून थनो और तपोवन में ।

टिहरी गढ़वाल के चमियाला, क्वीला-खल, ग्याँला मुखेन, डंगी, किलकेश्वर, कथूर, कोदियाला, सिल्काखल, छेराबधेर, धारकोट, मजोफ, भटवारी, धनारी, और खंडारी में ।

जिला अल्मोडा के भगतोला, पंखू, खटोली, लखन दोराम, क्वाली, अलागारा, दुनागिरि, पोलहाल, खाली और मनीला में ।

जिला नेनीताल के अजुंजपुर, धनचोली, कुंडेश्वरी, बिस्ट इस्टेट और डिग्री कालिज नैनीताल में ।

जिला गढ़वाल के कंडा, कल्ला, भीरा, सुइंसी, उपरेनखल, कलाजीखल, खिरसू, कोथली, कंडारा, जमला खल, सल्द महादेव, मसोनचोथान, धरदू, मताइ, दामेदवल, रातुरा, सेंधी खल, देवीखा, जखसिमाला, मल्ला, सल्लोगी, लमगौंडी और तिंदवारा में ।

(२) १. कीर्तिगर (पोरी)

२. अहरत बाजार (देहरादून)
३. भीमकोदा (देहरादून)

(३) सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय :
१. डाक पत्थेर (देहरादून)
टेलीफोन कार्यालय
१. रूद्रपुर (नैनीताल)
२. किछा (नैनीताल)
३. चनहरपुर (देहरादून)

(४) कोई नहीं ।

(५) विभागातिरिक्त शाखा डाक-घर गरविंग (अल्मोड़ा) और विगातिरिक्त शाखा डाक-घर जहरी खेल गरबिंग (अल्मोड़ा) इन कार्यालयों को विभागीय उप कार्यालयों में बदला गया ।

डाक तथा तार शिविर

११०९. चौधरी महम्मद शफी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मातपन लाइन डाक तथा तार शिविर पहले केवल तीन वर्षों के लिये अस्थायी आधार पर बनाया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि इस शिविर में कतिपय बैरकों को रहने के लिये खतरनाक घोषित किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो कर्मचारियों को कोई उपयुक्त स्थायी आवास देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) उन्हें वैकल्पिक आवास देने में कितना समय लगेगा और उस पर कुल कितनी राशि व्यय करने का विचार है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) मातपन लाइन डाक तथा तार शिविर उन अस्थायी बैरकों में स्थित हैं, जिन्हें सेना प्राधिकारियों ने युद्धकाल में बनाया था । ऐसे कोई प्रभिलेख उपलब्ध नहीं जिन में यह बताया गया हो कि ये बैरकें कितने वर्ष चलेंगी परन्तु साधारणतः यह समझा जाता है कि ऐसी बैरकें तीन से पांच वर्ष तक चलती हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) बैरकों में से जिस एक के सम्बन्ध में यह बताया गया था कि उस की स्थिति खतरनाक है उसे खाली कर दिया गया है और उस में रहने वाले कर्मचारी को वैकल्पिक आवास दे दिया गया है । लोक निर्माण विभाग के परामर्श से अन्य जिन बैरकों को खतरनाक घोषित किया जायेगा उन्हें बारी बारी खाली किया जायेगा और उन की मरम्मत की जायेगी । इन आवासियों के लिये क्वार्टर बनाने की प्रस्थापना को अनुमोदित किया जा चुका है ।

(घ) लगभग २½ से ३ वर्ष, लगभग १८·० लाख रुपये ।

डाक तथा तार भवन

१११०. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९४७ से १९५४ तक के वर्षों में (वर्षानुसार) कितनी लागत का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया और पूरा किया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि संचार मंत्रालय ने डाक तथा तार विभाग के भवनों के प्रमापों के सम्बन्ध में निश्चय किया है ;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने इन प्रमापों के अनुसार अब तक कितने भवन बनाये हैं ; और

(घ) १९५५-५६ में ऐसे कितने भवन बनाये जायेंगे ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :

वर्ष	व्यय
	(रुपये)
१९४७-४८	५४,७७,०००
१९४८-४९	८१,४९,११२
१९४९-५०	९१,०८,०८१
१९५०-५१	९७,८६,००५
१९५१-५२	१,००,५९,७३६
१९५२-५३	१,२२,४०,५४२
१९५३-५४	१,०८,७२,८४१
१९५४-५५	१,०८,७३,१४१

(ख) छोटे डाक घरों के रूपरेखा के नमूने बना लिये गये हैं । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग प्रत्येक स्थान की आवश्यकता के अनुसार निर्माण सम्बन्धी प्रमाप तैयार करता है ।

(ग) १९५४ तक २१ ।

(घ) १२७ के लिये उपबन्ध किया है ।

मलेरिया निवारक औषध

१११९. श्री एस० एन० दास : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २ दिसम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न ६७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) उस औषध के सम्बन्ध में की गई जांच का क्या परिणाम निकला है जिस के सम्बन्ध में कहा गया है कि वह मलेरिया के उपचार के लिये कुनीन से दस गुना प्रभावी है ;

(ख) क्या यह औषध वाणिज्यिक अभिप्राय से बनायी जाती है ; और

(ग) क्या यह प्रयोगात्मक प्रयोजनों के लिये प्राप्त की गई है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) से (ग). मास्को में भारत के राजदूत द्वारा की गई जांच से पता चलता है । कि यह जानने के लिये व्यवहारिक चिकित्सा में यह तैयार की गई औषध कितनी लाभदायक है उसे उन क्षेत्रों में प्रयोग किया जा रहा है जहां मलेरिया फैला हुआ है । और कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

खरीफ की फसल

१११२. { डा० राम सुभग सिंह :
श्री बी० एन० राय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५४-५५ में जितने एकड़ भूमि में खरीफ की फसल काश्त की गई, वह १९५३-५४ की अपेक्षा कम थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कालावधि में कितने एकड़ भूमि में खरीफ की फसलों की काश्त की गई ; और

(ग) उक्त कालावधि में खरीफ की कितनी फसल हुई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). एक विवरण शामिल किया जाता है जिस में अब तक मिली हुई जानकारी दर्ज की गई है । [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ५७**]

भारतीय नौवहन

१११३. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक भारतीय तटपोत कलकत्ता से मद्रास के प्रत्येक चक्कर में औसत कितना कोयला ले जाता है ;

(ख) क्या एसे तटपोतों को मद्रास या अन्य पत्तनो से वापसी पर भी माल मिल जाता है ; और

(ग) प्रत्येक तटपोत को प्रत्येक चक्कर में औसत आय क्या होती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) लगभग ६,५०० टन ।

(ख) इन तटपोतों को मद्रास या अन्य पत्तनों से वापसी पर ले जाने के लिये प्रायः कम ही माल मिलता है ।

(ग) प्रत्येक चक्कर में एसे तटपोतों की कुल औसत आय का अनुमान लगभग १,७५,५०० रुपये प्रति चक्कर है ।

गाड़ियों के डिब्बे और इंजन

१११४. **ठाकुर यगल किशोर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री ७ अप्रैल, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या २०६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन देशों से ४०७ डिब्बे आयात किये गये हैं और कौन रेलवे विभाग उन का प्रयोग कर रहे हैं ; और

(ख) भारतीय निर्मित डिब्बों की तुलना में इन डिब्बों की लागत और इन की सुविधायें कैसी हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) बेलजियम, इंगलैंड, स्विटजरलैंड और जापान के मध्य, पूर्वी और दक्षिण रेलवे विभागों को दिये गये हैं ।

(ख) आयात किये गये डिब्बों पर उसी प्रकार के भारत में निर्मित्त डिब्बों की तुलना में कुछ अधिक लागत आती है जबकि आयात किये गये डिब्बों में दी गई सुविधायें सामान्यतः वही हैं जो देशी प्रमाणिक डिब्बों में हैं ।

उत्तर बिहार में वायु चर्या

१११५. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर बिहार के किसी शहर को उत्तर बिहार से जाने वाली किसी नियमित वायु-चर्या से सम्बद्ध करने का कोई विचार है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : जी नहीं । इस समय पटना और मुजफ्फरपुर को छोड़कर, जो कलकत्ता, काठमांडू और कलकत्ता। दिल्ली वाली मार्ग में रुकने वाले वायुचर्याओं से संबद्ध हैं, उत्तर बिहार के किसी नये शहर को वायु मार्ग से संबद्ध करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

सुपारी का उत्पादन

१११६. **श्री इब्राहीम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपारी के वार्षिक उत्पादन की राज्यवार मात्रा क्या है ; और

(ख) उद्योग में लगे हुए व्यक्तियों की राज्यवार मध्यमान संख्या क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ५८]**

(ख) इस विषय में कुछ भी विश्वस्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

नई रेलवे लाइन

१११७. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे पर दूसरी पंचवर्षीय योजना में कोलाघाट, माचदा, भोगपुर या तामलुक शहर से हो कर पंचकुरा से कोंटाई तक एक नई लाइन खोलने का प्रस्ताव किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किसके द्वारा किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, माचदा से दीघा तक तामलुक और कोटांई होकर।

(ख) राज्य सरकार द्वारा।

दूसरी पंच वर्षीय योजना में रेलवे लाइनें

१११८. **श्री पी० एल० बारूपाल** : क्या रेलवे मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में नई रेल की लाइनों के खोलने के लिये अभी तक किन-किन राज्य सरकारों ने अपने प्रस्ताव भेजे हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : दूसरी पंचवर्षीय योजना में नयी लाइनें बनाने के सम्बन्ध में अब तक इन राज्यों से सुझाव आये हैं :--

(१) आन्ध्र को छोड़ कर 'क' और 'ख' के सभी राज्य।

(२) विलासपुर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और मनीपुर को छोड़ कर 'ग' भाग के सभी राज्य।

नकली दवाइयां

११२०. **श्री ए० आर० सेवल** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) देश में घटिया किस्म की और नकली दवाइयां बनाने वाले ऐसे कितने निर्माताओं को अभी तक दवाओं के निर्माण के उद्योग के संचालन की जांच पड़ताल करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त की गई भेषजीय जांच समिति द्वारा की गई जांच के फलस्वरूप, अर्थदण्ड अथवा कारावास दण्ड दिया गया ; और

(ख) क्या ऐसे उपायों के फलस्वरूप स्थिति में सुधार हुआ है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) औषधि (संशोधन) अधिनियम, १९५५ के अधीन, जैसा कि फार्मास्युटिकल जांच समिति ने सिफारिश की है, नकली और घटिया किस्म की दवाएं तैयार करने वालों को सख्त सज़ा दी जाती है। पार्लियामेन्ट ने हाल में ही यह ऐक्ट पास किया है और १५ अप्रैल, १९५५ से लागू हुआ है। भारत सरकार के पास कोई सूचना नहीं मिली है जिससे मालूम हो कि विभिन्न राज्यों में वैसी दवा तैयार करने वाले को इस ऐक्ट के अधीन जुर्माना या जेल की सज़ा मिली है।

(ख) इतनी जल्दी ऐक्ट के परिणाम के बारे में पता लगाना सम्भव नहीं।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

११२१. **श्रीमती मायदेव** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि १९५४-५५ में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के लिये अंशदान के रूप में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से कितनी राशि प्राप्त की गयी ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : उल्लिखित समय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

भारतीय वायुमार्ग निगम

११२२. श्री टी० बी० विटठल राव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारतीय वायुमार्ग निगम द्वारा बनाये गये आचरण नियम औद्योगिक रोज़गार (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६ के, जो कि निगम पर लागू हैं, उपबन्धों के अनुरूप नहीं हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : औद्योगिक रोज़गार (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६ की धारा ३ की उपधारा (२) के अधीन किसी उपक्रम के सम्बन्ध में बनाये गये नियम जहां तक सम्भव हो, उपयुक्त अधिनियम में दिये गये आदर्श नियमों के अनुरूप होने चाहिये। भारतीय वायुमार्ग निगम द्वारा बनाये गये आचरण—नियम प्रायः आदर्श नियमों के अनुसार ही हैं। निगम द्वारा इन नियमों को प्रमाणीकृत कराने के लिये भी आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है।

भूतपूर्व एयर इंडिया लिमिटेड के कर्मचारी

११२३. श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वायू निगम अधिनियम, १९५३ की धारा ३० कीउपधारा (२) के अधीन सरकार द्वारा निकाले गये निर्देशों का इंडियन एयर लाइन्स और एयर इंडिया इंटरनेशनल निगमों द्वारा भूतपूर्व एयर इंडिया लिमिटेड से निकाले गये उसके बारह कर्मचारियों के बारे में पालन किया गया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : भारत सरकार ने वायु निगम अधिनियम १९५३ की धारा २० की उपधारा (२) के अधीन वायु निगमों को आदेश दिया था कि ये निकाले गये बारह कर्मचारी "नये भरती हुए व्यक्ति" के रूप में दुबारा लगा लिये जायें। वायु निगमों ने इन आदेशों का पालन किया है, पर इनमें से दो कर्मचारियों ने, जिनको एयर इंडिया इंटरनेशनल ने नियुक्ति का वचन दिया था, विहित कालावधि में अपनी स्वीकृति नहीं भेजी और उसे समाप्त हो जाने दिया।

रेलवे नियुक्तियां

११२४. श्री रामजी वर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान फरवरी, १९५५ के "रेलवे वर्ल्ड," नई दिल्ली में प्रकाशित हुए एक लेख की ओर आकर्षित किया गया है, जिस में उत्तर रेलवे के चिकित्सा पदाधिकारी के विरुद्ध अनेक आरोप थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). जी हां। यदि आवश्यक हुआ, तो संबंधित रेलवे इस विषय की जांच करेंगी।

डिब्बों की कमी

११२५. श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र राज्य के राज्यपेट ताल्लुक के फल उत्पादकों से वहां पर फलों के निर्यात के लिये डिब्बों की कमी के बारे में हाल में कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, राज्यपेट के केला बेचने वालों से दक्षिण रेलवे प्रशासन को अभ्यावेदन मिले हैं कि बैकुल्ला को सवारी गाड़ियों से केलों के परिवहन की व्यवस्था सम्बन्धी सुविधायें पर्याप्त नहीं हैं ।

(ख) साधारणतः राज्यपेट स्टेशन पर बैकुल्ला को निर्यात के लिये आने वाली केलों की खेपों के ले जाने में कोई देर नहीं हुई है । मार्च महीने में किसी भी खेप के ले जाने में देर नहीं हुई, केवल १० मार्च को गाड़ी में जगह न होने से ऐसा हुआ था अप्रैल में १६ तारीख तक रोज माल लादा जाता रहा, केवल ३, ६ और ११ तारीखों को दूसरे दिन भेजा गया ।

फल उत्पादन

११२६. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वर्ष में फल-उत्पादन के विकास के लिये राज्यवार कितनी राशि स्वीकृत की गयी थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन): एक विवरण, जिस में वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिये "अधिक अन्न उपजाओ" के अन्तर्गत फल-उत्पादन योजनाओं के लिये स्वीकृत की गयी राशि दी गयी हैं, लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ५९**]

मोटर गाड़ी करारोपण

११२७. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मोटरगाड़ी करा-रोपण के बारे में करारोपण जांच आयोग की सिफारिश के अनुसार एक सी नीति पनाना चाहती है, और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रश्न पर विचार करने के लिये राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :(क) और (ख) यह मामला विचाराधीन है ।

देहाती डाक वितरक सेवा

११२९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहातों में डाक साइकिलों से भी बांटी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो १९५४ में साइकिल डाक सेवा द्वारा कुल कितने मील की दूरी तय की गयी ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां, जहां भी संभव हो ।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा के पटल पर रख दी जायगी ।

डाक टिकट

११३०. **श्री कजरोल्कर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी डाक टिकटों पर 'अस्पृश्यता दूर करो' नारे की मुहरें लगाने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां ।

(ख) उपयुक्त नारों के चुनाव का परीक्षण हो रहा है ।

नये डाक घर

११३१. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी से मार्च, १९५५ तक के समय में कितने नये डाकघर खोले गये हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर):

देहाती	शहरी
२२७२	११४

स्थानीय, स्वशासन मंत्रियों का सम्मेलन

११३२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिमला में जून, १९५४ में हुए स्थानीय, स्वशासन मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा बनाये गये तदर्थ निकाय के कृत्य क्या हैं ; और

(ख) इस तदर्थ निकाय ने देहाती और शहरी जल संभरण के बारे में योजना आयोग के पास क्या प्रस्ताव भेजे हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) तदर्थ निकाय राज्यों में महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रमों जैसे कि जल संभरण, नाली आदि के हेतु ऋण और अर्थ सहायता के लिये विभिन्न स्थानीय निकायों की आवश्यकताओं का निर्धारण करने के लिये और पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में इस प्रयोजन से निधि के आवंटन के बारे में योजना आयोग से बातचीत करने के लिये बनाया गया था ।

(ख) तदर्थ निकाय ने योजना आयोग से अगस्त, १९५४ में सिफारिश की कि पहली पंचवर्षीय योजना के शेष काल में पूरे देश की जल संभरण, नाली और कूड़ा-करकट से सम्बन्धित योजनाओं के लिये ५० करोड़ रुपयों की राशि की व्यवस्था की जाये ।

भारत-पाकिस्तान रेल यातायात

११३३. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ अप्रैल, १९५५ को, कराची में भारत के पुनर्वास मंत्री और पाकिस्तान के संचार मंत्री के बीच हुई बातचीत की समाप्ति के बाद, जारी किये गये संयुक्त विज्ञप्ति में भारत और पाकिस्तान के बीच जिन चार रेलवे लाइनों की चर्चा की गई उन को फिर से चालू करने पर अनुमानतः कितना व्यय होगा;

(ख) यह लाइनें यातायात के लिये कब खोली जायेंगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) दोनों सरकारों की ओर से जारी की गयी विज्ञप्ति में बताया गया है कि दोनों सरकारों ने नीचे दिये गये स्टेशनों के बीच चार सीधी सवारी गाड़ियां चलाने की बात मान ली है :—

(१) सहारनपुर होकर लाहौर (पाकिस्तान) और कलकत्ता (भारत) ;

(२) लाहौर (पाकिस्तान) और दिल्ली (भारत) ;

(३) दिल्ली होकर लाहौर (पाकिस्तान) और बम्बई ; और

(४) खोखरापार होकर हैदराबाद सिंध (पाकिस्तान) और अहमदाबाद (भारत) ।

सीधी गाड़ियां चलाने से खर्च बढ़ने की कोई सम्भावना नहीं है क्योंकि ये डिब्बे उन सवारी गाड़ियों के साथ जोड़ दिये जायेंगे जो भारत के इन सेक्सनों पर पहले से चल रही हैं ।

नीचे लिखी दो नयी रेलवे लाइनों के चालू करने पर जो खर्च होगा उसकी सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल

(Table of the House) पर रख दी जायेगी :—

(१) कसूर (पाकिस्तान)—फिरोज़पुर (भारत) ;

(२) खोखरापार (पाकिस्तान) और फिरोज़पुर (भारत) ।

(ख) जनरल मैनेजर, उत्तर रेलवे की सलाह से इस पर विचार किया जा रहा है । सहारनपुर होकर लाहौर और कलकत्ता के बीच सीधी गाड़ियां चलाने के सम्बन्ध में यह फैसला हुआ है कि १ जून, १९५५ से इस लाइन को चालू करने की पूरी कोशिश की जाये ।

यात्रियों को सुविधायें

११३४. श्री एस० एन० दास : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ-कटिहार सेक्शन पर मुहीउद्दीन नगर रेलवे स्टेशन पर पीने के लिये और नहाने के लिये पर्याप्त जल देने की कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है ;

(ख) क्या इस स्टेशन पर यात्रियों को यह सुविधायें देने के लिये कोई कार्यक्रम है ; और

(ग) यदि हां, तो वह किस प्रकार का है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) मुही उद्दीनपुर नगर स्टेशन पर पीने के लिए हर समय ठण्डा और ताजा पानी मिलता है । लेकिन यहां नहाने का कोई प्रबन्ध नहीं है क्योंकि यह एक छोटा स्टेशन है और यहां थोड़े से लोग गाड़ी पर चढ़ते और उतरते हैं ।

(ख) और (ग) इस स्टेशन पर नहाने के लिए कोई प्रबन्ध करने का विचार नहीं है ।

देहाती अर्थ व्यवस्था

११३५. श्री संगण्णा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि इंजीनियर, फोर्ड मोटर कम्पनी और रॉयल कृषि सभा के परामर्शदाता श्री सेम्युएल राइट दिसम्बर, १९५४ में इस देश की देहाती अर्थ व्यवस्था का अध्ययन करने के लिये भारत आये थे ;

(ख) यदि हां, तो वह किन-किन राज्यों में गये ; और

(ग) भारतीय देहाती अर्थ व्यवस्था के बारे में उन का क्या विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ऐ० पी० जैन) : (क) से (ग) . योजना आयोग ने पहली पंचवर्षीय योजना में यह सिफारिश की थी कि देश में एक ट्रैक्टर परीक्षण केन्द्र स्थापित किया जाये । चूंकि यह बात बहुत ही तकनीमी स्वरूप की है, कोलम्बो योजना के अंतर्गत एक परामर्शदाता की सेवायें सरकार को परियोजना के लिये योजना बनाने में परामर्श देने के लिये मांगी गयी थीं । ब्रिटिश अधिकारियों ने श्री राइट का नाम लिया, जो २९-१-१९५५ को भारत पंहुचे । तब से वह ट्रैक्टर परीक्षण केन्द्र सम्बन्धी बातों पर स्थानीय अधिकारियों से बात चीत करने के लिये भोपाल, नागपुर और यू० पी० तथा जम्मू की यात्रा कर चुके है । वह इन स्थानों पर भारत की देहाती अर्थ व्यवस्था का अध्ययन करने के लिये नहीं गये थे ।

श्री राइट ने ट्रैक्टर परीक्षण केन्द्र और उस के लिये सामग्री के समाहार के बारे में कुछ सुझाव दिये हैं, जिनका परीक्षण भारत सरकार कर रही है । उन की सिफारिश

पर प्रयोगात्मक रूप से यह निर्णय किया गया है कि यह केन्द्र केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन, नया पूसा, नई दिल्ली में स्थित हो । श्री राइट का वर्तमान कार्यकाल अप्रैल, १९५५ तक है ।

मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े

११३६. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २६ फरवरी, १९५३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३१७ के उत्तर के सम्बन्ध में सभा के पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगी, जिस में भारत संघ में (१) मलेरिया (२) तपेदिक (३) हैजा और (४) चेचक के कारण १९५१ से १९५४ तक हुई मृत्युओं की संख्या दी गयी हों ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : भारत में महत्वपूर्ण और स्वास्थ्य सम्बन्धी आंकड़ों के संग्रह की सुविधाओं के न होने के कारण इस विषय पर पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है । भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के आधार पर बनाया गया एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ६०]**

भूमि की उर्वरता

११३७. श्री इब्राहीम : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूमि की उर्वरता बढ़ाने की दृष्टि से विभिन्न रासायनिक खादों और उर्वरकों के डालने, सिंचाई, बीच में जगह रखने, खेती की एक दूसरे के अंतर्गत किस्मों और फसलों के बदलने के संयुक्त प्रभाव की जांच करने के लिये परीक्षणों के बारे में भारत की भूमि संरक्षण सभा की सिफारिशें मान ली हैं ; और

(ख) क्या इस प्रयोजन से नदी घाटी क्षेत्रों में प्रायोगिक केन्द्र बनाये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) और (ख). भारत की भूमि संरक्षण सभा द्वारा की गयी सिफारिशें केन्द्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड के विचराधीन हैं ।

भारतीय वायुमार्ग निगम

११३८. श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वायुमार्ग निगम के कितने कर्मचारियों को आई० एन० ए० कोलोनी में क्वार्टर मिले हुए हैं ; और

(ख) असैनिक उड्डयन के कर्मचारियों को कितने क्वार्टर दिये गये हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) भारतीय वायुमार्ग निगम के किसी भी कर्मचारी को आई० एन० ए० कोलोनी में क्वार्टर नहीं दिया गया है ।

(ख) १११ ।

समुद्री पदाधिकारी और इंजीनियर

११३९. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत तीन वर्षों में प्रशिक्षण पोत "डफरिन", समुद्री इंजीनियरिंग कालेज, कलकत्ता और नौवहन और इंजीनियरिंग कालेज बम्बई में प्रशिक्षित पदाधिकारियों और इंजीनियरों की कुल संख्या क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगशन) : अपेक्षित सूचना नीचे दी जाती है :—

प्रशिक्षण पोत "डफरिन"	१४२
समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण निदेशालय	९४
नौवहन और इंजीनियरिंग कालेज	६५८
योग	८९४

भारतीय नौवहन

११४०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय भारत या बम्बई के भारतीय नौवहन के पास अयस्क ढोने के कितने जहाज हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : भारतीय नौवहन समवायों के पास विशेष रूप से अयस्क की भांति का मोटा माल ले जाने के लिये तो जहाज नहीं है । फिर भी, साधारण माल ले जाने वाले किसी भी जहाज द्वारा अयस्क माल भी ले जाया जा सकता है और इस प्रकार भारतीय नौवहन समवायों की सामान्य माल ले जाने वाले जहाजों को अयस्क ले जाने वाले जहाज कहा जा सकता है । भारतीय नौवहन समवायों के पास ऐसे ५५ जहाज हैं ।

रेल के डिब्बे

११४१. **श्री सारंगधर दास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी से ३१ मार्च १९५५ तक के समय के दौरान में खान के स्वामियों को बाराजम्दा क्षेत्र से कलकत्ते के किद्दरपुर डाक तक अयस्क का निर्यात करने के लिये प्रतिदिन कितने मालगाड़ी के डिब्बों की आवश्यकता पड़ी ;

(ख) इस क्षेत्र के लिये पूर्व रेलवे द्वारा प्रतिदिन कितने डिब्बों का संभरण किया गया ;

(ग) क्या सरकार को खान के स्वामियों और उड़ीसा के वाणिज्य मंडल से इस प्रकार के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि इस क्षेत्र में प्रयोजन के लिये डिब्बों का संभरण नहीं किया जाता ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है या की जाने वाली है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). खान के स्वामियों के सम्बन्ध में ही पृथक रूप से यह सूचना उपलब्ध नहीं है । फिर भी, बाराजम्दा क्षेत्र से के० पी० डाक्स को मैगनीज और लौह अयस्क ले जाने के लिये विभिन्न माल भेजने वालों, जिन में खान के स्वामी भी सम्मिलित हैं, के द्वारा जनवरी, फरवरी, और मार्च, १९५५ में की गई पंजीबद्ध मांगों और संभरण किये गये डिब्बों के आंकड़े नीचे दिये जाते हैं:—

जनवरी से मार्च, १९५५ तक कुल मांगें, जिनमें ३१–१२–५४ तक ४२८ मांगे सम्मिलित है, और २६ ऐसी मांगें भी सम्मिलित है, जिनका आवंटन ३१–१२–५४ को कर दिया गया था, परन्तु सामान जनवरी, १९५५ में भेजा गया	४,५५५
१ जनवरी से ३१ मार्च १९५५ तक कुल लदे हुये डिब्बे जिन म ३१–१२–५४ को आवंटित २६ डिब्बे भी सम्मिलित हैं . . .	४,०००
अतः, ३१–३–५५ को कुल बकाया	५५५

जनवरी से मार्च, १९५५ के दौरान में पंजीबद्ध मांगों के दैनिक औसत और संभरण किये गये डिब्बों के दैनिक औसत, जिन में पहले के समय के बकाया भी सम्मिलित हैं, की स्थिति निम्न प्रकार है :—

मांगों के पंजीयन का महीना	पंजीबद्ध डिब्बों की मांगों का दैनिक औसत (दिसम्बर १९५४ की बकाया मांगों को छोड़कर)	माल के डिब्बों के संभरण का दैनिक औसत
जनवरी १९५५	७१	४९
फरवरी १९५५	२९	२८
मार्च १९५५	४८	५५

इन औसतों में १ से कम की संख्या नहीं दिखायी गई है।

(ग) संभरण की अपर्याप्तता के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं।

(घ) बाराजम्दा क्षेत्र से किद्दरपुर डाक्स में मैंगनीज और लौह अयस्क निर्यात के लिये ले जाने की मांगों को २४ दिसम्बर, १९५४ तक पूर्णतः पूरा किया जाता रहा था। तब से, यातायात की कुल मांगों में काफी वृद्धि हो जाने के कारण जैसा कि प्रायः अधिक काम के दिनों में हो जाता है, निर्यात के अयस्कों को उसी प्रकार ले जाते रहना सम्भव नहीं हो सका। श्लाघ्य सुधार की तभी आशा की जा सकती है, जब कुल मांगों में पर्याप्त रूप से कमी हो जाये जैसा कि मंदी के दिनों में भूतकाल में प्रायः होता रहा है। तो भी, १०-४-१९५५ की बकाया मात्रा से जैसा कि निम्नलिखित तुलनात्मक आंकड़ों से दिखाई देता है, कुछ सुधार हुआ है :—

मास	बकाया मांगें
जनवरी १९५५	*६५५ (३१-१-५५ को)
फरवरी १९५५	६९१ (२८-२-५५ को)
मार्च १९५५	५५५ (३१-३-५५ को)
अप्रैल १९५५	३८६ (१०-४-५५ को)

*३१-१२-५४ की बकाया ४२८ सहित।

केन्द्रीय यंत्रीकृत फार्म कर्मचारी संघ

११४२. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान (नन्दपुर, जम्मू और काश्मीर) केन्द्रीय यंत्रकृत फार्म कर्मचारी संघ के कतिपय पदाधिकारियों के अभिकथित पीड़न की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) और (ख). सम्भवतः सदस्य केन्द्रीय यंत्रकृत फार्म के दो कर्मचारियों के पदच्युत किये जाने की ओर निदेश कर रहे हैं। यह सच नहीं है कि उन्हें पीड़ित किया गया है। सरकार उन्हें असंतोषजनक कार्य और आचरण के कारण पदच्युत करने के लिये बाध्य हो गई थी।

काम दिलाऊ दफ्तर

११४३. **डा० रामा राव** : क्या श्रम मंत्री वर्ष १९५४ में काम दिलाऊ दफ्तर में पंजीबद्ध अनुसूचित जातियों के प्रवर-स्नातक

मैट्रीकुलेट, और अनुसूचित जातियों के अन्य प्रार्थियों की राज्यानुसार संख्या का एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : १९५४ में काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीबद्ध अनुसूचित जातियों के प्रार्थियों की शिक्षा सम्बन्धी अर्हताओं की राज्यानुसार जानकारी उपलब्ध नहीं है । केवल उन उम्मीदवारों की जानकारी रखी जाती है, जो वर्ष के अन्त में चालू पंजी में होते हैं । (१) १९५४ में काम दिलाऊ दफ्तरों में (राज्यानुसार) पंजीबद्ध अनुसूचित जातियों के कुल प्रार्थियों की संख्या और (२) अनुसूचित जातियों के स्नातकों, प्रवर-स्नातकों, मैट्रीकुलेटों और अन्य की स्थिति जो १९५४ के अन्त में चालू पंजियों में पंजीबद्ध थे, के विवरण लोक सभा पटल पर रखे जाते हैं । **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ६१]**

डाक तथा तार कर्मचारिवृन्द के लिये न्यायाधिकरण

११४४. **चौधरी महम्मद शफी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग के पीड़ित कर्मचारियों की याचिकाएं सुनने के लिए सब सर्कलों में अपीलीय न्यायाधिकरण नियुक्त करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त न्यायाधिकरण कब नियुक्त किया जायेगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) डाक तथा तार विभाग में अखिल भारतीय आधार पर या खण्ड के आधार पर अपीलीय न्यायाधिकरण नियुक्त करने की एक प्रस्थापना पर सरकार विचार कर रही है ।

(ख) विषय की अभी जांच की जा रही है ।

बेजवाडा रेलवे स्टेशन

११४५. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेजवाड़ा में स्टेशन के यार्ड को नये तौर पर निर्माण करने में अब तक कितनी राशि व्यय हुई है ;

(ख) मूल योजनाओं में यदि कोई परिवर्तन किये गये हों तो वे क्या हैं ; और

(ग) इस के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) से (ग). फरवरी १९५५ के अन्त तक १,३०,४७२ रुपये । यार्ड के स्थान में परिवर्तन के सिवाय व्यवहार्यतः और कोई परिवर्तन नहीं किया गया । नये यार्ड की पहली प्रस्तावित जगह के लिए एक नीची उपजाऊ कृषि भूमि का अर्जन करना था जिस पर काफी खुदाई का काम करने की आवश्यकता पड़ती । अतः भूमि के धस जाने के कारण यार्ड का कार्य वहां से हटाने की सम्भावना को दूर करने पर कोई व्यय करने से पूर्व ही जगह को बदल दिया गया था ।

नई रेलवे लाईन

११४६. **श्री बबराघस्वामी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है कि दक्षिण रेलवे में कम्बक नाम, टी पालर, जमानकोंडम और अडीमाडम होती हुई नीड़मंगलम और विरधाचलम को मिलाने वाली एक रेलवे लाईन बनाई जाए:

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) कुम्बकनाम से विरधाचलम तक रेलवे लाईन बनाने के लिए एक अभ्यावेदन मिला है ।

(ख) जुलाई, १९५२ में ।

(ग) प्रस्थापना राज्य सरकार को भेज दी गई थी जिस की यह राय थी कि अन्य अन्यावश्यक लाइनों के बनाने के पश्चात् इस परियोजना पर विचार किया जा सकता है ।

पैरम्बलूर सार्वजनिक टेलीफोन

११४७. **श्री बूबराघस्वामी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार मद्रास के तिरुचि जिला में पैरम्बलूर के सार्वजनिक टैलीफोन को बन्द करना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार को पैरम्बलूर के लोगों की ओर से कोई ज्ञापन मिला है कि वहां से सार्वजनिक टैलीफोन न हटाया जाये ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). पैरम्बलूर का सार्वजनिक टैलीफोन १९५२ में प्रत्याभूति के आधार पर लगाया गया था । प्रत्याभूति देने वाले ने पूरा भुगतान नहीं किया । यदि बकाया राशि का भुगतान न किया गया तो सार्वजनिक टैलीफोन को बन्द करने की बात पर विचार किया जायेगा ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

चावल अभिजनन केन्द्र

११४८. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कटक में सितम्बर, १९५५ से ३ मास के लिये चावल अभिजनन का एक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की कोई प्रस्थापना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : जी हां ।

भूमि समस्याओं का केन्द्र

११४९. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूमि समस्याओं के उस केन्द्र में जिसे थाईलैंड सरकार और एफ० ए० ओ० ने आई० एफ० ओ०, ई० सी० ई० एफ० ई० और अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के सहयोग से २२ नवम्बर, से ११ दिसम्बर, १९५४ तक चलाया था; भारत के प्रतिनिधि गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उस केन्द्र के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि भविष्य में ऐसे और भी केन्द्र खोले जायेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हा ।

(ख) केन्द्र का उद्देश्य केन्द्र में भाग लेने वालों को यह अवसर देना था कि वे एशिया और दूर पूव की भूमि समस्याओं और विशेषत: भूमि अधिकार सम्बन्धी समस्याओं पर चर्चा कर सकें और इन समस्याओं को हल करने के लिये बनाई गई राष्ट्रीय नीतियों और विधानों सम्बन्धी अनुभव के बारे में विचार विनिमय कर सकें ।

(ग) हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

चीनी विकास परिषद

११५०. **डा० रामा राव :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी उद्योग विकास परिषद् ने आरम्भ से क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ख) उन में से किन को अब तक लागू किया जा चुका है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) चीनी उद्योग के विकास परिषद ने अब तक निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :

(१) परिषद भारतीय माणक संस्था का स्थायी सदस्य होना चाहिये।

(२) भिन्न भिन्न प्रकार की चीनी के लिये परिषद् द्वारा सुझाये गये भिन्न भिन्न संशोधित मूल्य अपनायें जाने चाहियें ।

(३) सीरे पर केन्द्रीय नियंत्रण स्थापित होना चाहिये ।

(४) चीनी के कारखानों की टेक्निकल क्षमता में सुधार करने के लिये एक विस्तार सेवा स्थापित की जाये ।

(५) चीनी टेक्नालोजिस्ट संथा के प्रकाशन के व्यय को पूरा करने के लिये संथा को ५,००० रुपये की अर्थ-सहायता दी जाये ।

(६) बचे खुचे सीरे में से चीनी निकालने की नई प्रक्रिया पर बड़े पैमाने के प्रयोग करने के लिये सराया डिस्टिलरी को ६१,००० रुपये की अर्थसहायता दी जाये ।

(७) डा० एम० एंन० राव द्वारा गन्ने का मोम बनाने की गवेषणा के लिये आंध्र' विश्वविद्यालय को २४,६०० रुपये की अर्थ-सहायता दी जाये ।

(ख) विभिन्न सिफारिशों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में स्थिति निम्न है :

मद संख्या १ कार्यान्वित की जा चुकी है ।

मद संख्या २ के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया है, परन्तु चीनी के भाव पर नियंत्रण न होने के कारण संशोधित विभिन्न मूल्यों की अभी अभिसूचना नही दी गई ।

मद संख्या ३ की परीक्षा की जा रही है ।

मद संख्या ४-७ यह निश्चय करने के लिये विचाराधीन हैं कि विकास परिषद् द्वारा प्रस्तावित योजनाओं को वित्त सहायता किस संसाधन से दी जाय ।

मालटा-खजूरिया रेल सम्बन्ध

११५१. **श्री एस० एम० घोष :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मालटा-खजूरिया लाईन पर निर्माण कार्य आरम्भ किया जायगा ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक समाप्त होने की आशा है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अभी यह नहीं बताया जा सकता ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

डाक तथा तार विभाग (भर्ती)

११५२. श्रीमती सुचेता कृपालानी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार प्रशासनीय कार्यालयों में अपर डिवीजन क्लर्कों की भर्ती की क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि यद्यपि अधिकतर पदों पर नियुक्तियां केवल मौखिक परीक्षा कर के चुनाव द्वारा की जाती है, तो भी इसी विभाग में लोअर डिवीजन क्लर्कों को परीक्षा देनी पड़ती है; और

(ग) यदि हां, तो इस भेद-भाव के क्या कारण हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) पचास प्रतिशत रिक्तियों के लिये बाहर के लोगों में से उन के स्नातक की परीक्षाओं में प्राप्त किये गये नम्बरों के आधार पर भरती की जाती है । पच्चीस प्रतिशत रिक्तियों के लिये अधीन कार्यालयों के ६०/१७० रुपये के वेतन क्रम वाले कर्मचारियों में से उचित लोगों के चुनाव द्वारा भरती की जाती है । शेष २५ प्रतिशत रिक्तियों में सम्बन्धित कार्यालय के पात्र लोअर डिवीजन क्लर्कों में से डाक तथा तार गाइड और संक्षेप-लेखन की परीक्षा में क्रमानुसार योग्यता के आधार पर लिया जाता है ।

(ग) उद्देश्य यह है कि चुनाव प्रतियोगिता द्वारा किया जाय । बाहर के लोगों के सम्बन्ध में यह उद्देश्य स्नातक-परीक्षा के नम्बरों की तुलना कर के पूरा हो जाता है और ऐसा लोअर डिवीजन क्लर्कों की पदोन्नति के सम्बन्ध में नहीं किया जा सकता क्योंकि वैभागिक उम्मीदवारों के लिये शिक्षा सम्बन्धी अर्हता पर बल नहीं दिया जाता ।

श्री किदवई का स्मारक

११५३. सेठ गोविन्द दास : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में स्वर्गीय श्री किदवई का कोई स्मारक बनाने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : एक स्मारक निधि के लिये जनता से अपील की गई है और इस निधि के हिसाब रखने के लिये एक समिति बनाई गई है । हाल में तो श्री रफी अहमद किदवई जी की यादगार में बाराबंकी जिले के मसौली गांव में एक छोटी लेकिन शानदार कब्र, एक बुनियादी प्राथमिक स्कूल, एक लड़कियों का जुनियर स्कूल और एक बच्चों का पार्क बनाने का विचार किया गया है । यह भी विचार किया जा रहा है कि निधि की हैसियत को ध्यान में रखते हुए योग्य विद्यार्थियों को वजीफा दिया जाय और राजनीतिक हलचल में जिन लोगों ने कष्ट सहे उन्हें मदद की जाये ।

विदेशी विशेषज्ञ

११५३-क. श्री इब्राहीम : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन इस समय काम करने वाले विदेशी विशेषज्ञों की संख्या बताने की कृपा करेंगे?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : १२ ।

खण्ड ४—अंक ५१

२८ अप्रैल, १९५५ (गुरुवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

(खण्ड ४ में अंक ४६ से अंक ५८ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली।

६ आने (देश में) २ शिलिंग (विदेश में)

140 LSD

विषय-सूची

	स्तम्भ
पटल पर रखे गये पत्र--	
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगों (रेलवे) के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उ।	५०७९
राज्य सभा से सन्देश	५०७९
सभा का कार्य	५०८०-८१,५१८६
अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—	
खंड ३ से १७ और अनुसूची--	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	५०८१-५१८०
हैदराबाद निर्यात शुल्क (मान्यीकरण) विधेयक--विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	५१८०-८४
पंडित जी० बी० पन्त	५१८०-८१, ५१८३-८४
श्री साधन गुप्त	५१८१-८२
श्री मुहीउद्दीन	५१८२
डा० सुरेश चंद्र	५१८२-८३
श्री एच० जी० वैष्णव	५१८३
खंड १ और २	५१८५
पारित करने का प्रस्ताव—	५१८५-८६

	स्तम्भ
पटल पर रखे गये पत्र—	
मद्रास मनोरंजन कर आन्ध्र (संशोधन) अधिनियम, १९५५	४५९१
आन्ध्र भवन अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, १९५५	४५९१
आन्ध्र सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, १९५५	४५९२
भारतीय विमान नियम, १९३७ में संशोधन, एक व्याख्यात्मक टिप्पण	४५९२
सहित—चाय नियम, १९५४ में संशोधन	४५९२
सम्पदा शुल्क नियम, १९५३, में संशोधन	४५९२–४५९३
विदेशी व्यक्तियों का पंजीयन अधिनियम, १९३९ के अन्तर्गत विमुक्ति की घोषणा—	४५९३–४५९४
१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगें (रेलवे) के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर	४५९४
राज्य सभा से सन्देश	४५९४
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्ताईसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४५९४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
किरकी में सेना के वर्कशाप के व्यक्तियों द्वारा हड़ताल	४५९५–९७
सभा का कार्य	४५९७
वित्त-विधेयक	४५९७–४६०९
अनुसूचियां तथा खंड १	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव स्वीकृत	४६०९–४६३०
प्रधान सेनापति (पद नाम में परिवर्तन) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत	४६३०–४६३४
खंड १ से ३ तथा अनुसूची	४६३२–४६३३
भारत में राज्य बैंक विधेयक—	४६३४
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४६३५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संम्बधी समिति—	
अट्ठाईसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	४६३६
बाहों तथा नापों के बारे में संकल्प—संशोधित रूप में पारित	४६३६–४६५५
केन्द्रीय कृषिवित्त निगम के बारे में संकल्प—असमाप्त	४६५५–४६८४
अंक ४७— शनिवार, २३ अप्रैल, १९५५	
भारत का राज्य विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४६८५–४७७०
सभा का कार्य	४७७०
संख्या ४८—सोमवार, २५ अप्रैल, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव—	
पुर्तगाली प्राधिकारियों द्वारा कतिपय सत्याग्रहियों का निर्वासन	४७७१–४७७२
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति —	

	स्तम्भ
समितियों के लिये निर्वाचन—	
भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति	४७७२–४७७३
प्राक्कलन समिति	४७७३
लोक-लेखा समिति	४७७३
राज्य सभा के सदस्यों को लोक-लेखा समिति में रखने के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत	४७७४
अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग विधेयक—पुरःस्थापित—	४७७४
भारत का राज्य बैंक विधेयक—	
विचार के लिये प्रस्ताव—स्वीकृत	४७७४–४८७८
राज्य सभा से सन्देश—	४८७८
अंक ४९—मंगलवार, २६ अप्रैल, १९५५	
पटल पर रखे गये पत्र—	
अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम के अधीन अधिसूचना	४८७९
भारत में प्रथम साधारण निर्वाचन सम्बन्धी प्रतिवेदन, १९५१–५२—खंड १ (साधारण)	४८७९
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें	४८७९–४८८०
बीमा (संशोधन) विधेयक—	४८८०–४८८७
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४८८०–४८८२
श्री बी० आर० भगत	४८८२–४८८४
श्री के०के० बसु	४८८४–४८८५
श्री मात्तन	४८८७
खण्ड १ और २	४८८७
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	
भारत का रक्षित बैंक श्री बी० आर० भगत (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४८८७–४९१६
खण्ड १ से ११	४९१६–४९२०
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४९२०
भारतीय रेलें (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४९२०–४९२२
खण्ड १ और २	४९२२
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४९२२
हिंदू विवाह विधेयक—	४९२२–४९८४
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४९२४
राज्य सभा से संदेश	४९८२
अंक ५०—बुधवार, २७ अप्रैल, १९५५	
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
उनतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४९८५
तारांकित प्रश्न संख्या २२८२ के उत्तर में शुद्धि	४९८५–४९८६
अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४९८६–५०६०

अंक ५१—गुरुवार, २८ अप्रैल, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—

१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगें (रेलवे) के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर . . ५०७९

राज्य सभा से संदेश . . ५०७९

सभा का कार्य . . ५०८०–५०८१,५१८६

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक

खंड ३ से १७ और अनुसूची . . . .

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . ५०८१–५१८०

हैदराबाद निर्यात शुल्क (मान्यीकरण) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . ५१८०–५१८४

खण्ड १ और २ ५१८५

पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . ५१८५–५१८६

अंक ५२—शुक्रवार, २९ अप्रल, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . . ५१८७

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना ५१८७–५१८८

सभा का कार्य— ५१८९–५१९८,५२०२

हिन्दू विवाह विधेयक, राज्य सभा से पारित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . ५१८९,५१९८,५२०२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सत्ताईसवां तथा उनतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . ५२३०–५२३१

भारतीय बाल दत्तक-ग्रहण विधेयक—पुरःस्थापित . . . ५२३१

जाति भेद उन्मूलक विधेयक .

विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . ५२३१–५२४४

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव—वापस लिया गया . . . ५२४५–५२६५

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४३५ का संशोधन)

विचार करने का प्रस्ताव—अ समाप्त ५२६५–५२८०

अंक ५३—शनिवार, ३० अप्रैल, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—

एयर इण्डिया इण्टरनेशनल कारपोरेशन का प्रथम प्रतिवेदन . . ५२८१

संचार मंत्रालय अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ५८९, दिनांक १२-३-५५ . . . . ५२८१

सभा की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—नवां प्रतिवेदन —उपस्थापित . ५२८२

	स्तम्भ
प्राक्कलन समिति—	
कार्यवाही उपस्थापित	५२८२
बांडुंग में हूए अफ्रेशियाई सम्मेलन के बारे में वक्तव्य . . .	५२८२–५२९५
भारत का राज्य बैंक विधेयक—	
खंडों पर विचार—समाप्त . .	५२९५–५४५८
खंड २ से ५३ और १ . . .	५२९५–५४३०
अनुसूची एक से चार	५४३०–५४५८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	५४५८–५४७२
सरकारी मकानादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—	
प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय—बढ़ाया जाना .	५४७२–५४७४

अंक ५४—सोमवार, २ मई, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—	
कानपुर में श्रम स्थिति .	५४७५–५४७७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	५४७७
राज्य-सभा से सन्देश	५४७८
पटल पर रखे गये पत्र—	
दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार, १९५३–५४ के संतुलन पत्र और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन आदि	५४७८
दिल्ली राज्य विद्युत बोर्ड का १९५४–५५ का पुनरीक्षित प्राक्कलन और १९५५–५६ का आयव्ययक प्राक्कलन . .	५४७९
याचिका समिति—	
पंचम प्रतिवेदन—उपस्थापित	५४७९
अनुपस्थिति की अनुमति . . .	५४७९
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिन्दी का प्रयोग	५४८०–५४८२
नागरिकता विधेयक —पुरःस्थापित . .	५४८२
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	५४८३
हिन्दू विवाह विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	५४८३–५५६८
समवाय विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित	५५६८
सभा का कार्य	५६१४

अंक ५५—मंगलवार, ३ मई, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
लोक-ऋण (प्रतिकर बंध) नियम, १९५४	५६१५–५६१६
लोक-ऋण (वार्षिकी पत्र) नियम, १९५४	५६१५–५६१६

	स्तम्भ
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति . . .	५६१६
तृतीय प्रतिवेदन—उपस्थापित	५६१६
समितियों के लिये निर्वाचन—	
भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति . .	५६२२
टेकनिकल शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् . . .	
ब्रिटेन से आने वाले सूती वस्त्र पर आयात शुल्क में कमी के बारे में वक्तव्य	५६१६–५६१७
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
कोसी परियोजना के काम के सम्बन्ध में आरोप	५६१७–५६२२
हिन्दू विवाह विधेयक—	
खंडों पर विचार—असमाप्त	५६२३–५७५२
खंड २ से १२ .	५६२३–५७५२

अंक ५६—बुधवार, ४ मई, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—	
पुर्तगाली प्राधिकारियों द्वारा कुछ सत्याग्रहियों का निर्वासन .	५७५३–५७५८
कानपुर में श्रम स्थिति	५७५८–५७६२
पटल पर रखे गये पत्र—	
प्रशुल्क और व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार का पुनर्विलोकन . .	५७६२
सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही के विवरण .	५७६२–५७६३
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त का ३१ दिसम्बर, १९५४ को समाप्त होने वाली अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन.	५७६४
समवाय विधेयक पर साक्ष्य .	५८४८
राज्य सभा से सन्देश . .	५७६४–५७६८
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में पटल पर रखा गया .	५७६८
हिन्दू विवाह विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में खंडों पर विचार—	
असमाप्त	५७६८–५८४७, ५८४८–५९१६
खंड ९ से १२ . .	५७६८–५७७९
खंड १३ से १८ . .	५७७९–५८४७
खंड १९ से २३ . .	५८७२–५८९२
खंड २४ से २८ . .	५८९२–५९१६

अंक ५७—गुरुवार, ५ मई, १९५५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
हिन्दी आयोग की नियुक्ति . .	५९१७–५९१९
राज्य सभा से सन्देश	५९१९

	स्तम्भ
आश्वासनों सम्बन्धी समिति—	
दूसरा प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	५९१९
तारांकित प्रश्न संख्या २४३५ के उत्तर में शुद्धि .	५९१९
हिन्दू विवाह विधेयक—	
खंडों पर विचार—समाप्त	५९२०
खंड २४ से ३० और १ . .	५९२०–५९४१
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	५९४१–५९८०
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—	
संयुक्त समिति के बारे मे प्रस्ताव—असमाप्त .	५९८१–६०६८

अंक ५८—शनिवार, ७ मई, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगों (रेलवे) के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों क उत्तर	६०६९
सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं पर आय-व्ययक वाद-विवाद में उठाई गई बातों के बारे में ज्ञापन	६०६९–६०७०
हीराकुड बांध परियोजना में अनियमितताओं पर की गई कार्यवाही की प्रगति के बारे में वक्तव्य	६०७०
तारांकित प्रश्न संख्या १७५० के उत्तर में शुद्धि	६०७०–६०७१
पांडिचेरी की वस्त्र मिलों के बारे में वक्तव्य .	६०७१–६०७३
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग में बेकारी . . .	६०७३–६०७५
लोक-प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—वापस लिया गया	६०६५–६०७६
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	६०७६
भारतीय टंकन (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	६०७६–६०७७
भूमि सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	६०७७
सभा का कार्य	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन	६०७७–६०७८
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—	
संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त	६०७८–६१८७
श्री चिनारिया का निधन—	६१८७–६१८८

लोक-सभा

गुरुवार, २८ अप्रैल, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

१२ बजे मध्याह्न

पटल पर रखे गये पत्र

१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगों (रेलवे) के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : मैं सभा पटल पर कुछ ऐसे विवरणों की एक-एक प्रति रखता हूं, जिनमें १९५५-५६ के अनुदानों की मांगों (रेलवे) के सम्बन्ध में सदस्यों के कुछ ज्ञापनों के उत्तर दिये गये हैं । **देखिये परिशिष्ट १३, अनुबंध संख्या १]**

राज्य सभा से सन्देश

सचिव : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि लोक-सभा द्वारा २२ अप्रैल, १९५५ को पारित प्रधान सेनापति (पदनाम परिवर्तन) विधेयक १९५५ को राज्य सभा ने बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

सभा का कार्य

अध्यक्ष महोदय : जैसा लोक-सेवा समाचार में बताया गया था, सदन ६ म०प० तक बैठेगा ।

संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : राज्य-भोज के कारण आज सभा ५ बजे तक ही बैठ सकती है । हमने सदस्यों से इस बारे में बात की है । आज के बदले में सभा कल एक घंटे देर तक बैठ सकती है । हम गैर-सरकारी कार्य ३-३० म० प० पर शुरू कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : गैर-सरकारी कार्य के दिन देर तक न बैठने में कठिनाई यह है कि सरकार गणपूर्ति रखने में चाव नहीं लेती ।

श्री सत्य नारायण सिंह : हम गणपूर्ति का ध्यान रखेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : हम कार्य की प्रगति के अनुसार निर्णय करेंगे ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : क्या सभा ५ तारीख को स्थगित हो रही है ?

अध्यक्ष महोदय : पता नहीं. मेरी समझ से तो ५ को ही समाप्त हो जायेगा ।

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं ठीक-ठीक कल बता सकूंगा । ६ की छुट्टी है । यदि अनुसूचित जातियों संबंधी प्रतिवेदन पर चर्चा

[श्री सत्यनारायण सिंह]

हुई, तो हमें ७ तक बैठना पड़ेगा। दुःखद परिस्थिति में हम एक दिन खो चुके हैं।

श्री टी० बी० विट्ठल राव (खम्मम): ७ तारीख को गैर-सरकारी दिन होगा। वह अधिकार हम न छोड़ेंगे।

श्री सत्य नारायण सिंह : शुक्रवार यदि सत्र के बाहर पड़े तो क्या यह गैर-सरकारी दिन होगा ?

अध्यक्ष महोदय : उसके लिये कोई शलाका नहीं हुई है। यह सत्र से बाहर नहीं है। माननीय सदस्यगण चाहें तो और भी तरीके हैं। असमाप्त कार्य की चर्चा अगले सत्र को जा सकती है। इसका निश्चय कल होगा। हमें यथासंभव कार्यक्रम के अनुसार चलना चाहिये।

हमने अभी निश्चय नहीं किया है कि हम ६ बजे तक बैठेंगे। हम कार्य की प्रगति को देखते हुए निर्णय करेंगे।

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब सभा संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक पर खंडशः विचार करेगी।

खंड ३—(धार्मिक निर्योग्यताओं के प्रवर्तित करने के लिये दंड)

अध्यक्ष महोदय : चुने गये संशोधनों की सूची सदस्यों को भेजी जा चुकी है। संख्या ९५ और है। संख्या ९५, ५६, ५८, ५, ६, ५९, २३, ६०, (२३ जैसा ही), ९९ और १०० वाले संशोधन हैं, जिन्हें माननीय सदस्यगण प्रस्तुत करेंगे।

श्री डाभी (कैरा—उत्तर) : मैं संख्या १४३ प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री वेलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा-रक्षित अनुसूचित जातियां): मेरा खंड ३ पर संशोधन संख्या १२६ है।

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कुष्टगी) : मुझे संशोधन संख्या १२५ प्रस्तुत करना है।

श्री लक्ष्मीधर जेना (जाजपुर-क्योंझर—रक्षित अनुसूचित जातियां) : मैं संशोधन संख्या १२० प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री इलयापेरुमाल (कडलूर—रक्षित अनुसूचित जातियां) : मैं संशोधन संख्या ९६ प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री रघुनाथ सिंह (बनारस जिला मध्य): मैं संशोधन संख्या १२७ प्रस्तुत करना चाहता हूं।

खंड ३ पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किये गये :

प्रस्तावक का नाम	संशोधन संख्या
पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुडगांव)	९५
श्री साधन गुप्त (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व)	५६
श्री एन० राचय्या (मैसुर—रक्षित-अनुसुचित जातियां)	५८
श्री खर्डेकर (कोल्हापुर व सतारा)	५
श्री खर्डेकर	६
श्री एन राचय्या	५९
श्री के० सी० सोधिया (सागर)	२३
सेठ अचल सिंह (जिला आगरा पश्चिम)	६०
श्री डाभी	९९
श्री एन० पी० नथवानी (सोरठ)	१००
श्री डाभी	१४३
श्री कृष्ण चंद्र (जिला मथुरा—पश्चिम)	१२६
श्री शिवमूर्ती स्वामी	१२५
श्री लक्ष्मीधर जेना	१२०
श्री इलयापेरुमाल	९६
श्री रघुनाथ सिंह	१२७

अध्यक्ष महोदय : यह सब संशोधन अब सभा के सामने हैं ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : अध्यक्ष महोदय, यह जो अनटचेबिलिटी आफेंसिस बिल इस सदन में पेश किया गया है इस का स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता होती है । जनाबेवाला, इस बिल में जो सब से अहम क्लाज है वह है क्लाज नम्बर (३) इस बिल की सारी अहमियत इस क्लाज तीन में दी हुई है । लेकिन मैंने इस धारा (३) में एक एमेंडमेंट दी है जिसके जरिये में इस क्लाज में कुछ लफ्ज बढ़वाना चाहता हूं । मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपने इस क्लाज में यह जो वर्ड फ्रोम एंटरिंग ऐनी प्लेस आफ पब्लिक वरशिप रखे हैं इनसे काम पूरा नहीं होता । इसमें मंदिरों वगैरह की बात तो कह दी गई हैं लेकिन और बहुत से पब्लिक प्लेसेज हैं और प्रीचिंग प्लेसेज हैं जहां पर वरशिप नहीं होता है लेकिन धर्म वगैरह की बातें यहां पर होती हैं वे इसमें नहीं आते हैं । इस सम्बन्ध में मैं मठों का और गुरु मठों का जिक्र करना चाहता हूं । यह पब्लिक प्लेसेज होती हैं लेकिन यहां पर इन लोगों को दाखिल होने की इजाज़त नहीं होती । अगर यह मठ वगैरह पब्लिक वर्शिप के इल्फाज़ में आ जाते हैं तो दूसरी बात हैं लेकिन अगर ये नहीं आते और मुझे शक है कि ये आते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि यह वर्डज़ इस क्लाज में जोड़ दिये जायें :

> "from entering any place of public preaching or math which is open to other persons or any section thereof; as such persons;"

["सार्वजनिक उपदेश के किसी स्थान या मठ में प्रवेश करने से जोकि दूसरे व्यक्तियों के लिये या उनके किसी वर्ग के लिये ऐसे व्यक्तियों के रूप में खुला हुआ है;"]

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर) । संशोधन की संख्या क्या है ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : सूची संख्या ७ का संशोधन संख्या १२५ ।

[सरदार हुक्म सिंह पीठासीन हुए]

यह बिल एक सिम्पल नौइयत का है और अगर जो मैंने एक यह एमेंडमेंट दी है इस को नहीं मानेंगे और इस बिल में नहीं जोड़ेंगे तो मैं समझता हूं कि आप हरिजन भाइयों के साथ एक बहुत बड़ी बेइंसाफी करेंगे ।

दक्षिणी हिन्दुस्तान में और करनाटक में हम देखते हैं कि इस छुआछूत को खत्म करने के लिए न सिर्फ १९वीं तथा २०वीं शताब्दी में ही प्रयत्न हुए लेकिन इस से भी बहुत पहले प्रयत्न होते रहे हैं । महात्मा बुद्ध ने लोगों को मानवता का सन्देश दिया और इस बात पर ज़ोर दिया कि सब इन्सान एक से हैं ओर छुआछूत की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्हों ने कहा कि हमारी दृष्टि में ऊंच नीच की बात नहीं होनी चाहिए ।

इस तरह के उपदेश उन्हों ने लोगों को दिये । इसी तरह से वीराशैवाज़ जो लिंगयत के नाम से भी पुकारे जाते हैं और मुझे फख्र है कि मैं इसी कौम से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन इस कौमियत के सवाल को छोड़ कर I कहना चाहता हूं कि उन्हों ने भी इसी छुआछूत को मिटाने के खिलाफ आवाज़ उठाई । तो मेरा कहने का मतलब यह है की शुरू से ही इस छुआछूत को दूर करने की कोशिशें होती आ रही हैं । कोइ ८०० साल पहले चालुक्य के राज्य में बधवेश्वर भी हुए और इन सब महा-पुरुषों ने अपने उपदेश इन मठों में और हर जगह और गांव में दिये । लेकिन

[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

अफसोस की बात है कि इस छुआछूत को इस जातपात को खत्म करने के लिये जो लोग उठे और जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और जिन जगहों पर इन्होंने उपदेश दिये वहां पर आज इन हरिजन भाइयों को दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है । इन मठों के दरवाजे आज भी इन लोगों के वास्ते बन्द है । लिहाजा इन मठों के दरवाजे इन भाइयों के लिए भी खोल दिये जायें यह बहुत आवश्यक है । अगर ऐसा नहीं किया जाता तो यह बिल अधूरा ही होगा और जिस परपज को मद्देनजर रखकर यह लाया गया है वह पूरी तरह से हल नहीं होगा। मैं आप को अपना एक अनुभव बताना चाहता हूं । कई सालों से हम मठों में प्रवेश हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते आ रहे हैं और जैसे बाकी जगहों में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है उसी तरह से इन मठों में भी प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। बहुत ज्यादा मुश्किलात के बाद चार पांच मठों में हम प्रवेश करने में सफल हो सक हैं । बाकी मठों के दरवाजे अभी भी हरिजनों के लिए बन्द हैं । अब जब हम इन लोगों को मन्दिरों और दूसरे स्थानों में प्रवेश करने की आज्ञा दे रहे हैं जहां पर कि दूसरी जातियों के लोग जा सकते हैं तो हमें भी देखना चाहिए कि ऐसी जगहों पर जहां प्रीविंग्स होती हैं वहां पर इन लोगों के दाखिले पर कोई पाबन्दी नहीं होनी चाहिए। अगर हम ऐसे स्थानों पर जहां कि कीर्तन वगैरह होता है इन लोगों के जाने पर रोक लगायेंगे तो इससे बहुत मुश्किलात पैदा होंगी और हम कई स्थानों को जहां पर इन लोगों को दाखिल नहीं होने दिया जाता है छोड़ देंगे । लिहाजा मेरी प्रार्थना है कि मठों इत्यादि में भी जहां और लोगों को जाने की इजाजत होती है वहां पर हरिजन भाइयों के दाखिले पर भी कोई रोक नहीं होनी चाहिए । तो इस छुआछूत को दूर करने के लिए जो धर्म उठा था उस धर्म में भी आजकल, मुझे यह कहते हुए शर्म आती है, बहुत से ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो छुआछूत बरत रहे हैं....

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को संशोधन में इतनी देर नहीं करनी चाहिये ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : मैं एक मिनट में समाप्त कर दूंगा ।

आखिर में मैं सिर्फ़ एक धारा और जोड़ने के लिए आग्रह करता हूं और वह यह है कि अछूतों को मठों में प्रवेष करने की स्वतंत्रता होनी चाहिये । हमारे यहां १२ वीं शताब्दी में चालुक्यों के समय में एक हरिजन भाई ने एक ब्राह्मण की बहन से विवाह कर लिया था । उस समय श्री विश्वेश्वर जी ने कहा था ।

"वेदक्वे वरेय कदुवे शास्त्रक्के
विगलवनिक्कुव तर्कक्के
आगमद यूग कोय्युवे नोडय्या,
महादानी कूडल संगमदेवा,
मादर चन्नय्यन मनेयोलु
डंडक्के अड्डबंदोड़े ।"

इस के मानी यह हैं कि अगर वेद या शास्त्र में भी आप देखें तो आप को किसी अछूत जाति का जिक्र नहीं मिलेगा । और अगर कोई आगम या तर्क के आधार पर यह कहे या शास्त्र के आधार पर यह कहे कि यह छूने लायक नहीं है तो ऐसे वेद को बन्द कर के रखो ।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : सूचनार्थ; मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य को यह विदित है कि महाभारत के प्रणेता वेदव्यास जी एक अनुसूचित जाति की स्त्री के पुत्र थे और उनका विवाह उच्च जाति के राजा शान्तनु के परिवार में हुआ था ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : मैं जानता हूं ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : मेरे कहने का मतलब यह था कि यह धारा जो छुआछूत के लिए दी हुई है इस को बढ़ा कर मठों के लिये भी कर दिया जाय ताकि मठ प्रवेष पर रोक न रहे । मेरा अमेंडमेंट यह है :

"from entering any place of public preaching or math which is open to other persons or any section thereof, as such person;"

["सार्वजनिक उपदेश के किसी स्थान या मठ में प्रवेश करने से जो कि दूसरे व्यक्तियों के लिए या उनके किसी वर्ग के लिए ऐसे व्यक्तियों के रूप में खुला हुआ है ;"]

इसमें आप मठ को इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं :

" 'place of public preaching or math' means a place of public, religious or moral preaching for the performance of any religious service including public place of virashaiva math."

[" 'मठ या सार्वजनिक उपदेश के स्थान का अर्थ है किसी धार्मिक कार्य की पूर्ति के लिये नैतिक उपदेश या सार्वजनिक धार्मिक स्थान, जिसमें वीर शैव मठ का सार्वजनिक स्थान भी शामिल है; "]

अगर इस संशोधन को मंत्री महोदय खुले दिल से स्वीकार कर लेंगे तो बहुत से जो मठ हैं उनमें भी अछूतों को प्रवेश मिल जायगा और इस तरह से हम अपने मुल्क से छुआछूत को दूर कर सकेंगे ।

श्री रघुवीर सहाय (जिला एटा—उत्तर पूर्व व जिला बदायूं–पूर्व): सभापति महोदय, इस विधेयक पर जो अमेंडमेंट दिये गये हैं उनकी फेहरिस्त देखने से मालूम हुआ कि मेम्बर साहिबान ने इस बात के संशोधन दिये हैं कि जो सजा कि बिल में तजवीज की गयी है उस सजा में इज़ाफा किया जाय । मेरे दोस्त साधन गुप्त ने इसके बारे में अपने कुछ संशोधन दिये हैं, राचय्या साहब ने दिये हैं, इलयापेरुमाल साहब ने दिये और वीरस्वामी साहब ने दिये हैं । ऐसा मालूम पड़ता है कि मेम्बर साहबान में इस बात की बहस हो गयी है कि कौन ज्यादा सजा तजवीज़ करे । मुझे खुशी इस बात की है आज जब स्पीकर महोदय ने इन संशोधनों के बारे में नोटिस मांगे तो चन्द मेम्बर साहिबान ने अपने प्रस्तावों को आगे नहीं रखा । सिर्फ राचय्या साहब ने और इलयापेरुमाल साहब ने अपने प्रस्ताव रखे । उन्होंने इस बात का संशोधन रखा है कि जहां ५०० रुपया जुर्माना है वहां पर १५०० रुपया कर दिया जाय और जहां पर ६ महीने की सजा रखी गयी है वहां पर तीन साल की सजा रख दी जाय ।

श्री वेलायुधन उठे—

सभापति महोदय : मैं प्रत्येक सदस्य को समय दूंगा, जरा धैर्य रखें ।

श्री पाटस्कर : बहुत से संशोधन हैं। आपके द्वारा मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि संशोधनों पर अधिक समय न लें, क्यों कि केवल तीन ही घंटे हमारे पास हैं ।

सभापति महोदय : हां, पिछले सदस्य से भी मैंने यही कहा था कि माननीय सदस्यगण अपनी बात कहें, साधारण रूप में कही जा चुकी बातें न दुहरायें।

श्री रघुवीर सहाय : एक महानुभाव ने कहा है कि जहां पर ६ महीने की सजा रखी गई है, वहां पर ५ साल की सजा रख दी जाए । जहां तक इन मेम्बर साहबान के देश प्रेम का ताल्लुक है, मैं उसको स्वीकार करता हूं लेकिन जहां तक राजनैतिक अक्लमंदी का ताल्लुक है मुझे उसमें ज़रा शक है कि क्या यह संशोधन बहुत सोच समझ कर रक्खे गये हैं और जिस गरज़ से यह बिल पेश किया गया और कल जिस विद्वत्ता के साथ होम मिनिस्टर ने इस विधेयक को पेश करते समय व्याख्यान दिया क्या उस स्प्रिट को हमारे इन काबिल दोस्तों ने अच्छी तरह महसूस किया और जाना ? और क्या उन्होंने जो पिछला इतिहास इस अस्पृश्यता निवारण का बतलाया उसको कभी अपने ध्यान में लाए ? जब से महात्मा गांधी का साउथ अफ्रीका से यहां पर आगमन हुआ और जिस को तकरीबन ४० साल हुए और जब से उन्होंने कांग्रेस की बागडोर अपने हाथ में ली और उन्होंने मुल्क के सामने स्वराज्य का सवाल पैदा किया और देश की आजादी का सवाल उन्होंने अपने हाथ में लिया.....

सभापति महोदय : चूंकि मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है अतः मैं सभा से पूछना चाहूंगा कि क्या कुछ समय सीमा निश्चित कर दी जाये । सदस्यगण अपने संशोधनों पर पांच मिनट से अधिक न लें ।

श्री रघुवीर सहाय : चेअरमैन साहब, मैं इन संशोधनों का विरोध कर रहा हूं । मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि अपने विचार कम से कम समय में रखूं । हां तो मैं यह कह रहा था ....

सभापति महोदय : आप दक्षिण अफ्रीका में चले गये, इस वास्ते मुझे अर्ज करना पड़ा ।

श्री रघुवीर सहाय : अब मैं हिन्दुस्तान में आ गया हूं । जब महात्मा गांधी यहां पर तशरीफ लाये तो उन्होंने रचनात्मक कार्यों पर ज़ोर दिया और उन्होंने चार रचनात्मक कार्य रक्खे जिनमें कि अस्पृश्यता निवारण को उन्होंने सबसे बड़ी जगह दी और गांधी जी की प्रेरणा से उस वक्त से बराबर अस्पृश्यता निवारण का काम कांग्रेस कर रही है और एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक हिन्दुस्तान में एक जागृति पैदा कर दी गई, लोगों के अन्दर यह भावना पैदा कर दी गई कि जिस तरीके पर अस्पृश्यता पहले से चली आ रही थी, वह बन्द होनी चाहिये ।

उसके बाद चेअरमैन साहब, मैं आपका ध्यान उस पहली और दूसरी राउन्ड टेबल कान्फ्रेंस की ओर दिलाना चाहता हूं और उस वक्त हमारे यहां के कुछ गलत लोगों ने साजिश करके इस बात की कोशिश की कि महात्मा गांधी की कोशिशों पर पानी फेर दिया जाय ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को एक मिनट और मिलेगा ।

श्री रघुवीर सहाय :"वेरी वेल सर"। महात्मा गांधी ने इस बात की कोशिश की कि हरिजन भाइयों को पूरे पूरे अधिकार दिए जायें और आज उन्हीं की बदौलत हमारे हरिजन भाई तमाम असैम्बलीज़, पार्लियामेंट और हर जगह मौजूद हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सब काम कोई सज़ा के डर से किया गया था ? यह काम इसलिये किया गया था कि लोगों के अन्दर एक भावना पैदा हुई और लोगों ने अस्पृश्यता को दूर करना अपना फर्ज़ समझा।

मैं जनाब की इज़ाजत से एक बात और कहना चाहता हूं.....

श्री कासलीवाल (कोटा-झालावाड़) : क्या यह सामान्य चर्चा है ?

श्री वेलायुधन : यह खण्ड के विषय में नहीं है।

श्री रघुवीर सहाय : और वह बात यह है कि जिस वक्त यह बिल पेश किया गया था, हमने यू० पी० के चीफ मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त की कि वह हमको बतलायें कि यू० पी० में क्या काम हुआ है। यू० पी० के तमाम रेकार्ड्स हमारे सामने मौजूद हैं ....

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का समय पूरा हो गया है। मुझे लाचार होकर उनसे रुकने के लिए कहना पड़ रहा है।

श्री रघुवीर सहाय : चेअरमैन साहब की जो कुछ रूलिंग है, वह मेरे सिर, आंखों पर है। मैं इन संशोधनों की मुखालफत करता हूं और मैं यह समझता हूं कि जिस स्प्रिट में यह बिल लाया गया है और सजायें इसमें रक्खी गयी हैं, वह ही काबिले मंजूरी है।

श्री वेलायुधन : मैं ने खण्ड ३ में संशोधन संख्या १२४ की सूचना दी है जिस में यह कहा गया है कि, "जो कोई किसी व्यक्ति को केवल अस्पृश्यता के आधार पर रोकता हो" वाक्य में से "केवल" शब्द को हटा दिया जाये। यदि ऐसा न किया गया तो वैध दृष्टि से भी इस विधेयक का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। हम जो लोग शताब्दियों से इस देश में दुर्व्यवहारों से पीड़ित रहे हैं यह अनुभव करते हैं कि इस विधेयक में यह बड़ी त्रुटि रहेगी। विधि से बचने के और भी कई शब्द प्रयोग किये गये हैं जिन से जले पर नमक छिड़का गया है। संविधान की यह मांग है कि अस्पृश्यता समाप्त की जाय। अतः इस विधेयक में ऐसी किसी चतुराई का प्रयोग नहीं करना चाहिये। गांधी जी का नाम लेकर भावुकता के बखान से हमें कोई सम्बन्ध नहीं है। हमें तो यह देखना है कि अस्पृश्यता को कैसे दूर किया जा सकता है।

व्याख्या में उन व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है जो किसी भी रूप में हिन्दु धर्म में निष्ठा रखते हैं। ऐसी स्थिति में कोई स्वर्ण हिन्दु कह सकता है कि मैं नहीं जानता था कि अमुक व्यक्ति हिन्दू है। इस प्रकार सारा विधेयक ही केवल दिखावा रह जायेगा।

श्री वीरस्वामी (मयूरम--रक्षित अनुसूचित जातियां) : एक नया खण्ड २-क निविष्ट करने के लिए मैंने जो संशोधन रखा था मैं उसके लिए आग्रह नहीं करता क्योंकि कल हमारे गृह मंत्री ने संविधान के अनुच्छेद १७ की व्याख्या की थी। यदि संविधान द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की जा चुकी है तो विधेयक में कहीं भी अस्पृश्यता शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिये। "केवल अस्पृश्यता के आधार पर" ऐसा कहने का यह अभिप्राय है कि देश में

[श्री वीरस्वामी]

अस्पृश्यता अभी है। अतः मैंने यह सुझाव दिया है कि वहां ये शब्द रखे जायें, "किसी अनुसूचित जाति के या अन्य किसी जाति के, जिसे अब तक अस्पृश्य समझा जाता रहा है, व्यक्ति को रोकता है"। यह सर्वथा स्पष्ट है। गृह उपमंत्री से प्रार्थना है कि अनुसूचित जातियों को एतत्पश्चात अस्पृश्य न कहा जाये।

श्री आर० के० चौधरी : जो संशोधन रखे गये हैं उन्हें स्वीकार करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, वस्तुतः वह समाधान खण्ड का सर्वथा विरोध करने में है। 'केवल' शब्द को हटा देने से बहुत अस्पष्टता आ जाएगी।

यदि कोई हिन्दू धर्म को मानने वाला अपने सहधर्मियों को किसी विशेष प्रकार से पूजा करने से रोकता है तो वह न केवल विधि अधीन दंडनीय अपराध करता है वरन् नैतिक दृष्टि से पाप भी करता है। अतः मैं पूछता हूं कि क्या इन दण्ड उपबंधों से देश में अस्पृश्यता को दूर करने के आन्दोलन में सहायता मिलेगी ?

उदाहरणतः किसी मन्दिर के प्रभारी किसी कट्टर हिन्दू को लीजिये। उसका सद्भावपूर्ण विश्वास है कि मन्दिर के विशेष भाग में जिसे हमारे प्रान्त में 'मनीखट' कहते हैं सिवाय पुजारियों के, ब्राह्मणों तक का भी जाना वर्जित है। यदि आप उस के विरुद्ध अभियोग चलायें तो प्रतिक्रिया की भावना पैदा होगी। दूसरी ओर जहां कहीं भी हम ने महंतों और पुजारियों से जा कर प्रार्थना की है उन्होंने सभी लोगों के लिए मन्दिर के दरवाजे खोल देना स्वीकार कर लिया है। खामा-खया जैसे अत्यन्त पवित्र मन्दिर में अनुसूचित जातियों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रख्यात हरिजन माधव मन्दिर भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिवासियों के लिए खुला है। मेरा अभिप्राय यह है कि इस समय स्थिति ऐसी है कि अनुरोध करना ही पर्याप्त है।

यदि माननीय गृह कार्य मंत्री या विधि मंत्री सब पुजारियों की बैठक बुलायें तो मुझे आशा है कि वे सब हिन्दुओं के लिए मन्दिरों के दरवाजे खोल देंगे।

मैं दूसरी इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जो लोग हिन्दू धर्म में विश्वास नहीं करते और जिन का मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं उनका मन्दिरों में प्रवेश निषिद्ध होना चाहिये। वे लोग किसी धर्म में निष्ठा न होते हुए केवल अपना अधिकार सिद्ध करने के लिए मन्दिरों में जाते हैं। उन के लिए भी कोई दण्ड उपबंध होना चाहिये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : चेयरमैन साहिब, इस छोटे से प्राविजन पर जो बहस छिड़ गई है वह ज़रूरत से ज्यादा है लेकिन मैं चौधरी साहब की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि उनको दूसरे मज़हब के मानने वालों के बारे में फिक्र नहीं करना चाहिए। थोड़ा अर्सा हुआ जब कि मैं जगन्नाथ पुरी गया था। वहां जो मूर्तियां हैं, पहले लोग उनको बड़े नज़दीक से जाकर देख सकते थे। लेकिन अब उन्होंने मूर्तियों के आगे एक कठघरा सा लगा दिया है, जिसकी वजह से कोई भी आगे नहीं जा सकता है। इसमें किसी को भी शिकायत नहीं है और न होनी ही चाहिए। शिकायत तो तब होती है जब कि डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। यानी चन्द बिरादरियों को तो अन्दर जाने की इजाज़त दी जाय और चन्द को न दी जाय। इस मामले पर अच्छी तरह सोच-विचार

कर यह प्राविज़न रख दिया गया है कि लोगों को उस एक्सटेंट तक जाने की इजाज़त है, जहां तक किसी मज़हब के किसी अधिकारी शख्स को जाने की इजाज़त ह । इस बात का पहले ही फैसला कर लिया गया है कि अगर पुजारी वहां जा सकता है तो हर एक शख्स वहां जा सके ।

इस बारे में श्री वेलायुधन ने जो बहस की है, मैं उसको सपोर्ट करना चाहता हूं । सवाल यह है कि अगर कोई शख्स यह जुर्म करे और वह चन्द वजूहात की बिना पर किसी शख्स को न जाने दे, और उन वजूहात में अनटचेबिलिटी भी शामिल हो, तो वह शख्स जुर्म करेगा या नहीं । आपके अलफ़ाज़ के मुताबिक तो उसका एक ही मोटिव होना चाहिए यानी अनटचेबिलिटी और उसमें और कोई मोटिव शामिल नहीं होना चाहिए । मेरी अर्ज यह है कि उनका एतराज़ ठीक है । मैं समझता हूं कि अगर दूसरे मोटिव्ज के अलावा अनटचेबिलिटी भी एक मोटिव है, जिसकी वजह से किसी शख्स को पूजा के लिए नहीं दिया जाता, तो वह भी एक जुर्म है और रोकने वाले शख्स को जरूर सजा होनी चाहिए । क्लाज ३ में लफ्ज "ओन्ली" से तो जर्म का दायरा बहुत तंग हो जाता ह । मैं यह चाहता हूं कि अगर अनटचेबिलिटी की बिना पर किसी शख्स के खिलाफ़ कार्यवाही की जाय तो वह यह न कह सके कि "मेरे दिल में मोटिव था और अनटचेबिलिटी तो एक सबार्डीनेट फैक्टर था ।" इसलिए मुनासिब यही है कि इस लफ्ज "ओन्ली" को डिलीट कर दिया जाय

जहां तक लफ्ज "अनटचेबिलिटी" की डेफ़ीनीशन का ताल्लुक है, मेरी गुजारिश यह है कि हम ने अनटचेबिलिटी को डिफ़ाइन नहीं किया है और जान बूझकर नहीं किया है । मैं तो अनटचेबिलिटी का मतलब समझता हूं "एनी थिंग शार्ट आफ़ ईक्वैलिटी" अगर कोई बात ईक्वैलिटी से कम है तो वह अनटचेबिलिटी है । सवाल यह है कि इस सिलसिले में किन लोगों के खिलाफ़ मुकद्दमे चलेंगे । यहां पर शिड्यूल्ड कास्टस के जो दोस्त मौजूद हैं, अगर वे समझते हैं कि मुकद्दमात सिर्फ उन पर चल सकेंगे, जो शिड्यूल्ड कास्टस के नहीं हैं, तो वे बड़ी गलती पर हैं । मैं जानता हूं कि इस में ज्यादा तकलीफ शिड्यूल्ड कास्टस के लोगों को ही होगी, क्योंकि उनमें भी उतनी ही जातपात है, जितनी कि उनसे बाहर है । यह ठीक है कि यह जातपात आरिजिनली उनकी नहीं है लेकिन जिस तरह वह हिन्दुस्तान में ब्राह्मणों और क्षत्रियों में आई, उसी तरह उनमें भी आ गई । मैं यहां पर अपनी ज़िन्दगी का एक वाक्या रखना चाहता हूं । एक बार महात्मा जी ने एक दिन मुकर्रर किया और हम लोगों को कहा कि शहर के मुख्तलिफ़ कुंओं पर जाओ और वहां सब लोगों के अछूतों के हाथ से निकाला हुआ पानी पियें । जिला हिसार के कुछ कांग्रेसमैन भी कुओं पर गए । उनमें से एक कुआ हेड़ियों का था । वहां हम सब ने तो पानी पी लिया, लेकिन अछूतों में से दूसरी ऊंची बिरादरी के लोगों ने पीने से इन्कार कर दिया । इसी तरह चूढ़े चमारों के कुओं पर हमने तो पानी पी लिया, लेकिन उन अछूतों

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

में से ऊंची जाति वालों ने सब ने नहीं पिया। आप देखिए कि शिडयूल्ड कास्टस के लोगों में भी बड़ी जात पात है। वे भी एक दूसरे से उतना ही परहेज करते हैं, जितना कि दूसरे लोग करते हैं। इसी तरह धानकों और चमारों के भी टेम्पल हैं और वहां दूसरों को जाने की इजाजत नहीं है। सजा मुकर्रर करना तो बड़ा आसान है, लेकिन जब इस बिल के प्राविज़न्ज़ पर अमल किया जायगा तो बड़ी तकलीफ होगी। यह एक सोशल ला है और अपनी किस्म का पहला ला है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसमें इतनी सख्त सजा न रखी जाय कि लोगों को रिविल्शन हो जाय। मैंने अमेंडमेंट्स में पढ़ा है, कुछ लोगों ने तजवीज की है कि तीन, चार या पांच साल की सजा दी जाय और जुर्माने के तौर पर जायदाद का एक हिस्सा जब्त कर लिया जाय या पांच हजार रुपए जुर्माना कर दिया जाय। मैं समझता हूं इस तरह तो वह सजा छोटे कतल के मुकद्दमे से भी बढ़ जायगी। मैरिज बिल की रू से अगर कोई शख्स प्राहिबिटिव डिग्री में शादी करता है तो उसको पंद्रह दिन की सजा तजवीज की गई है अगर सपिंड में शादी कर ले तो एक महीने की सजा तजवीज होती है और अगर छोटी उम्र की शादी कराये तो पंद्रह दिन की सजा तजवीज होती है। सजा का मैयार ऐसा होना चाहिए कि वह काबिले-अमल हो, ताकि मजिस्ट्रेट इस वजह से मुलज़िमान को छोड़ न दे कि उनको सख्त सजा देनी पड़ेगी। हम ने इस बिल में एक दफ़ा रखी है कि अगर कोई शख्स दुबारा जुर्म करेगा तो उसको कैद की सज़ा देनी लाजिमी होगी। यह निहायत जरूरी है और मैं इसको सपोर्ट करता हूं कि अगर कोई शख्स एक दफ़ा सज़ा से न माने, तो दूसरी दफा उसको ज़रूर कैद की सज़ा देनी चाहिए। इस बिल में पांच सौ रुपये जुर्माना और छः महीने की कैद की सज़ा रखी गई है। मैं इस बात से गैर-इत्तिफ़ाकी नहीं करता हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि बेहतर यह होता कि तीन महीने की कैद और पांच सौ रुपए जुर्माने की सज़ा रख दी जाती। मैं चाहता हूं कि पहले आप जुर्माने को रखें और फिर कैद को दूसरे जुर्म में रखें। यह जो सब्सिक्वेन्ट सज़ा होगी, उसका असर दूर तक होगा। चन्द महीने के बाद इसका असर बिजली की तरह होगा।

मैं निहायत अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि सोशल लाज़ में जो सज़ा रखी जाती है, वह इतनी सख्त नहीं होती। मैं सब मैम्बरान से इल्तजा करूंगा कि वे इस बारे में अच्छी तरह सोच विचार कर फैसला करें। मेरी अमेंडमेंट तो यह है कि पांच सौ रुपए जुर्माना और तीन महीने की कैद की सज़ा रखी जाय और छः महीने से ज्यादा कैद की तो किसी सूरत में जरूरत नहीं है।

श्री डाभी : विधेयक के खण्ड ३ के अन्तर्गत व्याख्या के सम्बन्ध में मेरे संशोधन सं० ९९ का यह उद्देश्य है कि "अथवा आर्यसमाज" शब्दों के स्थान पर 'अथवा स्वामी नारायण सम्प्रदाय' शब्द रखे जायें। यह इसलिए है ताकि इस सम्प्रदाय को भी हिन्दू धर्म का एक विकास क्रम समझा जाये।

गुजरात और सौराष्ट्र में इस सम्प्रदाय के लाखों अनुयायी हैं। वे लोग दशा-

तार और वेदों में विश्वास रखते हैं। परन्तु कुछ वर्ष हुए मेरे मित्र श्री एम० बी० वैश्य को उस सम्प्रदाय के मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। उस पर अभियोग चला और यह तर्क रखा गया कि यह सम्प्रदाय हिन्दू धर्म का सम्प्रदाय नहीं है। अतः अब व्याख्या में यह संशोधन अत्यावश्यक है

मेरे दूसरे संशोधन का यह उद्देश्य है कि जहां खण्ड ३ की वर्तमान व्याख्या में बौद्ध, सिख और जैन सम्प्रदायों को हिन्दू धर्म के ही रूप विकास समझा गया है वहाँ संशोधन के अन्तर्गत व्याख्या में इस बात का उल्लेख है चाहे कोई ऐसा मतावलम्बी व्यक्ति सैद्धाँतिक दृष्टि से हिन्दू धर्म से सम्बन्ध न रखता हो उसे धारा ३ और ४ के अधीन हिन्दू समझा जाये, ताकि इससे मेरे जैन और सिख मित्र संतुष्ट हो सकें।

संविधान के अनुच्छेद २५ में भी बुद्धों, सिखों और जैनियों को संविधान के प्रयोजन के लिए हिन्दू धर्मावलम्बी समझा गया है।

मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरे संशोधनों को स्वीकार करेगी।

श्री इलयापेरुमल : मेरे संशोधन ९६ में यह दिया गया है कि पृष्ठ २ पंक्ति २४, २५ में 'छः मास' शब्दों के स्थान पर "पाँच वर्ष और किसी भी दशा में तीन वर्ष से कम नहीं होंगे" शब्द रखे जायें। मेरा यह निवेदन है कि अपराधी पर जुर्माना लगाने का कोई लाभ नहीं है। अनुसूचित जाति के लोग निरक्षर हैं और उनकी जीविका सवर्ण हिन्दुओं पर करती है। वे सवर्ण हिन्दू बड़ी सुगमता से अनुसूचित जातियों से जुर्माने की राशि एकत्र कर सकते हैं।

१९५४ में मद्रास राज्य के वेडालूर गाँव में हरिजनों ने कुछ आमंत्रण पत्र छपवाये जिनमें उन्होंने नटूभाई शब्द लिख दिया जिसका अर्थ है गाँव का मुखिया। इस पर वहाँ के सवर्ण हिन्दुओं ने उन पर ५० रुपये जुर्माना कर दिया। पुलिस भी उनकी कोई सहायता नहीं कर सकी।

ऐसी स्थिति के कारण मेरा सरकार से निवेदन है कि अपराधियों पर जुर्माना न लगाया जाये वरन् कम से कम तीन वर्ष कारावास का दण्ड दिया जाय।

श्री एन० पी० नथवानी : मैं संशोधन संख्या १०० के सम्बन्ध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं जिसका उद्देश्य वही है जो श्री डाभी के संशोधन का है अर्थात् स्वामी नारायण सम्प्रदाय को भी सम्मिलित किया जाये।

कोई भी यह नहीं कह सकता कि यह सम्प्रदाय हिन्दू धर्म का भाग नहीं है। यह वैष्णवों का एक रूप है और इसके अनुयायी श्री कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं।

श्री एम० बी० वैश्य ने इस सम्प्रदाय के मन्दिरों में हरिजनों का प्रवेश करवाने का प्रयत्न किया था, जिसके फलस्वरूप अभियोग चलाया गया और उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि वे हिन्दू नहीं हैं। उसकी अपील की गई जो अभी विचाराधीन है। अतः जब हम यह अधिनियम पारित कर रहे हैं तो हमें उस निर्णय से पैदा होने वाली असंगति को दूर करना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन की सिफारिश करता हूं

श्री के० सी० सोधिया : इस विधेयक को पढ़ कर मैं यह समझा हूं कि हम केवल लोगों को धार्मिक बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं जो कि कोई भी राज्य नहीं कर सकता क्योंकि समाज और धर्म दो भिन्न वस्तुएं हैं ।

यह विधेयक पारित करने का हमारा यह उद्देश्य है कि उच्च जाति और निम्न जाति के लोगों के सम्बन्धों में कोई कटुता पैदा किये बिना उन्हें एक स्तर पर लाया जाय । अतएव हमें ध्यान रखना होगा कि कटु भावनाएं न पैदा हों जिससे मुकद्दमे बाजी आरम्भ हो जाय । हिन्दू मन्दिर सब के लिए खुले हों यह बात तो ठीक है परन्तु मन्दिर का प्रयोग मन्दिर के ही रूप में होना चाहिये न कि लोग वहां आयें और गर्व से खड़े होकर अपनी मूछे मरोड़ें । प्रत्येक धर्म का पूजा का अपना अपना ढंग होता है अतः जो लोग मन्दिरों में जाना चाहें उन्हें वहां का विनीत भाव और पूजा भाव भी सीखना चाहिये । यदि वे ऐसा नहीं करेंगे और केवल इसलिए वहां जाते हैं कि उन्हें यह अधिकार प्राप्त हो गया है तब गड़-बड़ होगी और इससे उन्हें लाभ नहीं होगा ।

श्रीमती उमा नेहरू (जिला सीतापुर व जिला खेरी—पश्चिम) : जनाब चेयरमन साहब, अनटचेबिलिटी का अन्त हमारे संविधान ने जरूर किया लेकिन ऐसा करने से देश से अनटचेबिलिटी गयी नहीं है । यह जरूर है कि जो संविधान में अनटचेबिलिटी का अन्त किया गया है उससे अनटचेबिलिटी की जड़ें कुछ हिल गयी हैं ।

मैंने इस बिल को पढ़ा तो मैं सोच में पड़ गयी । मुझे इस बिल को पढ़ कर गांधी जी का ज़माना याद आता है । उस ज़माने में जब हमने इस सवाल को उठाया था तो हमने देखा कि यह सवाल कानून से मिटने वाला नहीं है । यह मुमकिन है कि कानून इसकी जड़ों को कुछ और ढीला करने में मदद करे । असल बात तो यह है कि हमें समाज से हमको इस अनटचेबिलिटी की जड़ को ही मिटाना है । जब हम इसको मिटाना चाहते हैं तो हर व्यक्ति को अपने अन्दर देखना पड़ता है । समाज में एक जाति ने दूसरी जाति के साथ जो अन्याय किया है इस अन्याय का उस जाति को प्रायश्चित करना होगा ताकि वह इस अनटचेबिलिटी को मिटा सके । यह प्रश्न मेरे दिल में बार बार उठ रहा है ।

महात्मा जी के ज़माने में जिस वक्त हमने इस सवाल को उठाया तो महात्मा जी ने दो बातें हमको बतलायीं । उन्होंने कहा था कि सत्य और अहिंसा को मत भूलो और इन दो चीज़ों को लेकर ही इस प्रश्न को हल करो । उन्होंने कहा था कि यही चीज़ें हमारी मदद करेंगी । मैं प्रयाग में खुद अपने अछूत भाई और बहिनों को लेकर मन्दिरों में गयी और मैं ने और उन्होंने अपने अपने हाथ में तुलसी दल लिया और हमने सब ने मिल कर भगवान से प्रार्थना की और भगवान को तुलसी दल चढ़ाया । लेकिन जब मैं भरद्वाज में गयी तो जो नजारा मेरे सामने आया उसको मैं बयान नहीं कर सकती । वहां पर जो मेरे अछूत भाई बहिनों ने भगवान पर तुलसी दल चढ़ाया तो उन्होंने भगवान से कई प्रश्न पूछे । उन्होंने भगवान से पूछा कि आप हमको दर्शन क्यों नहीं देते । क्या इसका यह कारण है कि हम अछूत हैं । हमको समाज ने अछूत बनाया है पर हम अछूत पैदा तो

नहीं हुए । भगवान का कोई भी जीव संसार में अछूत होकर नहीं आया है। समाज ने हमको अछूत बना दिया है । आज समाज ने जो गलती की है उसकी सज़ा आप हमको क्यों देते हैं कि आप हमको दर्शन भी नहीं देते हैं। उन्होंने भगवान से ऐसी ऐसी प्रार्थना की कि हमारा वहां खड़ा होना मुश्किल हो गया । उस वक्त हमको मालूम यह होता था कि हम बड़े कसूरवार और गुनहगार हैं। आज हम प्रायश्चित करने चले हैं । मुझे इसकी बड़ी खुशी है । लेकिन मैं यह हाऊस में कह देना चाहती हूं कि हमको समाज को बदलना है। हम कानून जरूर बना लें लेकिन सिर्फ कानून इस चीज़ को बदलने वाला नहीं है

अकेले कानून से ही बीमारी नहीं मिटेगी। यह नासूर तो जब मिटेगा जब अन्दर से हम लोगों का हृदय परिवर्तित होगा और हम लोगों को हृदय परिवर्तित करने की जरूरत है । हमारा मेंटल आउटलुक दूसरा होना चाहिये । हरिजनों की समस्या और अस्पृश्यता खाली बातें करने से या जलसे और पब्लिक में बैठ कर बातें करने से मिटने वाली नहीं है । सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने है वह भंगियों की समस्या है अर्थात जो भंगी का काम करते हैं उन अनटचेबुल्स को अपने पास में बराबर बैठाना है और दिल से अपनाना है । मैंने आज भी बड़े बड़े लोगों को हरिजन और अछूतोद्धार के पक्ष में पब्लिक में बड़े बड़े व्याख्यान देते सुना है लेकिन अगर कहीं इनके घर में कोई हरिजन भंगी आ जाये उनका कालीन छू जाय तो बाद में उस कालीन को धुलवाते हैं और गंगाजल उस पर बार बार छिड़कवाते हैं ।

अब चूंकि समय नहीं है इसलिए और अधिक न कहते हुए मुझे इतना ही कहना है कि यह अस्पृश्यता का रोग समाज से और देश से तभी मिटेगा जब समाज के हृदय में परिवर्तन होगा और जब समाज के लोग एक मिशनरी की तरह से जगह जगह घूम कर इसके लिए प्रचार करेंगे और लोगों को समझायेंगे और अपने अमल से यह दिखायेंग कि हरिजनों और हम में कोई भेदभाव नहीं है और यही भगवान का मनुष्य मात्र को आदेश भी है कि सब मनुष्य समान हैं ।

सभापति महोदय : श्री शिब्बन लाल सक्सेना । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि उनका संशोधन संख्या १२४ तब प्राप्त हुआ जब कि अध्यक्ष महोदय यह घोषणा कर चुके थे कि अब अग्रेतर संशोधन नहीं चुने जायेंगे । अतः संशोधन संख्या १२४ सभा के समक्ष नहीं है । माननीय सदस्य उन्हीं सशोधनों पर बोलें, जिन पर सभा में विचार किया जा रहा है ।

डा० रामा राव (काकिनाडा) : इस गति से हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे । अतः, मैं सभापति महोदय से निवेदन करता हूं कि सारे खण्ड चर्चा के लिये रख दिये जायं और सारे संशोधन एक साथ ले लिये जायें ताकि खण्ड १५ पर, जिसके सम्बन्ध में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण संशोधन रखा गया है, चर्चा की जा सके ।

सभापति महोदय : जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा, उसको मैं मानता हूं किन्तु मुझको शंका है कि इससे भ्रम पैदा हो सकता है, और जिन संशोधनों पर हम अपना ध्याना केन्द्रित करना चाहते हैं, वे वैसे ही रहेंगे मैं माननीय सदस्यों से पुनः यह निवेदन करूंगा कि वे कम से

[सभापति महोदय]

कम बोलें, ताकि निश्चित समय के अन्दर सारे विधेयक पर चर्चा हो सके

श्री एस० एल० सक्सेना (जिला गोरखपुर—उत्तर) : मैं सभापति महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस ऐतिहासिक विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया। वह बड़ा शुभ दिन था, जबकि हमारे संविधान ने अस्पृश्यता को अपराध के रूप में घोषित किया। गत शताब्दी में जिस प्रकार अब्राहम लिंकन ने गुलामी का उन्मूलन किया, उसी प्रकार इस शताब्दी में अस्पृश्यता समाप्त करने का सबसे बड़ा श्रेय महात्मा गांधी को है। महात्मा बुद्ध से लेकर स्वामी दयानन्द और राम कृष्ण परमहंस तक सभी महात्माओं ने इस दोष को दूर करने की कोशिश की। गांधी जी ने बताया कि इस दोष को दूर करने के लिए सभी उपाय करने चाहिएं। उनमें एक उपाय विधि द्वारा उपाय भी है जो कि अब किया जा रहा है। यह नहीं भुला देना चाहिए कि उस दोष को दूर करने के लिये यह विधेयक पर्याप्त नहीं है। इसीलिये मैंने अपने संशोधनों की सूचना दी थी।

खण्ड ३ विशेषतः दण्ड संबंधी खण्ड है और अस्पृश्यता चलाने वाले लोगों के लिए सजा का उपबन्ध करता है। यह खण्ड अत्यन्त महत्वपूर्ण है और उन लोगों को सजा देकर जो कि हरिजनों को मन्दिरों में जाने से रोकते हैं यह सब प्रकार की नियोग्यतायें दूर करता है। जब तक मन्दिर में जाने तथा कुओं से पानी भरने की नियोग्यतायें दूर नहीं होतीं इस दोष का मिटना कठिन है। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही देखा है कि हरिजनों को कुंओं से पानी भरने नहीं दिया जाता जिससे उनको बड़ी परेशानी होती है।

सभापति महोदय : सभा के समक्ष केवल खण्ड ३ है।

श्री एस० एल० सक्सेना : मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव के सुझाव का समर्थन करता हूं और कहता हूं कि "केवल" शब्द निकालने से सब ठीक हो जायेगा।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित अनुसूचित जातियां) : "ओन्ली" शब्द के बारे में अपने अमेंडमेंट में मुझे कहना है कि पंडित ठाकुरदास ने जो कहा वह ठीक है। इस शब्द से अस्पृश्यता कायम रखने के लिए लोगों को अवसर मिलेगा, ऐसा मेरा ख्याल है। अगर मन्दिर या दूसरी सार्वजनिक जगहों पर हरिजनों को प्रवेश न देने के अपराध में किसी के ऊपर मुकद्दमा चलेगा तो वह अपने को यह कह कर बचा सकेगा कि मैंने अस्पृश्यता नहीं बरती, मैंने तो दूसरे कारण से उनको नहीं दिया। इस शब्द से आप अस्पृश्यता कायम रखने के लिये लोगों को अवसर देंगे। सवर्ण वर्ग के लोग बड़े चालाक और होशियार हैं और उनके वकील उनको बचाने के लिये भिन्न-भिन्न बहाने निकाल सकेंगे।

कई कई होटलों में ऐसा भी लिखा जाता है कि "राइट आफ (ऐडमिनिस्ट्रेशन) रिजर्वड" इसके मानी यह हैं कि कोई अस्पृश्य हो, उसका प्रवेश बंद करने का हक होटल वालों को होता है। यह हक कानून के अनुसार हो सकता है तो बिल में "ओन दी ग्राउण्ड ओन्ली आफ अनटचैबिलिटी" ऐसे शब्द रखने की जरूरत क्या है? उन शब्दों का सवर्ण वर्ग जरूर फायदा

उठायेगा और अस्पृश्यता कानून के अनुसार ही कायम रहेगी ।

अभी जैसा हमारी एक बहिन ने कहा और मैं भी उनसे सहमत हूं कि अस्पृश्यता का अभिशाप मिटाने के लिए हृदय परिवर्तन की आवश्यकता है । अस्पृश्यता कानून से या डंडे के जोर से नष्ट नहीं हो सकती । वह मन परिवर्तन से ही नष्ट हो सकती है । मेरे मन में भी अभी परिवर्तन हो गया है । पहले तो मेरा ख्याल ऐसा था कि अस्पृश्यता नष्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा दंड होना चाहिए लेकिन मुझे अब ऐसा महसूस होता है कि अकेले शासन और कानून और दंड से ही यह प्रश्न नहीं मिटेगा । थोड़ा बहुत शासन तो जरूर होना चाहिऐ क्योंकि कानून का डर रहने से लोग इस तरह का अपराध करने से हिचकेंगे । लेकिन साथ ही में हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि बहुत ज्यादा शासन देनें से लोगों का मन बिगड़ जायेगा उनका मन परिवर्तन नहीं होगा । इसीलिए मैं समझता हूं कि सरकार ने जो विधान में प्राविजन दंड का रक्खा है वही ठीक है और उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है । बम्बई में मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि बम्बई प्रांत में महार सत्याग्रह मराठों के खिलाफ पानी का सत्याग्रह किया तो मराठों ने समझा कि हमें गाली दी जाती है और हमें मारा । यह ठीक है कि सवर्ण वर्ग वालों ने हमें सदियों से दबाया है लेकिन हम अस्पृश्य उनका बदला लेना नहीं चाहते, हमारे अन्तःकरण में उनके लिए दुआ ही रहेगी और हम दया और शान्ति से उनके गुनाहों की तरफ देखेंगे । मेरा भी विचार है कि कानून की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है जितनी लोगों के हृदय परिवर्तन करने की है और मैं भी अब समझने लगा हूं कि अस्पृश्यता केवल कानून या दंड देने से ही नष्ट होने वाली नहीं है । गांधी जी की भी अस्पृश्यता निवारण नीति यही थी कि लोगों के मन परिवर्तन से ही यह कलंक मिट सकता है ।

सभापति महोदय : आपका समय खत्म हो गया है ।

श्री पी० एन० राजभोज : केवल एक मिनट और देने की कृपा करें । मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं ।

यह बड़ा इम्पार्टेंट सवाल है । मेरा ख्याल यह है कि स्पृश्य वर्गों ने हजारों वर्षों से हमें दबाया है । लेकिन जब इस हाउस का यह ख्याल है तो हमें कानून की उतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी कि विलेजेज के अन्दर जो लोग हैं उनके दिल में अस्पृश्यता के विरुद्ध डर पैदा करने की आवश्यकता है । हम लोगों को सिर्फ कानून की ही दृष्टि से इसको नहीं देखना चाहिये । मैं जानता हूं कि दोनों वर्गों के सहयोग से ही इसको मिटाने की आवश्यकता है ।

मुझे कहना तो बहुत था लेकिन समय कम है इसलिये इतना ही कह कर खत्म करता हूं ।

श्री एन० राचय्या : मैं खण्ड ३ का पूर्णतः समर्थन करता हूं क्योंकि साम्प्रदायिकता, धार्मिक भेद-भाव और अस्पृश्यता को दण्ड देने की व्यवस्था न होने के कारण प्रोत्साहन मिलता है । धर्म के ठेकेदार पुजारी या गुरु ही हिन्दू धर्म में सामाजिक असमानतायें उत्पन्न करने के लिये उत्तरदायी हैं । ऐसे मामलों में कठोर दण्ड की व्यवस्था आवश्यक है । मैंने दो संशोधन इसीलिये रखे हैं कि तीन वर्ष का कारावास और ५०० रुपया अर्थ

[श्री एन० राचय्या]

दण्ड लगना चाहिये । सवर्ण हिन्दुओं के कारण ही अस्पृश्यता और भी फैलती है । हमें स्वतन्त्रता प्राप्त किये ८ वर्ष हो चुके हैं किन्तु कथित उच्चवर्ण के लोग हरिजनों के साथ मानवता का व्यवहार तक नहीं करते । कुछ सवर्ण हिन्दुओं का कहना है कि हरिजनों को मूर्ति पूजा में विश्वास न होने के कारण उन्हें मन्दिरों में प्रवेश करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिये । मेरा तो कहना यह है कि उन्हें सवर्ण हिन्दुओं से भी अधिक मूर्तिपूजा म विश्वास है । मेरे स्थान का इतिहास इस बात का साक्षी है कि ईश्वर सर्वव्यापी है । भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा आप लोगों ने सुनी होगी । श्री के० सी० सोधिया जैसे लोगों का इस विधेयक का विरोध करना उनकी अज्ञानता का सूचक है । यदि इसके लिये दण्ड की व्यवस्था न की गई तो पिछड़ी जाति का कोई भी व्यक्ति इसको सहन न कर सकगा । पिछड़े लोगों में भी अस्पृश्यता की भावना सबसे अधिक है । अस्पृश्यता का यह प्रश्न सभी सेवाओं में हरिजनों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व कर उन्हें शैक्षणिक सुविधायें और सरकारी भूमि देकर हल किया जा सकता है ।

गान्धी जी ने स्वयं यहां तक कहा था कि वे अछूतों के हितों को बेच कर भारत की स्वतन्त्रता तक लेने को तैयार नहीं हैं, एक अन्य स्थल पर उन्होंने कहा था कि अस्पृश्यता हमारे सम्पूर्ण समाज के लिये एक बहुत बड़ा कलंक है ।

इसलिये मैं दण्ड की व्यवस्था करने के जाये उनकी रक्षा के उपाय करना चाहूंगा जिससे उनका भी समाज में कुछ स्थान बन सके । हम मन्दिरों में इसलिये प्रवेश करना चाहते हैं क्योंकि सरकार शिक्षा के सम्बन्ध में उदारता दिखा रही है । वास्तव में देखा जाये तो धर्म अछूतों के ही हाथ में है क्योंकि सवर्ण हिन्दू तो बहुत कुछ पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के रंग में रंगते जा रहे हैं । संविधान में इस बात का उपबन्ध रहते हुये भी किसी भी क्षेत्र में उतना प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिये ।

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल—रक्षित अनुसूचित जातियां) : मुझे इस खण्ड पर प्रविधिक आपत्ति यह है कि इस विधेयक के उपबन्धों के द्वारा अस्पृश्यता को अपराध मानने के लिये उपाय ढूंढना चाहिय था और अपराध के लिये विधि से दण्ड मिलता ही है । यही विधेयक का क्षेत्र है । यदि 'केवल' शब्द हटा दिया जाता है तो प्रत्येक प्रकार की अयोग्यता के लिये दण्ड दिया जा सकेगा । उसका तात्पर्य यह कि यदि कितना ही साफ-सुथरा और शुद्ध व्यक्ति मदिरा की बोतल लेकर यदि मन्दिर में प्रवेश करना चाहता है, तो पुजारी उसे नहीं रोक सकेगा और यदि वह आपत्ति करेगा तो वह इस उपबन्ध के दुरुपयोग के अन्तर्गत आ जायेगा ।

अधिकांश संशोधन दण्ड में वृद्धि करने के सम्बन्ध में रखे गये हैं । खण्ड ११ के अनुसार यदि अपराध की पुनरावृत्ति होगी तो न केवल अर्थ दण्ड ही वरन् कारावास भी दिया जायेगा । इसलिये जितने दण्ड की व्यवस्था की गई है, वह कम नहीं है । हमें विधेयक बनाने के अतिरिक्त कुछ और भी उपाय करने पड़ेंगे जैसे सामाजिक शिक्षा का प्रसार और ग्रामीणों की सहानुभूति एवं सहकारिता प्राप्त करना क्योंकि सामाजिक जीवन के प्रति इनका दृष्टिकोण अधिक विशाल और इस

और में अधिक सजग होते हैं। उसके पश्चात अधिनियम को उचित रूप से कार्यान्वित किए जाने के लिए हमें न्यायपालिका का सहारा लेना होगा। अधिक कठिन दण्ड से कभी-कभी न्यायाधीश असहमत भी हो सकता है।

कुछ संशोधन सम्पूर्ण व्याख्याकारी खण्ड को हटा देने के सम्बन्ध में हैं। यदि ऐसा होगा तो ये अहिन्दू जो हिन्दू धर्म स्वीकार करना चाहते हैं, इस विधेयक के क्षेत्र से अलग रहने का प्रयत्न करेंगे। जब स्वामी नारायण का एक स्पष्ट उदाहरण हमारे सम्मुख है तो मेरे मित्र का संशोधन भी इस विधेयक में सम्मिलित कर लिया जाना चाहिए।

श्री खर्डेकर : मैं श्री एस० एस० मोरे से सहमत हूं और यह विचार रखता हूं जैनी हिन्दू धर्म में नहीं आते।

मन्दिरों में प्रवेश करने के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि वैसे तो मैं भी नन्द लाल शर्मा का आदर करता हूं और उनका यह कहना भी ठीक मानता हूं कि पूजा के समय यह किसी को अन्दर आने देना पसन्द नहीं करते किन्तु यह बात घर के लिए ही लागू हो सकती है। मन्दिर जैसे सार्वजनिक पूजा के स्थान में नहीं। वहां तो जो भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति जायेगा, कुछ न कुछ आस्था लेकर ही जायेगा जबकि सवर्ण हिन्दू भले ही किसी अवांछित विचार अथवा भावना को लेकर जाये। इतना ही नहीं पुजारियों और पोपों की करतूतों को आज संसार में कौन नहीं जानता। योरोप में ही नहीं वरन् गोआ में तो अभी तक मन्दिरों में देवदासियां रहती हैं। दण्ड के विषय में मैं तृतीय वाचन के समय कुछ कहना चाहूंग

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त) : ये संशोधन चार वर्गों में जा सकते हैं। मैं प्रत्येक के विषय में संक्षेप में कुछ कहना चाहूंगा।

पहला तो केवल शब्द हटा देने के सम्बन्ध में है। मैं व्यक्तिगत रूप से यह नहीं समझता कि इस शब्द को रखने या हटा देने से कोई वास्तविक अन्तर पड़ेगा। मुझे यह 'केवल' हटा दिया जाने पर भी कोई आपत्ति नहीं है। हम छुआछूत से छुटकारा पाना चाहते हैं। और हम छुआछूत का यथाशीघ्र समूल नष्ट करना चाहते हैं। 'केवल' शब्द को हटा देने से कोई भी हानि नहीं होगी

'मठ' शब्द का जारी करना मैं आवश्य नहीं समझता। हम मठ का वास्तविक अर्थ भी तो नहीं जानते हैं। हमें परिचित वस्तुओं तक ही सीमित रहना चाहिए, अपरिचित वस्तुओं में उलझना ठीक नहीं क्योंकि इससे और समस्यायें उत्पन्न हो सकती है। मठ अधिक संख्या में हैं भी नहीं। यद्यपि किसी मठ में प्रवेश करने पर मेरे ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं है फिर भी मैं कभी किसी मठ में नहीं गया हूं। मुझे यह भय भी है कि कहीं इससे शान्ति और सुव्यवस्था की समस्या न उठ खड़ी हो। इस कारण कमजोर व्यक्तियों के लिए अच्छा यही है कि वे इससे अलग ही रहें।

दण्ड के सम्बन्ध में पारस्परिक विरोधी प्रकार के प्रस्ताव रखे गये हैं। एक ओर कुछ सदस्यों ने ये सुझाव दिये हैं कि विधेयक में उल्लिखित दण्ड से अधिक कठोर दण्ड दिया जाना चाहिये। यह सुझाव भी रखा गया है कि कारावास

[पंडित जी० बी० पन्त]

की अवधि छः मास से घटा कर तीन मास कर दी जाये। ऐसी दशा में मेरे विचार से सर्वोत्तम उपाय यह होगा कि समिति द्वारा स्वीकृत उपबन्ध में कोई परिवर्तन न कर उसे ज्यों का त्यों रहने दिया जाये।

उन्हें विधेयक के एक एक शब्द की पूरी पूरी जांच करने का अवसर मिला था और मत विभिन्नता के कारण हमें उनके सुनिश्चित परिणामों में परिवर्तन करना उचित नहीं जान पड़ता। इसलिये इसे ज्यों का त्यों रहने देना चाहिये

चौथा संशोधन व्याख्या के सम्बन्ध में है। यदि व्याख्या न होती तो कोई हानि न थी। बहुधा व्याख्या करने के बजाय और भी अव्याख्यात्मक बना देती है। इसके लिये संयुक्त समिति की अनुमति मिल चुकी है। मैं इसे बिलकुल बदलना नहीं चाहता। मैं माननीय सदस्य श्री डाभी द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर कुछ साधारण से संशोधन करने वाले सुझाव रखना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि सभापति के पास संशोधन की प्रतिलिपि होगी। मैं यह सुझाव अब रखता हूं कि विधेयक में जिस रूप में व्याख्या आई है, उसके बदले उसमें कुछ संशोधन कर दिया जाय, जिससे संशोधित रूप यह हो जाये—

"इस धारा और धारा ४ के प्रयोजनों के लिये बौद्ध, सिख या जैन धर्मावलम्बी अथवा हिन्दू धर्म का उसके किसी भी रूप अथवा विकसित रूप का जिनमें वीरशैव्य, लिंगायत, आदिवासी, ब्रह्मों, प्रार्थना, आर्य समाज और स्वामीनारायण सम्प्रदाय सम्मिलित हैं, पालन करने वाले हिन्दू समझे जायेंगे।"

इससे जैनियों की चिन्ता समाप्त हो जायेगी और इससे स्थिति का पूर्णरूपेण सामना किया जा सकेगा। इसलिये मैं सुझाव देता हूं कि संशोधन में जहां तक आवश्यक हो सुधार कर लिया जाये और यदि यह मेरे द्वारा बताये गये रूप में आ जाता है तो मैं आशा करता हूं कि मेरे इस प्रस्ताव से सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे और उनके संशोधन वापस लिये समझे जायेंगे।

सभापति महोदय : मैं देखता हूं कि सरकार 'केवल' शब्द हटा कर इस संशोधन को स्वीकार करने के लिये तैयार है। यदि ऐसा है तो मैं इसे औपचारिक रूप से प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दे सकता हूं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : व्याख्या के विषय में माननीय मंत्री का आशय मैं नहीं समझा।

सभापति महोदय : मैं उसे पढ़ कर सुना देता हूं :

"व्याख्या इस धारा और धारा ४ के प्रयोजनों के लिये बौद्ध, सिख या जैन धर्मावलम्बी अथवा हिन्दू धर्म का उसके किसी भी रूप अथवा विकसित रूप का जिसमें वीरशैव्य, लिंगायत, आदिवासी ब्रह्मों, प्रार्थना, आर्य समाज और स्वामीनारायण सम्प्रदाय सम्मिलित हैं, पालन करने वाले हिन्दू समझे जायेंगे।"

श्री वेलायुधन : मैं प्रस्ताव करता हूं

"पृष्ठ २, पंक्ति १२ में "only [केवल] शब्द हटा दिया जाय।"

श्री पाटस्कर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ २ में, पंक्ति २७ से ३१ के स्थान पर ये शब्द रख दिये जायें :

"*Explanation*--For the purposes of this section and section 4, persons professing the Buddhist, Sikh or Jain religion or persons professing the Hindu religion in any of its forms or developments including Virashaivas, Lingayats, Adivasis, followers of Brahmo, Prarthana, Arya Samaj and the Swaminarayan Sampraday shall be deemed to be Hindus"

["व्याख्या—इस धारा और धारा ४ के प्रयोजनों के लिये बौद्ध, सिक्ख या जैन धर्मावलम्बी अथवा हिन्दू धर्म का उसके किसी भी रूप अथवा विकसित रूप का, जिनमें वीरशैव्य, लिंगायत, आदिवासी, ब्रह्मो, प्रार्थना, आर्य समाज और स्वामीनारायण सम्प्रदाय सम्मिलित हैं, पालन करने वाले हिन्दू समझे जायेंगे ।"]

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ९५, ५६, ५८, ५, ६, ५९, २३, ६०, ९९, १००, १२६, १२५, १२० और ९६ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : पृष्ठ २, पंक्ति १२ में 'only' [केवल] शब्द हटा दिया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : पृष्ठ २ में, पंक्ति २७ से ३१ के स्थान पर ये शब्द रखे जायें ।

"*Explanation*--For the purposes of this section and section 4, persons professing the Buddhist, Sikh or Jain religion or persons professing the Hindu religion in any of its forms or developments including Virashaivas, Lingayats, Adivasis, followers of Brahmo, Prarthana, Arya Samaj and the Swaminarayan Sampraday shall be deemed to be Hindus."

["व्याख्या—इस धारा और धारा ४ के प्रयोजनों के लिए, बौद्ध, सिक्ख या जैन धर्मावलम्वी अथवा हिन्दू धर्म का उसके किसी भी रूप अथवा विकसित रूप का जिनमें वीरशैव्य, लिंगायत, आदिवासी, ब्रह्मो, प्रार्थना, आर्यसमाज और स्वामीनारायण सम्प्रदाय सम्मिलित हैं, पालन करने वाले हिन्दू समझे जायेंगे ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : इस संशोधन के स्वीकृत होने से संशोधन संख्या १२७ और १४३ अवरुद्ध हो जाते हैं ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड ३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

[सभापति महोदय]

खंड ४--(सामाजिक नियोग्यताओं के प्रवर्तन के लिए दंड)

खंड ४ पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किये गये ।

प्रस्तावक का नाम	संशोधन संख्या
श्री साधन गुप्त	६२
पंडित ठाकुर दास भार्गव	१०१
श्री साधन गुप्त	२४
श्री एन० राचय्या	६३
श्री एस० एल० सक्सेना	१३०
श्री साधन गुप्त	२५,२६,२७
श्री एन० राचय्या	६४,६५,६९,७०
पंडित ठाकुर दास भार्गव	१०२,१०३,१०४
श्री एन० राचय्या	८
श्री साधन गुप्त	२८
श्री खर्डेकर	१०,११
श्री वीरस्वामी	६६,६७
श्री बाल्मीकी (जिला बुलन्द शहर--रक्षित अनुसूचित जातियां)	१३१,१३२, १३१,१३२ १४४,१४५
श्री जांगडे (बिलासपुर--रक्षित अनुसूचित जातियां)	८४

श्री कासलीवाल (कोटा-झालावाड़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ३, पंक्ति २८ में, "(xi) the use of jewellery and finery on such ceremonial occasions, or" [(११) ऐसे रीत्यात्मक अवसरों पर आभूषणों तथा अलंकारों का प्रयोग, अथवा] शब्द रखे जायें ।

श्री एस० एल० सक्सेना : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २, पंक्ति ३३ में "only" [केवल] शब्द हटा दिया जाये ।

सभापति महोदय : ये सब संशोधन अब सभा के सामने हैं ।

डा० रामा राव : मैं निवेदन करूंगा कि सारे अन्य संशोधनों और खण्डों को एक साथ लिया जाये । समय कम है और संशोधन अधिक हैं इस कारण मैं समझता हूं कि सभा मेरे इस विचार से सहमत होगी ।

सभापति महोदय : यदि सभा यह ही चाहती है कि सारे खण्डों और संशोधनों को एक साथ लिया जाये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मुझे केवल इस बात की आशंका है कि कहीं ऐसा न हो कि यह सामान्य चर्चा का रूप न धारण कर ले ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरा तो विचार यह है कि यदि सारे खण्डों और संशोधनों पर एक साथ चर्चा आरम्भ की गई तो गड़बड़ी के सिवा और कुछ न हो सकेगा । समयाभाव होते हुये भी अच्छा तो यह होगा कि जितना भी समय हमारे पास है उतने में ही खण्ड-वार चर्चा की जाय ।

सभापति महोदय : मुझे भी यही आशंका है कि ऐसा करने से यदि यह सामान्य चर्चा के रूप में हो गई तो विशेष बातों पर हम अधिक ध्यान न दे सकेंगे । इसलिये ऐसा करना सम्भव नहीं होगा । मेरा निवेदन यह है कि जो सदस्य बोलना चाहें वे एक या दो मिनट में अपनी बात कह डालें ।

श्री साधन गुप्त : इस अधिनियम के खण्ड ४ की धारा (क) के अनेक उपखण्डों द्वारा कुछ संस्थाओं को एक सम्प्रदाय अथवा धर्म तक ही सीमित रखने की जो व्यवस्था की गई है, वह आपत्तिजनक है क्यों कि उस से धर्म निरपेक्ष राज्य या सभी को समान समझने की बात झूठी सिद्ध होती है ।

में माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या सामाजिक संस्थाओं को पूर्णरूपेण किसी सम्प्रदाय तक सीमित रखना कहां तक न्याय संगत है ? इतना ही नहीं हम देखते हैं कि धारा ४ के खण्ड (क) के उप-खण्ड ४ में तो सराय, नदी, चश्मा, तालाब, स्नानघाट और मुसाफिरखानों तक का उपयोग कुछ सम्प्रदाय विशेष के लिये ही सीमित रखा गया है । क्या मैं पूछ सकता हूं कि फिर यह धर्म निरपेक्ष राज्य कैसे रहा और इस प्रकार का धर्म के आधार पर विभेद करना कहां तक उचित है ? इस अधिनियम के अधीन हिन्दुओं को यह अधिकार प्राप्त है कि वे यदि चाहें तो उपर्युक्त स्थानों पर मुसलमानों और ईसाइयों को न आने जाने दें । यह बड़ी भयंकर चीज़ है, जिस के लिये कभी भी अनुमति नहीं दी जानी चाहिये । सामाजिक संस्थाओं और धार्मिक स्थानों को सीमित रखना तो किसी सीमा तक कुछ अर्थ रखता भी है किन्तु जल के स्थानों आदि का उपयोग सीमित कर देना तो बिल्कुल ही निरर्थक है ।

मैंने इस सम्बन्ध में चार संशोधनों का सुझाव दिया जिस के अनुसार यदि कोई स्थान सामान्य जनता अथवा उस के कुछ अंश के लिये खुला है तो किसी भी व्यक्ति को वहां जाने की मनाही नहीं होनी चाहिये । किसी के निजी मकान में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाना ठीक है किन्तु किसी सार्वजनिक स्थान अथवा संस्था में एक धर्म के लोगों को प्रवेश की अनुमति दे कर दूसरे धर्मावलम्बियों के प्रवेश पर निषेध लगाना उचित नहीं ।

मेरा दूसरा संशोधन संख्या २४ इस सम्बन्ध में है कि धर्मशाला, होटल, सराय अथवा रेस्ट्रां जैसे सार्वजनिक स्थानों में बर्तनों के प्रयोग पर कोई रोक-टोक या धार्मिक बन्धन नहीं होना चाहिये । दूर क्यों जाइये आपके दिल्ली नगर की ही बात है कि किसी न्यायालय में एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने पानी पी लिया था जिस पर न केवल उस के साथ अशोभनीय व्यवहार ही किया गया वरन् उसे गिलास के पैसे तक देने पड़े थे । इस धारा से इस चीज को रोका नहीं जा सकता । इसके लिये तो हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी और इसलिये मैं अपने इस संशोधन में 'or any other place' [अथवा अन्य कोई स्थान] नामक शब्द जोड़ना चाहता हूं । इस कारण मैं समझता हूं कि धर्म निरपेक्षता और अनुसूचित जातियों के हित की दृष्टि से माननीय मंत्री को मेरे इन पांच संशोधनों को स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी ।

श्री वीरस्वामी : खण्ड ४ के दोनों संशोधन संख्या ६६ और ६७ मैं प्रस्तुत कर चुका हूं । खण्ड ४ का उप-खण्ड (ख) निम्न प्रकार है :

> "(ख) किसी व्यक्ति को कब्र खोदने या लाश हटाने या अछूतपन जताने या किसी व्यक्ति की मृत्यु की सूचना देने के लिये बाध्य करता है ।"

इस खण्ड में मैं "build a bier" [अर्थी बनाने] नामक शब्द भी रखना चाहता हूं क्योंकि इस देश में ब्राह्मणों और अन्य सवर्ण हिन्दुओं ने कुछ अनुसूचित जातियों के लोगों को अर्थी बनाने और उसे शमशान ले जा कर जलाने अथवा गाड़ने के लिये विवश कर दिया है ।

[श्री वीरस्वामी]

तत्पश्चात् मैं संशोधन संख्या ६७ को लेता हूं जिस के द्वारा 'पेरिया' शब्द हटा दिया जाना चाहिये । जब ब्राह्मण अथवा अन्य किसी सवर्ण हिन्दू के लिये ढोल नहीं होता तो फिर अनुसूचित जाति के लिये ही यह व्यवस्था क्यों चलती रहनी चाहिये । 'पेरिया' तो अनुसूचित जाति के एक समुदाय का नाम है । इस कारण 'पेरिया' शब्द को हटा देना चाहिये ।

श्री बाल्मीकी : सभापति जी, आपका धन्यवाद है जो मुझे कुछ अपनी बात कहने का अवसर दिया ।

इस अवसर पर जब कि हम अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक की धारा ४ पर बहस कर रहे हैं, मैं यही कहूंगा :

"जाके पैर न फटी बिवाई,
वह क्या जाने पीर पराई ।"

"दिल का मरहम कोई न मिलिया,
जो मिलिया सो गर्जी ।
कहत कबीर असमानहि फाटे,
कहाँ लौं सीवें दर्जी ।"

सदियों के फटे हुए दिल को सदियों से सीने का प्रयत्न किया जा रहा है । वह प्रयत्न आज भी जारी है । कल से बराबर इस सभा में शब्दों की वर्षा हो रही है । शब्दों का पारावार उमड़ रहा है और सदियों की इस पापमयी कालिमा को धोने का प्रयत्न हो रहा है । लेकिन मैं तो कबीर के शब्दों में कहूंगा :

"घूर घूर बरखा बरसायो,
पड़िया बूंद न पानी ।"

हमें तो हृदय का प्रेम चाहिये, शाब्दिक प्रेम नहीं । यह हकीकत है कि किसी पर खरीदे हुए आँसू दिल के आँसू से ज्यादा नहीं हो सकते, हृदय के आँसुओं में कुछ और ही बात रहती है । हृदय के आंसू तो हृदय के प्रेम से ही उमड़ते हैं :

"मोले घात ले रड़ाया, नाहीं आँसू आणीं माया ।" —तुकाराम

पैसा देकर रोने के लिए बुलाया, कहाँ आंसू और कहां प्रेम । हमें तो आपका निश्छल प्रेम चाहिये ।

सहृदयं सामनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः ।
अन्यो अन्यमभिहर्यत वत्सं जातमिवाघ्नया ।।
—अथर्ववेद

हे मनुष्यो ! तुम में परस्पर प्रेम हो । तुम्हारे दिल एक से हों, तुम्हारे मन एक से हों । तुम एक दूसरे से द्वेष भाव न रखो । जैसे—गऊ अपने बच्चे को प्यार करती है वैसे ही तुम भी प्रेम करो ।

दिल का छलकता हुआ प्रेम अगर देखना हो तो गाय जब प्रेम से अपने बच्चे को प्यार करती है और दुलराती है, तब देखो, जरूरत तो उस प्रेम, वात्सल्य और सहृदयता की है । आज अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि वह चीज़ नज़र नहीं आती ।

श्री धुलेकर (जिला झांसी—दक्षिण) : यह तो ब्राह्मणों की भाषा हुई ।

श्री बाल्मीकी : क्या ब्राह्मणों की भाषा हुई ? आज भंगीत्व ब्राह्मणत्व से कहीं बढ़ कर है ।

मैं दो दिन से देख रहा हूं कि यहां पर किसी ने भंगी की बात नहीं की और ज्वाइन्ट कमेटी में भंगियों को किस तरीके से दरगुज़र किया गया है । मैं कहूंगा कि कि मैं उन हरिजन सदस्यों की, जो ज्वाइंट कमेटी में थे, सहृदयता पर सन्देह करता हूं ।

में ज्वाइंट कमेटी (संयुक्त समिति) तथा सरकार की सहृदयता पर भी संदेह करता हूं ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को इतनी दूर तक नहीं बढ़ना चाहिये ।

श्री बाल्मीकी : मेरा तो आक्षेप यह है कि भंगियों की तरफ़ किसी ने ध्यान नहीं दिया । अभी कल हमारे माननीय पंत जी ने हरिजनों के बारे में और छुआछूत के बारे में जो शब्द कहे मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ और उन्होंने कहा कि हम इस छुआछूत को रूट ऐंड ब्रांच, लाक, स्टीक एंड बैरल इस देश से खत्म करना चाहते हैं । लेकिन हम देखते हैं कि भंगी का इसमें ज़िक्र नहीं है लेकिन भंगी के रूप में एक ग्रफ्ट (पेबंद) रख दी गई है ताकि भंगियों के सम्बन्ध में कभी छुआछूत को बढ़ाया जा सके । इस सम्बन्ध में मैं स्वयं गांधी जी के कुछ शब्द उद्धृत करता हूं :

> "मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दू धर्म में जाति आज जिस शक्ल में मौजूद है, वह एक ऐसी बेहूदा चीज है, जिसका वक्त गुजर गया है । सच्चे धर्म की बढ़ती में इससे रुकावट ही होगी और अगर हिन्दू धर्म और हिन्दुस्तान को जीना है और दिन दिन तरक्की करनी है तो जातपांत मिटनी ही चाहिये । ऐसा करने का उपाय यह है कि सब हिन्दुओं को अपना भंगी आप बनना चाहिए और पीढ़ी दर पीढ़ी से भंगी कहलाने वालों को अपना भाई समझना चाहिए । मैंने भंगी इसलिए लिखा है कि जीने की सब से नीची सीढ़ी पर वही खड़ा है ।"

यह शब्द गांधी जी ने अप्रैल १९४५ म कह थे । मैं तो कहूंगा कि जब तक इस देश में भंगी रहते हैं तब तक आप चाहे कितने ही प्रयत्न कीजिये, छुआछूत जा नहीं सकती ।

भंगी कोई कमजोर नहीं है और आज उसकी आत्मा ऋग्वेद के इस मंत्र के रूप में पुकारती है "अहं इन्द्रो न पराजिग्ये", अर्थात् मैं आत्मन् हूं, मेरा पराभव नहीं हो सकता । लेकिन आखिर यह पराभव कैसे किया गया । हमारा पराभव ही नहीं किया गया बल्कि हम को भुलाया गया । नये क्लाज ४ के ऊपर आकर कहते हैं और यह जो उसमें दिया गया है :— "किसी भी व्यक्ति को कब्र खोदने, लाश हटाने या अस्पृश्यता घोषित करने या किसी व्यक्ति की मौत का समाचार पहुंचाने को बाध्य करता हो ।" यह कैसी भाषा है कि भंगियों के पेशे का नाम इसमें नहीं है । क्या देश भंगी को टट्टी तक ही सीमित रखना चाहता है ? जब तक भंगियों पर से छुआछूत नहीं उठा लेते तब तक यह कलंक दूर नहीं हो सकता और अस्पृश्यता जा नहीं सकती । जिस दिन भंगी कहेगा कि छुआछूत मिट गई–वह दिन मुबारिक होगा । इसी चीज के लिए मैंने १३१ और १३२ नम्बर के अमेंडमेंट दिये हैं । मैंने सुझाव दिया है कि मेरे अमेंडमेंट नम्बर १३१ का पार्ट सी क्लाज़ ४ के 'ख़' भाग के बाद और जोड़ दिया जाय और वह शब्द में हैं :—"किसी भी व्यक्ति को झाड़ू लगाने, गंदगी, कूड़ा, और पत्तल आदि जिन पर अन्न परोसा गया हो, उठाने को बाध्य करता हो ।"

मैंने इस अमेंडमेंट को अपने अमेंडमेंट में जो सुबह दिया है अधिक साफ़ कर

[श्री वाल्मीकी]

दिया है । वह इस प्रकार है :—पृष्ठ १ पर, खण्ड ४ में, पंक्ति २९ में, "लाश" शब्द के पश्चात् "टट्टी", गंदगी या "कूड़ा" शब्द जोड़े जायें ।

जब तक एक जाति के ऊपर यह भंगी का पेशा टट्टी कमाने का पेशा लदा रहता है, तब तक छुआछूत दूर नहीं हो सकती । मेरी आवाज़ गांधी जी की बात से शक्तिमान हो जाती है । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आज भी भंगियों की कितनी दुर्दशा होती है और किस तरह उनकी उपेक्षा और अवहेलना होती है । अभी कल की ही तो बात है कि मेरा भतीजा जिसने बारहवीं कक्षा का इम्तहान दिया है और जो संस्कृत में किसी भी सवर्ण हिन्दू के लड़के से योग्य साबित होगा उसको बुलन्दशहर के एक बनिये ने मोटर में कहा कि हट भंगी के, किधर बैठा है । इतना ही नहीं मेरे बड़े भाई श्री चन्दा राम जो १५ अप्रैल को गुज़रे हैं और जो हमेशा फटे कपड़ों में और गरीबी की हालत में रहते थे, जब वे और मैं एक मंदिर में देव पूजन को गए तो हमें अन्दर घुसने नहीं दिया और धक्का मार कर हटा दिया गया, मेरे भाई को चांटा मारा गया, अब बतलाइये जब इस तरह का सलूक मेरे भाई के साथ किया गया और मैं अपने लिये क्या कहूं जिसका कैरियर हमेशा बड़ा प्रतिभाशाली रहा और अपने विद्यार्थी जीवन में कोई भी सवर्ण हिन्दू का लड़का मेरी टक्कर नहीं ले पाता था । मुझे और मेरे भाई को नीचे धक्का देकर गिरा दिया । मुझे वह वक्त याद है जब उन्होंने मेरे भाई के मुंह के ऊपर तमाचा मारा और मैं नीचे खड़ा देखता रहा और मन में सोचता रहा कि आखिर इस व्याधि का क्या इलाज है । बातें तो हम सब करते हैं लेकिन इसको खत्म करने वाला कोई नहीं मिलता :—

"कहता तो बहुतै मिला, करता मिला न कोय ।
जो कबीर करता मिले, तो कहता रहे न कोय ।।

मैं कहता हूं कि अस्पृश्यता अगर मिटानी है तो भंगियों के उद्धार के सम्बन्ध में सोचिये लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि भंगियों की समस्या का कोई हल होता नजर नहीं आता । यह जरूर है कि जो अमेंडमेंट मैंने दिया है उसके स्वीकार हो जाने से भंगी लोग भी इसकी डेफिनेशन में आ जायेंगे । मैं कहां तक आपको भंगियों की हालत बतलाऊं । जेल में भी जब मैं और मेरे दूसरे भाई गये तो बी० ए० तक पढ़े होने के बावजूद चूंकि मैं भंगी जाति से हूं इसलिये जेल में मुझे पाखाने का कूड़ा धोने को कहा गया । इसी तरह आर्मी में भी हमने देखा है कि हमारे आदमियों को चाहे वह कितने भी बहादुर हैं भंगी का पेशा करने के लिए मजबूर किया जाता है और उनको भंगी का काम करना पड़ता है और घोड़े की लीद उठानी पड़ती है । कम-से-कम जेल और आर्मी में तो आप उनकी रक्षा कर सकते हैं । आप इस बुराई और कोढ़ को दूर तो कीजिये ।

आप हरिजनों के लिए मंदिर प्रवेश की बात कहते हैं लेकिन मैं कहता हूं कि आपका देवता वहां से भाग गया है ।

मुझे इस सम्बन्ध में श्री रवीन्द्रनाथ टैगौर के वे शब्द स्मरण हो आते हैं :— "ओ, मेरे अभागे देश ! जिनका तू ने अपमान किया है, उस अपमान ने तुझे पीछे धकेल दिया है ।" मैं तो विचारधारा का समर्थक और अनुयायी हूं । यह बड़े हर्ष का विषय है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू

जो गाँधी के उत्तराधिकारी हैं और जिन्होंने कि गाँधी जी के चरणों में सेवा का व्रत लिया है, वह जवाहरलाल जी आज इस अस्पृश्यता पर चोट पर चोट लगा रहे हैं लेकिन पूरी तरह सामाजिक विषमता तथा कटुता के रहते उसकी चल नहीं पा रही है। इनके अलावा हृदय के आंसू आचार्य क्षिति मोहन सेन और तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में बहाये हैं। उन्होंने बतलाया कि ओ ब्राह्मणो, तुम इन हरिजनों से क्यों लड़ते हो, यह तो साक्षात भगवान के चरणों से निकले हैं। हमने इन अभागे लोगों के लिए गांधी जी के हृदय के आंसू देखे और उस बाल ब्रह्मचारी महर्षि दयानन्द सरस्वती के आंसू देखे और उनको ट्रिब्यूट देता हूं, मैं ईसाईयों को ट्रिब्यूट देता हूं, मुसलमानों को ट्रिब्यूट देता हूं कि उन्होंने प्राणी मात्र को सच्चा रास्ता दिखाया जब उनके पैगम्बर ने यह कहा: "अलहम्दुलिल्लाह रब्बुलआलमीन"। इसी तरह क्राइस्ट की टीचिंग देखिये जब वह कहते हैं: "तुम्हारा शब्द मेरा पथ प्रदर्शक है।"

अन्त में मैं गांधी जी का नाम इनवोक करता हूं उनका स्मरण करता हूं क्योंकि उन्होंने हमारे दुःख को समझा था, आप उस रूप में नहीं समझ सके हैं। आप भंगी की शक्ति के बारे में समझें। आप भूत जगा सकते हैं; पर भगा नहीं सकते; यह भंगी का काम है "हम भूत को भगवान जानते हैं।" भंगी की शक्ति झाड़ू में है। आज भी भंगी की झाड़ू के नीचे, भंगी की नीम की टहनी के नीचे बैठ कर अनेक हिन्दू औरतें और बच्चे झाड़ा लगवाते हैं। "वह काली कलकत्ते वाली, दोनों हाथ बजावै ताली" का मंत्र पढ़ कर उन हिन्दू औरतों और बच्चों का भूत भगाता है। आज उसी भंगी को नीचा दिखाया जाता है।

मैं कहता हूं, मैं दावा करता हूं कि देश में भंगी ही क्रान्ति करेंगे। मैं आज उन की क्रान्ति चाहता हूं। आज भंगी किसी प्रकार से दबने वाले नहीं हैं। लेकिन मुकिश्ल तो यह है कि देश के अन्दर पौलिटिकल पार्टीज में हम लोगों के संघर्ष को लेकर एक नई और राजनैतिक रूप धारण करने वाले खुशामदियों की अछूत जाति बनती जा रही है, जिनकी वजह से हमें विकल होना पड़ता है। मैं तो कहता हूं कि इस देश की बात सोचो, देश के बारे में विचार करो, मैं अपने देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि वे गांधी जी के शब्दों को न भूलें। मैं गांधी जी का इस मंत्र द्वारा आह्वान करता हूं:—

"आविर्वतो न आगहि परातश्च-
वृत्रह / इमा जुषश्व नो गिरः।"

ओ, सुन हमारी पुकार, और जहां तू सुने वहां से दौड़ा चला आ। आज हमारी दुःख भरी पुकार यह हुकूमत नहीं सुनती, यह मेम्बर नहीं सुनते देशवासी नहीं सुनते। तू सुन। एक न एक दिन गांधी को स्वयं आना पड़ेगा। हमारी क्रान्ति गांधी के नाम पर होगी, हमारी क्रान्ति कान्स्टिट्यूशन के नाम पर होगा और हमारी क्रान्ति उस वेलफेअर स्टेट के नाम पर होगी जिस ने यह बिल यहां पर रक्खा है। यह बिल कामयाब होगा, हमारी दुआयें हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप ने हम को बहुत पीछे हटा दिया है। मैंने सारे देश में जाकर उनकी दुर्दशा को देखा है। आप जरा सोचिये, आन्ध्र

[श्री बाल्मीकी]

के रैली, जो कि वहां के भंगी हैं, कैरल के थोटी, मैसूर के झाड़माली और उत्तरी भारत के चूहड़े भंगी और मेहतर जो हैं उन को इतना छेका गया है, इतना अलग रक्खा गया है कि उन्हें अपनी हालत का अहसास भी नहीं है। उन की हीन दशा का कोई ठिकाना नहीं है। आज सवर्ण लोग उन की दशा को महसूस नहीं करते हैं। उनके सिर पर आज इतना अछूतपन छाया हुआ है कि उस की याद कर के ही रूह कांप उठती है। मैं दो दिन से सब बातें सुन रहा हूं। लेकिन चुप था। मैं आज गांधी जी को नमस्कार करता हूं, मैं फिर कबीर, नानक आदि अन्य संतों को याद करता हूं, और उन के नाम पर आज जितने मेम्बर यहां बैठे हुए हैं, वह चाहे हिन्दु, मुसलमान; ईसाई कोई भी हों, उन सब से यही कहता हूं कि वह इस बिल को पास करके जब जांयं तो मुंह से यह रट लगायें "हरि को भजै सो हरि का होई। जाति पांति पूछै नहीं कोई।" "हरि का भजै सो हरि का होई, जाति पांति पूछे नहिं कोई", इसी मंत्र का उच्चारण और उस पर अमल करना शुरू कर दें। इन्हीं शब्दों में सदियों से हमें बल तथा प्रकाश मिला है। तभी हमारा भला हो सकता है। सिर्फ ला बनाने से ही हमारा काम नहीं चलेगा। हमें चाहिये सहिष्णुता, हमें चाहिये सहृदयता। मैं कोई कटुता नहीं चाहता। मैं तो ऋग्वेद के इस छोटे से वाक्य को ही सदा से अपना आदर्श मानता रहा हूं कि :

"वाचं नदत भद्रयाः।"

अर्थात् हम सदा प्रेम भरे और मधुर शब्द ही बोलें। मीठे शब्द बोलें, मैं कोई भी कटुता नहीं चाहता हूं। मैं ने कभी भी "भुस में आग लगाये जमालो दूर खड़ी" वाली बात पर चलना नहीं सीखा। मैं देश का भला चाहता हूं। हमें किसी प्रकार भी देश की उन्नति में बाधक नहीं होना चाहिये। मैं कहता हूं कि हमारे देशवासी हमें ऊपर उठायें।

यही मेरा एमेन्डमेन्ड है और मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी उस को स्वीकार करेंगे।

श्री बेलायुधन : मेरा संशोधन, वास्तव में, संशोधन संख्या १२४ का ही दूसरा रूप है। 'केवल' शब्द खण्ड ३ में ही नहीं, वरन् खन्ड ४ में भी यह शब्द आता है।

सभापति महोदय : तब तो इस बात पर तर्कों की कोई आवश्यकता नहीं।

श्री बेलायुधन : मेरा विश्वास है कि सरकार 'केवल' शब्द को हटाना स्वीकार करेगी। क्योंकि मेरा संशोधन स्वीकार किया गया है। मैं इस विषय में और कुछ नहीं कहना चाहता।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं सब से पहले जनाब की इजाजत से कान्स्टिट्यूशन की दफा १५ की तरफ श्री साधन चन्द्र गुप्त का ध्यान दिलाऊंगा कि उस के अन्दर किस हद तक उन के ऐतराजात का जवाब दिया गया है। यह तो सिर्फ अनटचेबिलिटी रिमूवल बिल है। उन के जो ऐमेंडमेंन्ट हैं वह उस के मुतल्लिक रेलेवेन्ट नहीं हैं। वह कान्स्टिट्यूशन के अन्दर रेलेवेन्ट थे। मैं ने तीन ऐमेन्डमेन्ट इस वास्ते पेश किये हैं : १०१, १०२ और १०३। ऐमेन्डमेन्ट नं० १०४ के मुतल्लिक मैं कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि हाउस ने अपना फैसला इस के मुतल्लिक दे दिया है। लेकिन मैं यह समझने से

कासिर हूं कि इस अल्फाज़ के क्या माने हैं। जो इस के अन्दर सब्स्टेन्टिव पार्ट है...

श्री साधन गुप्त : संविधान का अनुच्छेद १५ राज्य द्वारा व्यक्ति के विरुद्ध जाति के आधार पर विभेद करने के सम्बन्ध में है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : किन्तु वह प्रत्येक नागरिक को दिए गए मूल अधिकारों के सम्बन्ध में है । स्वयं में 'कोई निर्योग्यता प्रवर्तित करता है' शब्दों का पूरा भाव नहीं समझता । मैं विधि जानने का दावा तो नहीं करता लेकिन इतना जानता हूं कि ये शब्द और किसी अधिनियम में और कहीं प्रयोग में लाए नहीं गए हैं । मैं यह अनुरोध करता हूं कि यहां इस शब्दावली के स्थान पर वे ही शब्द जो खण्ड ७ में रखे गए हैं, रखे जायें, अर्थात् 'किसी भी व्यक्ति को इस अधिकार का प्रयोग करने से रोकता है,' अथवा 'किसी व्यक्ति को बाधा डालता है ।' चुनाचे यह शब्दावली भारतीय दण्ड संहिता में भी प्रयुक्त हुई है। इसी प्रकार खंड ४ के उपखंड (क) (८) के सम्बन्ध में भी मैं यही कहना चाहूंगा जहां यह कहा गया है कि—"किसी भी स्थान में निवास सम्बन्धी भू-गृहादि का निर्माण, प्राप्ति, अथवा कब्जा, वह कुछ भी हो"—क्योंकि यह सब उस व्यक्ति के स्वामित्व के अधिकार या उसकी शक्ति के अधीन होगा । मैं चाहता हूं कि इसमें "किसी भी भूमि या मकान पर जहां शिकायत करने वाले को यथास्थिति, निर्माण प्राप्ति या कब्जे का अधिकार हो ।" ये शब्द भी जोड़े जायं । अन्यथा अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति किसी की सम्पति पर कब्जा जमाकर बैठ जाएगा । इसी प्रकार खंड ४ (ख) में ये शब्द हैं:—

> "किसी भी व्यक्ति को कब्र खोदने या लाश उठाने के लिये बाध्य करता है ।"

आखिर बाध्य करने का क्या अभिप्राय है? मैं बलात् बाध्य होना तो समझ सकता हूं, किन्तु इस प्रकार किसी व्यक्ति का बाध्य होना नहीं समझ सकता । मान लीजिए, कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को इस प्रकार का काम करने का आदेश देता है अथवा उससे एतत्सम्बन्धी प्रार्थना करता है; तो क्या उसे अपराध समझा जाएगा? जबरदस्ती दबाव को मैं समझ सकता हूं परन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि किसी व्यक्ति को कब्र खोदने के लिए बाध्य करने का क्या अभिप्राय है । आप जानते हैं कि समूचे पंजाब में यह कार्य अनुसूचित जाति के लोग करते हैं और उन्हें नगद या जिन्स में इसके लिए भुगतान होता है । मैं यह भी जानता हूं कि दिल्ली के इस भाग में क्या हो रहा है । लाखों रुपये की खालें भूमि में दबा दी जाती हैं । हम सब चाहते हैं कि हमारे भाई अनुसूचित जातियों की आय के इस साधन को समाप्त न किया जाये । हम चाहते हैं कि कार्य का ढंग सुधारा जाये और इस उद्देश्य प्राप्ति के लिए कुछ भी किया जा सकता है । यदि वे यह काम करना चाहें तो करें, अन्यथा यह कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है । परन्तु यदि आप इसे अपराध का रूप दे देते हैं और कहते हैं कि जैसी कि उनकी मांग है कि लाश को हटाने के सम्बन्ध में कहने वाले प्रत्येक ग्रामवासी पर यह लागू होगा, चाहे वे यह कार्य करने के लिये तैयार भी हों, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता ।

श्री धुलेकर : खंड (ख) कहता है :

"किसी व्यक्ति को कब्र खोदने, या लाश हटाने या अछूतपन जताने या किसी व्यक्ति की मृत्यु की सूचना देने के लिये बाध्य करता है;"

मेरी अर्ज है कि इसमें रखी गई दो तीन बातों के बारे में गवर्नमेंट को फिर से थोड़ा बहुत विचार कर लेना चाहिये। आज जेलखानों में यह स्थिति है कि जब कभी केनिंग का हुक्म होता है तो भंगी को कम्पैल किया जाता है कि वह इस काम को करे। यह बात हिन्दुस्तान भर में फैली हुई है। हिन्दुस्तान में जितने जेलखाने हैं उनमें भंगी को यह काम करना पड़ता है, क्योंकि जेलर और सुपरिन्टेन्डेन्ट यही हुक्म देते हैं कि किसी दूसरी जात वाले से यह काम न लिया जाय। जहां तक "डिगिंग आफ ग्रेब्ज" का सम्बन्ध है, कुम्हार वगैरह इस काम को कर देते हैं।

मैं प्रीवियस स्पीकर को सपोर्ट करता हूं कि सारे हिन्दुस्तान में म्युनिसिपल बोर्ड, पंचायतें और टाउन एरिया कमेटीज़ पाखाना उठाने का काम भंगियों से कराते हैं। तमाम स्टेट्स में बहुत से ऐसे कानून बने हुए हैं, जिनके अनुसार पाखाना उठाना भंगियों का एक तरह का हक समझा जाता है और एक तरह का फर्ज भी समझा जाता है। वे चन्द मकानात के बारे में कहते हैं कि हम इनको "कमाते" हैं। उनको वे मकानात "कमाने" पड़ते हैं इसका मतलब यह है कि वे यह काम करने के लिए मजबूर किए जाते हैं। अगर वे पाखाना "झाड़ने" से इंकार करें तो वह शख्स, जो कि उनका "किसान" कहलाता है, मजिस्ट्रेट के यहां दरख्वास्त दे देता है और उस दरख्वास्त पर कार्य-वाही की जाती है, उस पर हुक्म होता है और सजा भी हो जाती है। मैं समझता हूं कि जब तक हिन्दुस्तान में इस किस्म के कानून हैं जिनके अनुसार म्यूनिसिपल बोर्ड या पब्लिक के कोई आदमी किसी शख्स पर यह जबर कर सकें और उसको मजबूर होकर पाखाना "झाड़ना" पड़े, तब तक यह अनटचेबिलिटी आफेन्सिज बिल ज्यादा फ़ायदेमन्द नहीं हो सकता है। इस लिए मैं अर्ज करूंगा कि इस दोष को सुधारने की जरूरत है और मैं गवर्नमेंट से उम्मीद करता हूं कि चाहे देर से ही सही, लेकिन वह इस बारे में अवश्य अमेंडमेंटस लाए। उसको अपने लाज को फिर से देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में म्यूनिसिपल एक्ट के अनुसार जो लोग इस तरह का काम करने वाले हैं, अगर वे इसे करने से इन्कार करें, तो उन पर जुर्माना कर दिया जाता है।

इस बिल में जरा आगे चल कर एक क्लाज "आफेन्सिज बाई कम्पनीज़" है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कम्पनीज़ की बात तो मामूली है, हमारे म्यूनिसिपल बोर्ड, पंचायतें और टाउन ऐरिया कमेटी हमेशा इस बात को देखते हैं और उन लोगों को मजबूर करते हैं कि वे सिर पर पाखाना उठायें और इसलिए उन्हें गाड़ियां नहीं देते हैं। मैं समझता हूं कि यह भी एक आफेन्स होना चाहिए कि चूंकि वे जात के भंगी हैं, इसलिए उनको गाड़ियां न दी जायें और उन्हें मजबूर किया जाय कि वे पाखाना "झाड़" कर डालियों में सिर के ऊपर रखें। गवर्नमेंट को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए और ऐसे बोर्डज़ कम्पनीज़ और कार्पोरेशन्ज के इस प्रकार के नियमों और कानूनों को गैर-कानूनी करार दे दिया जाय।

इन शब्दों के साथ में अर्ज करना चाहता हूं कि उस अमेंडमेंट को हटा दिया

जाये, जिसमें फिल्थ रीमूव करने इत्यादि का जिक्र है ।

श्री जांगड़े : मेरा संशोधन यह है कि:—

पृष्ठ ३ में,

(१) पंक्ति ३१ में, अन्त पर 'or' ['या'] जोड़ दिया जाये; और

(२) पंक्ति ३१ के बाद यह अंश जोड़ा जाये कि "चाय-पार्टी या और किसी उपाहार पर बुलाये गये व्यक्तियों में वह व्यक्ति सम्मिलित न होगा जो ऐसे वर्ग का सदस्य होते हुए शामिल होने से इन्कार करता हो ।"

मेरे कहने का मतलब यह है कि जब कभी बहुत से कार्यकर्ताओं का समूह किसी गांव में पहुंचता है—ऐसा अक्सर देहात में ही होता है—तो वहां का कोई भला आदमी उस सारे के सारे ग्रुप को कहता है कि हमारे यहां जलपान कर लीजिए या भोजन कर लीजिए या रात का भोजन कर लीजिए । लेकिन जब उसको मालूम होता है कि उस ग्रुप में कोई आदमी हरिजन भी है, तो उसको वह भोजन इत्यादि पर नहीं बुलाता है और इस तरह उसके प्रति डिस्क्रिमिनेशन और भेद-भाव का व्यवहार करता है । मुझे मालूम है कि भूदान कार्य के बारे में मैं एक बार अपनी कांस्टीच्युएन्सी में गया था । वहां पर पी० एस० पी० के एक लीडर ने यह जानकर कि मैं हरिजन हूं, मुझे अपनी पार्टी में शामिल नहीं किया । वह श्री शंकरराव देव को तो ले गए, लेकिन मुझे नहीं ले गए । यह बात मनुष्य के आत्म-गौरव के खिलाफ है और डिस्क्रिमिनेशन है । ऐसा कार्य करने वाले व्यक्तियों को अवश्य ही दंड मिलना चाहिए । यह बात किसी भी सैक्शन में शामिल नहीं है, इसलिए मैंने यह अमेंडमेंट रखा है कि जो भी व्यक्ति या संस्था इस तरह का वर्ताव करे, उसको दंड मिलना चाहिए । यही मेरी अमेंडमेंट का मतलब है

श्री एन० राचय्या : मेरे संशोधन संख्या ६३, ६४, ६५, ६९ और ७० हैं । ६३ के विषय में मैं चाहता हूं कि 'मुसाफिर-खाना' के स्थान पर 'मठ, मुसाफिरखाना या अन्य कोई स्थान' शब्द रखे जायें । सामाजिक अयोग्यता लागू करने के लिए दंड के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हरिजनों पर उच्च जाति के हिन्दुओं द्वारा किये गये अत्याचारों के लिए कोई भी दंड पर्याप्त न होगा । मैं पहिले ही कह चुका हूं कि हम लोग, अनुसूचित जाति के लोग, नहीं चाहते कि उच्च जाति के किसी भी हिन्दू को दंड दिया जाये । मैं गांधी जी, प्रधान मंत्री और स्वर्गीय सरदार पटेल का बड़ा आभारी हूं । उन्होंने संविधान में अनुच्छेद १७ रखवाया और अस्पृश्यता को हटाया । यदि कोई व्यक्ति इस संविधानीय उपबन्ध का उल्लंघन करता है तो वह राष्ट्रद्रोही है । इसके अतिरिक्त जहां तक धार्मिक मठों का सम्बंध है, जनतन्त्रवाद के लिए धार्मिक मठ ही सब से अधिक खतरनाक हैं । धार्मिक लोगों को अपने व्यवहार में धार्मिक होना चाहिए और सब के प्रति समानता का व्यवहार करना चाहिए । परन्तु वे सामाजिक विषयों में हस्तक्षेप करते हैं और राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रदर्पण कर चुके हैं । वे धर्म के नाम पर प्रत्येक बात का आदेश देते हैं और गरीबों को परेशान करते हैं । जब तक कि सरकार इन बातों के बारे में उचित व्यवहार नहीं करती, तब तक, मेरा ख्याल है, जनतन्त्रवाद सुरक्षित नहीं । इसी कारण मेरा अनुरोध है कि धार्मिक मठों को भी सम्मिलित किया जाये ।

[श्री एन० राचय्या]

जब तक मेरे माननीय मित्र को इस बात का, कि किसी को कब्र खोदने या लाश हटाने के लिए क्यों बाध्य किया जाये सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि यदि कोई किसी को बाध्य करता है, तो उसे दंड क्यों न दिया जाये ? यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने श्रम का आदर करेगा तो ये बातें घटित न होंगी ।

श्री एस० एल० सक्सेना : 'केवल' के बारे में मेरा एक संशोधन है और इसकी संख्या १२८ है ।

श्री वेलायुधन : यह संशोधन मेरे संशोधन जैसा ही है जिसे माननीय मंत्री ने स्वीकार कर लिया है ।

श्री एस० एल० सक्सेना : मेरा दूसरा संशोधन संख्या १३० है जिसमें कहा गया है कि पंक्ति ३१ के पश्चात् एक उप-खंड और जोड़ दिया जाये । मुझे बड़ा हर्ष है कि इस खंड में अनेकों अयोग्यतायें गिनाई गई हैं । मेरा ख्याल है कि एक अयोग्यता और जोड़ देनी चाहिए ।

मैं उप-खंड (क) के पैरा (४) पर किसी भी नदी, स्रोत, कुएं, आदि के प्रयोग पर विशेष जोर देना चाहता हूं । वास्तव में, यह खेद की बात है कि स्वतन्त्रता के सात वर्षों के पश्चात् आज भी लाखों लोग,—भंगी सार्वजनिक नल या कुएं से पानी नहीं ले सकते । यदि वे पानी लेने का प्रयत्न भी करें तो लोग लड़ने को दोड़ते हैं । मुझे प्रसन्नता है कि इस विधेयक में ऐसे लोगों के लिए दंड का उपबन्ध है । मैं चाहता हूं कि दंड के अतिरिक्त और कुछ भी उपबंधित किया जाना चाहिए ।

श्री पाटस्कर : अनेकों प्रस्तुत संशोधनों के बारे में, एक संशोधन संख्या ९ श्री कासलीवाल का है जिसके द्वारा वह खंड ४ के उपखंड (क) के अधीन एक खंड और जोड़ना चाहते हैं : "ऐसे रीत्यात्मक अवसरों पर आभूषणों और अलंकारों का प्रयोग, अथवा" । मेरी समझ में नहीं आता कि यहां 'ऐसे' शब्द किस प्रकार रखा गया है । कदाचित यह भूल है । "रीत्यात्मक अवसरों पर आभूषणों तथा अलंकारों का प्रयोग" मैं स्वीकार करता हूं । 'अलंकारों' के विषय में मैंने पूछ लिया है कि इसमें बहुत सी वस्तुयें सम्मिलित हैं । अनेकों सुझाव दिये गये हैं क्योंकि यदि रीत्यात्मक अवसरों पर अस्पृश्य लोग इन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो अनेकों लोगों को आपत्ति होती है । यदि हम 'अलंकार' शब्द रखते हैं तो इसमें रेशमी कपड़े और ऐसी ही अनेकों वस्तुयें सम्मिलित हो सकती हैं । 'ऐसे' शब्द के हटने से मैं इस संशोधन को स्वीकार कर सकता हूं ।

फिर उपखंड (ख) भी है जो महत्वपूर्ण है । अनेकों सदस्यों ने अनेकों संशोधनों की पूर्व सूचना दी है । मैं नहीं जानता कि स्वयं यह उप-खंड भी इस विधेयक में कैसे सम्मिलित हो गया है । इस में किसी व्यक्ति को कब्र खोदने या लाश हटाने या अछूतपन बताने या किसी व्यक्ति की मृत्यु की सूचना देने के लिए बाध्य करने का उल्लेख है । यह चाहे कुछ हो, ऐसे संशोधन भी हैं जिनमें यह सुझाव दिया गया है कि यह सूची इसमें जोड़ दी जाये । जिन लोगों को ऐसी कठिनाइयां हो रही हों उनसे मुझे पूर्ण सहानुभूति है और जहां कहीं ऐसा होता है, वहां यह अवश्य रोका जाना चाहिये । इसमें कोई संदेह नहीं

है । यह सूची व्यापक नहीं है । मैं माननीय सदस्यों को अपनी कठिनाइयां बताना चाहता हूं। स्वयं संविधान में, अनुच्छेद २३, में हमने कहा है :

> "मानव का पण्य और वेट बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबर्दस्ती लिया हुआ श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबन्ध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।"

भारतीय दंड सहिता की धारा ३७४ में भी जबरदस्ती कराया जाने वाला श्रम, उसका सम्बन्ध चाहे अस्पृश्य लोगों से हो या स्पृश्य लोगों से, दंडनीय है । बेगार दंडनीय है । मैं नहीं जानता कि इस विधेयक में जो केवल अस्पृश्यता अपराधों के लिए दंड निश्चित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है, यह उपबन्ध सम्मिलित ही क्यों होना चाहिए । मेरा ख्याल है कि संयुक्त समिति इस बात को छोड़ गई है । मैं नहीं चाहता कि मुझे गलत समझा जाये कि मैं यहां कुछ ऐसा करने का प्रयत्न कर रहा हूं जो अस्पृश्य लोगों के हित में न हो । हो सकता है कि कुछ भावात्मक आधार हों । यहां हम कोई ऐसी बात पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिसका इस विधेयक में कोई स्थान नहीं है । मेरे माननीय मित्र श्री धुलेकर ने उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम के कुछ उपबन्धों का उल्लेख किया था। उन्होंने निश्चित रूप से उल्लेख नहीं किया और मैं यह जानने में असमर्थ हूं कि वास्तव में ये उपबन्ध क्या हैं। भारत के किसी भी भाग में कोई भी उपबन्ध जो संविधान के इस अनुच्छेद के प्रतिकूल है सर्वथा शून्य है । अनुच्छेद महत्वपूर्ण और स्पष्ट है । यह अवैध है । मैं नहीं जानता कि वहां लोग क्या कर रहे हैं । हो सकता है कि कुछ स्थानों में कब्र खोदने, या लाश हटाने आदि के लिए लोगों को बाध्य किया जाता हो । परन्तु यह केवल संविधान के ही प्रतिकूल नहीं है अपितु भारतीय दंड संहिता की धारा ३७४ के अधीन दंडनीय भी है । ऐसा करने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता । अतः मैं यह मानने को तैयार हूं कि उपखंड (ख) को इस अधिनियम में कोई स्थान नहीं है और या हटा देना चाहिए ।

डा० रामा राव : आभूषणों आदि के प्रयोग के बारे में जो संशोधन माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है उसमें से 'ऐसे' शब्द हटा देना चाहिये ।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री संशोधन संख्या ९ को स्वीकार करना चाहते हैं । खंड ३ से शब्द 'केवल' हटा दिया गया है । संख्या १२८ भी स्वीकार होता है । अब मैं समस्त अन्य संशोधनों को एक साथ मतदान के लिए सभा में रखूंगा ।

श्री पाटस्कर : यहां मैं उपखंड (ख) को हटाने का प्रस्ताव करता हुं । मैं प्रस्ताव करता हुं कि :—

पृष्ठ ३ पर २९ से ३१ तक की पंक्तियां हटा दी जायें ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि:— पृष्ठ ३ पर २९ से ३१ तक की पंक्तियां हटा दी जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या ९ को, डा० रामा राव के सुझाव पर संशोधित तथा सरकार द्वारा स्वीकृत रूप में, अर्थात "ऐसे रीत्यात्म अवसर

[सभापति महोदय]

पर" इन शब्दों को हटा कर मतदान के लिये रखूंगा ।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ३, पंक्ति २८ में "(xi) the use of jewellery and finery; or" ["(११) आभूषणों तथा अलंकारों का प्रयोग अथवा"] शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या १२८ रखूंगा । प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ २, पंक्ति ३३ में "only" ["केवल"] शब्द को हटा दिया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय द्वारा अन्य समस्त संशोधन मतदान के लिए रखे गए जो अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि खंड ४, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ५.–(चिकित्सालयों आदि में लोगों को प्रविष्ट करने से इन्कार करने पर दन्ड)

सभापति महोदय : अब तक प्रस्तुत किए जाने के लिए दिखाए गये संशोधनों की संख्या ८५, १०५, ७२, १३४, १०६, ७३, १२, १३, ७४ है । [श्री वीरस्वामी ने संशोधन संख्या ८५, श्री एन० राचय्या ने संशोधन संख्या १०५ और ७२, श्री एस० एल० सक्सेना ने संशोधन संख्या १३४, पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संशोधन संख्या १०६, श्री एन० राचय्या ने संशोधन संख्या ७३, श्री खर्डेकर ने संशोधन संख्या १२ और १३, और श्री एन० राचय्या ने संशोधन संख्या ७४ रखे ।]

सभापति महोदय द्वारा यह सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये जो अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय : अब मैं खण्ड को मतदान के लिये रखूंगा ।

श्री साधन गुप्त : इस खण्ड में से 'केवल' शब्द निकालने के संबंध में क्या हुआ ?

श्री वेलायुधन : 'केवल' शब्द हमारे संशोधन संख्या १३३ में है । अब मैं उसका प्रस्ताव करूंगा ।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री इसे स्वीकार करेंगे । ऐसी अवस्था में वह अब उसे पेश कर सकते हैं ।

श्री पाटस्कर : जी हां ।

श्री वेलायुधन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि, पृष्ठ ३, पंक्ति ३६ में 'only' ['केवल'] शब्द हटा दिया जाये ।

सभापति महोदय द्वारा उक्त संशोधन मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड ५, संशोधित रूप में विधेयक का अंश बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ५, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ६–(सामान बेचने या सेवा करने से इन्कार करने पर दण्ड)

सभापति महोदय : अभी तक बताये गये संशोधनों की संख्या ८७, १०७, १०८, ७६, १५, ३५, ७७ और १४८ हैं ।

[श्री वीरस्वामी द्वारा संशोधन संख्या ८७, श्री एन० राचय्या द्वारा संशोधन संख्या १०७, पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा संशोधन संख्या १०८, श्री एन० राचय्या द्वारा संशोधन संख्या ७६, श्री खर्डेकर द्वारा संशोधन संख्या १५, श्री पी० एन० राजभोज द्वारा संशोधन संख्या ३५ और श्री एन० राचय्या द्वारा संशोधन संख्या ७७ रखे गये ।]

सभापति महोदय : क्या 'केवल' का कोई प्रश्न नहीं ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जी हां, वह खण्ड की पंक्ति २ में है ।

सभापति महोदय : क्या कोई संशोधन है ?

श्री वेलायुधन : गृह-मंत्री ने यह स्वीकार कर लिया है कि जहां भी कहीं शब्द 'केवल' आयेगा, उसे निकाल दिया जायेगा ।

सभापति महोदय : यदि हम यह कहते हैं कि जहां भी कहीं यह शब्द आवे, तो हो सकता है कि 'केवल' शब्द किसी अन्य प्रसंग में प्रयुक्त हुआ हो ।

श्री पाटस्कर : हमने 'केवल' शब्द हटा देने का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है । अतः उन्हें प्रत्येक खण्ड में बताना चाहिये, और उसी के अनुसार उसको हटाया जाएगा ।

सभापति महोदय : मैं भी समझता हूं कि इसे प्रत्येक खण्ड में बता दिया जाये क्योंकि शायद 'केवल' शब्द किसी अन्य स्थान पर किसी अन्य अर्थ में प्रयुक्त हुआ हो ।

श्री वेलायुधन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

कि पृष्ठ ३, पंक्ति ४८ में से "only" ['केवल'] शब्द हटा दिया जाये ।

सभापति महोदय : यदि यह उस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है तो मैं इसे मतदान के लिये रखूंगा ।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ३, पंक्ति ४८ में से "only" ['केवल'] शब्द हटा दिया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री जांगडे : मैं पृष्ठ ४ में पंक्ति ६ के पश्चात् कुछ अंश जोड़ने के संबंध में अपना संशोधन पेश करता हूं । सभापति जी, मेरा संशोधन जो मैंने अभी पढ़ा वह आवश्यक है और उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि नाई आदि दूसरे अन्य लोगों को सुविधाएं या सेवायें देते हैं और उनके पास कोई दुकानें नहीं हैं । नाई लोग घर-घर जाकर लोगों की हजामत करते हैं, और सेवा करते हैं, मैंने देखा है कि जब कभी कोई हरिजन उनसे सेवा हजामत कराना चाहता है, हरिजन के घर काम करना होता है तो नाई कह देते हैं कि हमने अपना वह पेशा या धंधा खत्म कर दिया है, बंद कर दिया है । और ऐसा कह करके वह हरिजनों को सर्विस नहीं देते । उदाहरण के लिये, मैं आपको बताऊं कि नाई के पास एक हरिजन जाकर कहता है कि भाई मेरी हजामत बना दो तो नाई उसको यह कह देता है कि भाई मैंने अपना धंधा बन्द कर दिया है और हमने देखा है कि थोड़े दिन बन्द रखने के बाद महीने दो महीने बाद वह अपना धंधा फिर चालू कर देता है, ऐसा बहाना बंद करने का वह सिर्फ हरिजन की हजामत या बाल न बनाने के लिये

[श्री जांगडे]

बनाता है और ऐसे केसेज के लिए जहां कि सिर्फ भेदभाव और छुआछूत के कारण वह नाई हरिजन की हजामत नहीं बनाता और कहता है कि भाई मैंने अपना यह धंधा बन्द कर दिया है और उसका काम करने से इन्कार कर देता है और थोड़े दिन के बाद फिर अपना काम चालू कर देता है, ऐसे लोगों को मेरा संशोधन चाहता है कि उन्हें अस्पृश्यता बरतने का अपराधी माना जाय और कानून द्वारा उन्हें इस अपराध के लिये दंडित किया जाय । उसके इस तरह आचरण करने का साफ मतलब यह होगा कि वह हरिजनों से छुआछूत बर्तता है और इसी कारण कुछ दिनों के लिए अपना काम बन्द कर देता है और थोड़े दिन बाद फिर अपना धंधा चालू कर देता है और मेरे संशोधन में यह चाहा गया है कि उसको इस अपराध के लिए सजा दी जाये । इस अमेंडमेंट को हमारे माननीय मंत्री को स्वीकार कर लेना चाहिए । बस इतनी ही मेरी उनसे विनय है ।

श्री पाटस्कर : यह संशोधन खण्ड ६ से तनिक भी संबंधित नहीं है । यह एक नये खण्ड ६-क के संबंध में है ।

सभापति महोदय : ठीक है । अब मैं केवल संशोधन संख्या ८७, १०७, १०८, ७६, १५, ३५ तथा ७७ को मतदान के लिए रखूंगा ।

संशोधन मतदान के लिये रखे गये जो अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय : 'केवल' शब्द हटा देने वाला एक संशोधन स्वीकार कर लिया गया है ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ६ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

श्री पाटस्कर : संशोधन संख्या ८९ की भांति नये खण्डों को जारी करने वाले अन्य संशोधन भी हैं और मैं समझता हूं कि इन्हें अन्त में लिया जायेगा ।

सभापति महोदय : इन्हें अन्त में लेने में कोई हर्ज नहीं है । अब हम खण्ड ७ लेंगे ।

खंड ७.—('अस्पृश्यता' सम्बन्धी अन्य अपराधों के लिए दंड)

सभापति महोदय : इस खण्ड पर जो संशोधन हैं, उनकी संख्या ३७, ३८, ११०, ३९, १११, ७८, ७९, ४२, ४३, ११२, ८०, १६, १७, ८१ तथा १३५ हैं ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा संशोधन संख्या ३७, ३८, ११०, ३९, १११, श्री एन० राचय्या द्वारा संशोधन संख्या ७८, ७९, पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा संशोधन संख्या ४२, ४३, ११२, श्री एन० राचय्या द्वारा संशोधन संख्या ८०, श्री खर्डेकर द्वारा संशोधन संख्या १६, १७, श्री एन० राचय्या संशोधन संख्या ८१ और श्री बोगावत (अहमदनगर—दक्षिण) द्वारा संशोधन संख्या १३५ रखे गये ।]

सभापति महोदय : ये सभी संशोधन सभा के समक्ष हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं संशोधन संख्या ३६, ३७, ३८, ३९, ४२ तथा ४३ के सम्बन्ध में बोलना चाहता हूं ।

खंड ४ के शब्द इस प्रकार हैं "जो कोई भी किसी व्यक्ति के विरुद्ध निर्योग्यता लागू करता है···।" खंड ७ के शब्द हैं "जो कोई किसी व्यक्ति को ऐसे अधिकार प्रयुक्त करने से रोकता है जो कि उसे अस्पृश्यता उन्मूलन के कारण मिले हैं···" ऐसा प्रतीत होता है कि खंड ७ खंड ४ का ही अर्थ देता है । इसलिये मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के शब्दों के स्थान पर ये शब्द रखे जायें :

"कि यदि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को धारा ३, ४, ५ और ६ में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करने से रोकता है "

तब कहीं यह शब्द सार्थक होंगे । मेरा सुझाव है कि इन तीन पंक्तियों को हटा दिया जाय । यह मेरा संशोधन संख्या ३७ है ।

संशोधन संख्या ३८ के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है 'तंग करना' शब्द बहुत सार्थक नहीं हैं यह केवल मनोवैज्ञानिक शब्द हैं जिनसे अस्पष्टता झलकती है ।

इसी प्रकार पृष्ठ ४ की पंक्ति १३, १४ में 'कोई ऐसा अधिकार' संदिग्ध शब्द हैं । इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा यह निरर्थक हो जायेगा । पृष्ठ १५ में भी 'कोई ऐसा अधिकार' के स्थान पर पूर्वोक्त खंड ३, ४, ५ और ६ में उल्लिखित 'कोई ऐसा अधिकार' रखा जाये ।

तत्पश्चात् ये शब्द हैं कि 'ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को मकान पर अधिकार अथवा उसका उपभोग करने देने से इन्कार करता है, तथा ऐसा किसी व्यक्ति से लेन-देन, व्यापार करने अथवा परम्परागत सेवा प्राप्त करने अथवा देने से इन्कार करता हैं, इत्यादि । मेरा सुझाव है कि यह यहां आवश्यकता से अधिक है । इसे दंडनीय अपराध नहीं बनाया जाना चाहिये ।

पृष्ठ ४ के ४२ तथा ४३ पंक्तियों के शब्द भी संदिग्ध हैं । इस अधिनियम का क्या उद्देश्य है ? इसे विधि तक स्पष्ट नहीं करती है । ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि किसी ऐसे अपराध के लिये दंड देना जिसका स्वयं हमें निश्चय नहीं है, ठीक नहीं कहा जा सकता है । ऐसी विधि निर्मित नहीं की जानी चाहिये, जिसका अर्थ स्वयं दोनों सभायें भी नहीं जानती हैं ।

श्री बोगावत (अहमदनगर—दक्षिण) : सभा को यह बताने में मुझे हर्ष होता है कि मेरे जिले के एक समाज-सेवक ने एक हरिजन कन्या से विवाह कर लिया है । शिक्षित व्यक्तियों में ऐसे अनेकों विवाह हो सकते हैं, परन्तु गावों में बड़ी कठिनाई यह है कि ऐसा विवाह करने पर समूचे परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है । यदि कोई किसी व्यक्ति का हुक्का पानी इस कारण बंद करता है कि उसने किसी अस्पृश्य से विवाह कर लिया है, तो यह विधि लागू होगी । मेरे संशोधन में इसी बात का उल्लेख है । यदि यह वहां होता है तो ऐसे विवाहों को प्रोत्साहन मिलेगा और वास्तविक उत्थान होगा । अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये

[श्री जोगावत]

संशोधन पर ध्यानपूर्वक विचार करें और स्वीकार करके यथास्थान उसे निविष्ट करदें ।

श्री एन० राचय्या : मैं इस खंड ७ का समर्थन करता हूं । अभी मेरे माननीय मित्र ने कहा था कि उनक निर्वाचन क्षेत्र में एक उच्च जाति के हिन्दू कुमार ने एक हरिजन कन्या से विवाह कर लिया है । यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई परन्तु प्रायः ऐसे विवाह गन्धर्व विवाह हीं होते हैं और हम उन्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि यह गन्धर्व विवाह खुल्लम खुल्ला और विधानानुकूल हो सकते हैं । हम चाहते हैं कि हिन्दुओं में, व्यक्ति चाहे किसी भी जाति या वर्ग का हो अन्तर्जातीय विवाह हों । खंड ७ के सम्बन्ध में अभी पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था कि इसमें अधिकारों के सम्बन्ध में व्याख्या नहीं है । परन्तु मैं कहता हूं कि पहली बात तो यह है कि खंड ७, उपखंड (क) उस व्यक्ति को दंड देता है जो किसी व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद १७ के अधीन अस्पृश्यता की स्वीकृति के कारण उसे प्राप्त होने वाले अधिकार का प्रयोग करने से रोकता है। यह विशेषकर एक मूल और व्यावहारिक अधिकार है । अतः यदि अस्पृश्य व्यक्ति को संविधान के अधीन किसी अधिकार का प्रयोग करने से रोका जाता है, तो यह एक अपराध है । इस आधार पर मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन का विरोध करता हूं ।

पंडित के० सी० शर्मा (जिला मेरठ—दक्षिण) : इस खंड के होने का मुझे कोई भी कारण दिखाई नहीं देता, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद १७ अस्पृश्यता को और उससे उत्पन्न होने वाली निर्योग्यताओं को समाप्त करता है और परिणाम यह होता है कि एक अस्पृश्य व्यक्ति वहाँ जा सकता है जहाँ अस्पृश्यता के विद्यमान रहते हुए वह नहीं जा सकता था । अतः यदि कोई उसे रोकता है तो वह अपराध करता है और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा ३४१ के अधीन दंड दिया जा सकता है परन्तु इसे यहां निविष्ट करने से क्या लाभ है । वास्तविकता यह है कि, आपकी अनुमति से मैं यह कहूंगा, सम्भवतः इस विधान की समूची योजना का कुछ मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो परन्तु इसका दूसरा कोई भी क्रियात्मक लाभ नहीं । अतः यदि इसे रखना है तो मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन का समर्थन करता हूं क्योंकि फिर इसका कुछ तो अर्थ होगा ।

श्री पाटस्कर : खंड ७ के उपखंड (क) के सम्बन्ध में पर्याप्त टीका टिप्पणी हुई है । माननीय सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव और माननीय मित्र पंडित के० सी० शर्मा ने जो मत और विचार प्रकट किये हैं, मैं ने उन्हें ध्यानपूर्वक सुना है । प्रश्न यह है कि इस खंड में हम किस बात पर विचार कर रहे हैं । मैं जानता हूं कि ये लम्बे चौड़े मामले हैं । इस बारे में कोई संदेह नहीं है । खंड ३ में हमने यह किया है कि धार्मिक निर्योग्यताओं को लागू करने के लिए दंड का उपबन्ध किया है । उसमें सामाजिक निर्योग्यताओं का विशेष वर्णन है । खंड ५ में अस्पतालों आदि में लोगों को भर्ती करने से मना करने वालों के लिये दंड का उपबन्ध किया गया है ।

माननीय सदस्य देखेंगे कि संविधान का अनुच्छेद १७, जिसका उल्लेख खंड ७

के उपखंड (क) में किया गया है, अस्पृश्यता को समाप्त करता है । खंड ७ में किसी व्यक्ति द्वारा उस अधिकार का प्रयोग किये जाने के निरोध का उल्लेख है जो उसे संविधान के अनूच्छेद १७ के अधीन "अस्पृश्यता" की समाप्ति के कारण प्राप्त होता है । इस बारे में कोई संदेह नहीं है । परन्तु इसका अभिप्राय अन्य मामलों पर भी लागू होने का है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : कौनसे अन्य मामले ? क्या माननीय सदस्य कुछ उदाहरण दे सकते हैं ?

श्री पाटस्कर : मैं श्री बोगावत द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन का उल्लेख कर सकता हूं । उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति ने एक हरिजन कन्या से विवाह कर लिया था और इस कारण उसका बहिष्कार कर दिया गया ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जहां तक बहिष्कार करने का संबन्ध है, यह विधेयक में विशेष रूप से सम्मिलित किया गया है और मैं ने इस बारे में कुछ नहीं कहा ।

श्री पाटस्कर : अन्य सदस्य ने अनुच्छेद ६ का उल्लेख किया था, और कहा था कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति कोई वस्तु मोल लेना चाहे और दुकानदार बेचने से मना कर दे । अतः, मैं यह कहता हूं कि यह एक व्यापक उपबन्ध है । इस बारे में कोई संदेह नहीं है ।

श्री बाल्मीकी : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर । बात यह है कि मेरा अमेंडमेंट का मकसद यह था कि इस क्लाज़ नं० ४ के ख भाग के शब्द ढोरों की लाश के पीछे "टट्टी, गंदगी या कूड़ा" शब्द बढ़ा दिये जायें क्योंकि इस के द्वारा सब तरह से भंगी के पेशे के रूप में इस छुआछूत की लानत को खत्म कर दिया जायेगा । इंडियन पीनल कोड की धारा ३७४ बेगार के सम्बन्ध में है, लेकिन भंगी का काम भंगी को ही करना पड़ता है और उसका काम किसी से नहीं कराया जा सकता है, चमार से नहीं कराया जा सकता है, ब्राह्मण से नहीं कराया जा सकता और न कोई करने को तैयार ही है ।

सभापति महोदय : आनरेबल मेम्बर साहब ने तो प्वायंट आफ आर्डर रेज कर के तकरीर करनी ही शुरू कर दी है, जिसके लिये कि उन्हें इन्कार कर दिया गया था ।

श्री बाल्मीकी : असेन्शियल सर्विसिज़ आर्डीनेंस, १९४१ मौजूद है, जिसके अनुसार भंगी या मेहतर को वह काम करने के लिये मजबूर किया जाता है । इसलिए मैं समझता हूं कि जब तक य लफ्ज़ इन्सर्ट नहीं किए जाते, तब तक भंगियों को कोई सेफगार्ड नहीं मिलता है । मैं मंत्री महोदय से इस बात का जवाब चाहता हूं ।

सभापति महोदय : यह तो कोई प्वायंट आफ़ आर्डर नहीं है । चूंकि आनरेबल मेम्बर को तकरीर के लिए वक्त नहीं मिला, इसलिए उन्होंने इस वक्त तकरीर शुरू कर दी है ।

श्री पाटस्कर : भंगी जाति के बारे में माननीय सदस्य ने जिस जिस कठिनाई का उल्लेख किया है, मैं उसे जानता हूं । मैं केवल यह कह सकता हूं कि माननीय सदस्यों ने जिन परिस्थितियों के बारे में शिकायत की है, उन्हें दूर करने के लिए विधेयक में पर्याप्त उपबन्ध किया गया है, अथवा, जहां तक इस विधेयक के उपबन्धों का संबंध है, उन्हें दूर करने के लिए कोई उपाय होगा । मैं उन्हें विश्वास दिला सकता हूं कि अधिनियम पूर्ण होगा । फिर एक ओर तो यह चर्चा थी कि

[श्री पाटस्कर]

अस्पृश्य लोगों के विरुद्ध जो किया गया है, क्या उस सब पर यह लागू होता है। दूसरी ओर यह शिकायत थी कि हम अनिश्चित बातों के लिए व्यवस्था करने का प्रयत्न कर रहे हैं। स्वयं यह शिकायत इस प्रश्न का उत्तर है। अनुच्छेद १७ में "अस्पृश्यता को दूर करने" से क्या मतलब है। यह अब स्पष्ट हो गया है। प्रत्येक छोटी छोटी बात के बारे में बताना हमारे लिए असम्भव है। जो कुछ हमने किया है उसका और कोई विकल्प नहीं है। अत खंड ३ में हमने धार्मिक निर्योग्यताओं पर दंड की व्यवस्था की है। खंड ४ में हम सामाजिक निर्योग्यताओं पर दंड की व्यवस्था कर रहे हैं। खंड ५ में लोगों को अस्पतालों आदि में भर्ती करने से मना करने के लिए दंड की व्यवस्था है। फिर एक साधारण खंड है जिसके अनुसार जो भी बात संविधान के अनुच्छेद १७ के विरुद्ध की जायेगी वह अपराध मानी जायेगी। मैं यह मानता हूं कि यदि यह सामान्य दंड विधान होता तो यह बड़ा विस्तृत होता। परन्तु जिस मामले पर हम कल से विचार कर रहे हैं उस की दृष्टि से और जिस प्रकार हम इस प्रश्न का समाधान कर रहे हैं उसके अनुसार मेरा ख्याल है कि खंड ७ पर, जिस रूप में वह अब है, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

सभापति महोदय: मैं इन सब संशोधनों को मतदान के लिए सभा में प्रस्तुत करता हूं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: परन्तु माननीय मंत्री ने कुछ संशोधनों का न तो उत्तर दिया और न उन पर विचार किया।

श्री पाटस्कर: यदि माननीय सदस्य सोचते हैं कि मैंने कुछ बातों को छोड़ दिया है तो मैं उन्हें बता दूं कि इसका कारण यह नहीं है कि मैं उन्हें महत्व नहीं देता अपितु स्वयं समस्या और जिस रूप में यह विधेयक बनाया गया है उसको दृष्टि से उनके संशोधनों को स्वीकार करना असम्भव है।

सभापति महोदय द्वारा सारे संशोधन एक साथ मतदान के लिए रखे गये जो अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है: "कि खंड ७ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ८ से ११

सभापति महोदय: एक नया खंड ७-क है। कदाचित इस पर हम अन्त में विचार करेंगे खंड ८, ९ और ११ पर एक एक संशोधन है और खंड १० पर कोई संशोधन नहीं है। यदि कोई सदस्य कोई और संशोधन प्रस्तुत करना चाहें तो वे ऐसा कर सकते हैं।

श्री साधन गुप्त: मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ ५, पंक्ति ५ में "be suspended" ["स्थगित किया जाये"] के स्थान पर "shall be suspended" ["स्थगित किया जायेगा"] रखा जाये।

श्री एन राचय्या: मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ ५, पंक्ति १२ में "Manager" ["प्रबन्धक"] के पश्चात "Swami" ["स्वामी"] रखा जाये।

श्री डाभी: मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ ५, पंक्ति २४ और २५ में "punishable" ["दंडनीय"] के स्थान पर "punished" ["दंडित"] शब्द रखा जाये।

सभापति महोदय: अब ये सारे संशोधन सभा के सामने हैं।

श्री डाभी: मैं अपने संशोधन द्वारा खंड ११ में 'दंडनीय' के स्थान पर 'दंडित' रखना चाहता हूं। आपको विदित है कि यह खंड बाद के अपराधों में दंड को बढ़ाना चाहता है। इस खंड के अधीन यदि कोई व्यक्ति दोबारा

कोई अपराध करता है तो उसे कारावास और जुरमाना दोनों ही भुगताने पड़ेंगे परन्तु मेरा ख्याल है कि यदि वहां "दंडित" शब्द न होगा तो न्यायालय यह निर्णय करेंगे कि कुछ मामलों में उन्हें एक या दूसरा दंड देने का अधिकार है । उदाहरणार्थ बम्बई के उच्च न्यायालय ने ऐसा निर्णय किया था अतः जब हमने बम्बई मद्यनिषेध अधिनियम बनाया तो हमने वहां "दंडनीय" के स्थान पर दंडित शब्द का प्रयोग किया था। आशा है कि संदेह के पूर्ण निवारण के लिये सरकार मेरे संशोधन को स्वीकार करेगी।

श्री एन० राचय्या : मै खंड ९ और ११ का समर्थन करता हूं। खंड ८ में कुछ परिस्थितियों में लाइसेंस(अनुज्ञा)को रद्द करने का या स्थगित करने का उल्लेख है। इसके बाद के खंड ९ में फिर से अनुदान देने या सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों को निलम्बित करने का उल्लेख है। मान लीजिये कि किसी आश्रम, होस्टल, मठ या धार्मिक संस्था को सरकार ने कुछ अनुदान दिये हैं या कुछ अचल सम्पति दी है तो सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह देखे कि उन अनुदानों आदि का सदुपयोग होता है या नहीं। यदि उनका सदुपयोग नहीं होता है तो सरकार को चाहिये कि उन्हें वापस ले ले। इतना ही नहीं अपितु सरकार को उन लोगों की व्यक्तिगत सम्पति भी छीन लेनी चाहिए जो ऐसे अनुदानों का अनुचित प्रयोग करते हैं । यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता का व्यवहार करता है तो वह अस्पृश्य व्यक्ति का अस्तित्व छीन लेता है। यदि जनतंत्रता को फलना फूलना है तो अस्पृश्यता और महानता का भाव तुरन्त ही समाप्त होना चाहिए। मैं ने कई बार इस बात पर जोर दिया है कि अस्पृश्यता स्वतंत्रता की शत्रु है। मैं हिंसा या दंड द्वारा अस्पृश्यता का समाप्त होना नहीं चाहता जैसा कि गांधी जी ने कहा है। मैं चाहता हूं कि सरकार गांधी जी के आदेश के अनुसार अहिंसा द्वारा अस्पृश्यता समाप्त करे ।

सभापति महोदय : हमने इसके लिए तृतीय वाचन सहित, जो समय नियत किया था उससे भी ५० मिनट अधिक ले चुके है। अब मैं माननीय सदस्य को और अधिक समय नहीं दे सकता। अब मैं श्री राघवय्या को बुलाता हूं और मैं उन्हें केवल तीन मिनट दे सकता हूं ।

श्री राघवय्या (अंगोल): मेरे लिए इतना भी पर्याप्त है। खंड ११ में कहा गया है कि एक अपराध को एक से अधिक बार करने पर अपराधी को कारावास व जुरमाना—दोनों का ही दंड दिया जायेगा ।

इस संबंध में मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि प्रत्येक अनुवर्ती अवसर पर ऐसे अपराधी को कारावास दंड या अर्थ दंड देने के बजाय उसे और कड़ी सजा दी जानी चाहिये क्योंकि एक बार जब न्यायाधीश यह निर्णय दे देता है कि इस प्रकार का अपराध सभी माननीय (स्तों) से परे हैं तब कुछ थोड़ी अवधि का कारावास दंड देने अथवा कुछ जुर्माना कर देने से उसे ठीक रास्ते पर नहीं लाया जा सकेगा। साठ वर्ष के स्वतंत्रता-युद्ध, बीस वर्ष तक गांधी जी की शिक्षा और स्वतंत्रता-प्राप्ति के सात वर्ष बाद भी आज हम अस्पृश्यता को पहले की अपेक्षा अधिक गंभीर रूप में और अधिक परिमाण में देखते हैं । स्वतंत्र भारत में अस्पृश्यों को मतदान देने जैसे मूल भूत अधिकारों का उपयोग करने से रोका जाता है, यहां तक कि भारत सरकार द्वारा दिये गये अधिकारों का भी वे उपयोग नहीं कर सकते । आन्ध्र के सामान्य निर्वाचनों में यही बात हुई है । यदि आप इस अपराध को इतना गंभीर समझते हैं तो मे विचार से दंड भी बहुत व्यापक और कठोर होना चाहिए।

[श्री राघवय्या]

केवल कारावास दंड या अर्थ दंड की पुनरावृत्ति से यह सामाजिक रोग दूर नहीं होगा ।

सभापति महोदय : कठिनाई यह है कि संशोधन के तौर पर भी कोई सुझाव नहीं दिया गया है ।

श्री राघवय्या : मैं वह माननीय मंत्री पर ही छोड़े देता हूं कि वह उस पर विचार करें और उसे प्रस्तुत रखें । मेरा कथन केवल इतना ही है कि इस गंभीर सामाजिक रोग को दूर करने के लिये तत्परता और गंभीरता से इसका मुकाबला किया जाये और इसके लिये मैं यह सुझाव दूंगा कि सम्पत्ति जब्त की जाये क्योंकि अधिकतर ऊंचे वर्गों के लोगों ने ही उन्हें अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करने से रोका है ।

सभापति महोदय : दुर्भाग्य से माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे । वह सुझाव पहले ही दिया गया था । अब उन्होंने वह विशिष्ट संशोधन भी नहीं रखा है ।

श्री राघवय्या : मैं मानता हूं कि यह सुझाव प्रथम वाचन के समय ही दिया गया था किन्तु अब मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री स्वयं स्थिति के उपयुक्त कोई संशोधन प्रस्तुत करेंगे और इस विषय में कुछ किया जायगा ।

श्री पाटस्कर : ये खंड जो एक साथ रखे गये हैं, बहुत सरल हैं । खंड ८ उन मामलों में जिन में कि ऐसी बातें हुई हैं, अनुज्ञप्तियों को रद्द करने अथवा स्थगित करने के विषय में है । खंड ९ सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों को स्थगित करने अथवा चालू करने के विषय में है । खंड १० में अपराध के अनुत्तेजन और खंड ११ में पश्चातवर्त्ती दोषसिद्धि की स्थिति में वृद्धिगत दंड की विवेचना की गयी है ।

मेरे माननीय मित्र श्री डाभी ने खंड ११ के संबंध में कुछ सुझाव रखे हैं । अब यह खंड इस प्रकार है :

> "इस अधिनियम के अधीन यदि किसी के विरुद्ध पहले ही अपराध या ऐसे अपराध का अनुत्तेजन सिद्ध हो चुका है, तो वह व्यक्ति प्रत्येक ऐसे पश्चातवर्ती दोषसिद्धी के बाद कारावास दंड और अर्थ दंड दोनों से ही दंडनीय होगा ।"

मैं ने बम्बई उच्च न्यायालय का निर्णय ध्यान से पढ़ा है । मैं यह नहीं कह सकता कि वह ठीक है या नहीं, किन्तु वह एक बिल्कुल भिन्न विषय है । मैं नहीं समझता कि हम यहां कोई परिवर्तन करें और वह भी इसलिये कि कहीं पर एक ऐसी ही धारा के संबंध में, जिसके शब्द ठीक मिलते जुलते नहीं हैं कुछ निर्णय किया गया है । मेरे विचार से हमें उसी सामान्य सूत्र का अनुसरण करना चाहिये जो दांडिक उपबन्धों में प्रायः पाया जाता है । मैं संशोधन के उद्देश्य से पूर्णतया सहमत हूं किन्तु मैं शब्दावली में कोई परिवर्तन करना जैसा कि सुझाव किया गया है, आवश्यक नहीं समझता । एक और सुझाव मैंने यह सुना है कि संपत्ति जब्त की जानी चाहिये । किन्तु मैं उस आशय का कोई संशोधन यहां नहीं पाता हूं ।

इस के पश्चात सभापति महोदय ने तीनों संशोधन (संख्या ४६, ११३ और ४७) मतदान के लिये रखे और अस्वीकृत हुये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड ८ से ११ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ८ से ११ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड १२ से १६

सभापति महोदय : क्या मैं अन्य खंडों को एक साथ लूं ?

श्री पाटस्कर : मेरे विचार से यदि सभी खंड एक साथ लिये जायें तो उससे समय की बचत होगी । संशोधनों के संबंध में, मैं केवल श्री साधन गुप्त के खंड १७ के सम्बन्ध में संशोधन संख्या ५१ को स्वीकार करने के लिये तैयार हूं ।

सभापति महोदय : अब हम खंड १२ से १६ तक पर एक साथ चर्चा करेंगे और इन खंडों में यह संशोधन है :

संशोधन संख्या ४८, ४९, ११४, ११५ ११६, ११७, ११८ और ५० ।

श्री राघवाचारी ने संशोधन संख्या ४८, श्री के० सी० सोधिया ने संशोधन संख्या ४९, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने संशोधन संख्या ११४ से ११८ और श्री साधन गुप्त ने संशोधन सं० ५० प्रस्तुत किये ।

सभापति महोदय : ये सभी संशोधन अब सभा के समक्ष हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं सर्वप्रथम खण्ड १२ के विषय में कहूंगा । वह इस प्रकार है :

"यदि संविधान के अनुच्छेद ३६६ के खण्ड (२४) में दी गई परिभाषा के अनुसार अनुसूचित जाति के किसी सदस्य के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन यदि कोई अपराध किया गया हो, तो न्यायालय यह अनुमान कर लेगा कि जब तक कि विपरीत सिद्ध न किया जाये वह कार्य केवल अस्पृश्यता के आधार पर ही किया गया था ।"

हमने इस विधेयक में कई खंड पारित किये हैं। उदाहरण के लिए यह एक खंड है :

"जो भी केवल अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी स्थान में किसी आवास के निर्माण, अर्जन या कब्जे के विषय में कोई निर्योग्यता लागू करता है, वह दंडनीय होगा ।"

इसका अर्थ यह होगा कि वह व्यक्ति किसी भी स्थान पर, चाहे वहां उसकी कोई जमीन या मकान हो या न हो, आवास स्थान का निर्माण अथवा अर्जन कर सकता है । यदि कोई उसका विरोध करे तो क्या यह माना जायेगा कि अस्पृश्यता के आधार पर उसका विरोध किया जा रहा है ?

इसी प्रकार खंड ५ में कहा गया है :

"जो कोई अस्पृश्यता के आधार पर (क) किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय, शैक्षणिक संस्था अथवा उससे संलग्न छात्रावास में प्रवेश अस्वीकार करे, यदि वह अस्पताल, औषधालय, शैक्षणिक संस्था अथवा छात्रावास सामान्य जनता अथवा उसके किसी विभाग के हित के लिये स्थापित किया गया हो या जारी रखा गया हो; अथवा

(ख) कोई ऐसा कार्य करे जिससे उस व्यक्ति के प्रति उपरोक्त किसी संस्था में प्रवेश के बाद भेदभाव करता हो...."

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

आगे खंड ७ में यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति से सेवा लेना अस्वीकार करे तो वह दंडनीय होगा।

इस सब में यह पहले ही अनुमान कर लिया गया है कि जो भी कोई अस्वीकार किया जाता है वह केवल अस्पृश्यता के आधार पर ही किया जाता है। किन्तु यह अनुमान बहुत असंस्कृत है और किसी भी मामले में इसका आश्रय नहीं लिया जाना चाहिये क्योंकि इसमें अनुसूचित जातियों के सदस्यों और अन्य जाति वालों दोनों को ही बड़ी असुविधा होगी और इससे बहुत कठिनाइयां पैदा होंगी। अनुसूचित जातियों के सदस्यों को तो इससे हानि भी हो सकती है क्योंकि विधेयक की शब्दावली के अनुसार अभियुक्त किसी की जाति का हो सकता है, किन्तु अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के बारे में ही होना चाहिये। जहां तक अभियुक्त का सम्बन्ध है, वह किसी भी जाति का हो सकता है।

जहां तक अनुमानों का सम्बन्ध है, मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का निर्देश करना चाहता हूं। उसमें तीन प्रकार के अनुमान दिये गये हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा ४ में कुछ ऐसे मामलों का उल्लेख किया गया है जिनमें न्यायालय कुछ बातों का अनुमान कर सकता है। आप यह सिद्धान्त भलीभांति जानते हैं कि अपराध जितना ही अधिक जघन्य हो उतने ही अधिक सबूत होने चाहियें। यही सिद्धान्त दण्ड विधि में भी है। माननीय गृह मंत्री ने अपने भाषण के प्रारम्भ में यह कहा था कि देश में किसी हद तक अब भी अस्पृश्यता है और वह इस बात को मानते हैं कि यह एक ऐसी विश्वव्यापी बात नहीं है कि जिस से न्यायालय यह अनुमान करले कि जो भी कार्य किया जाता है वह दलित जाति के सदस्यों की अनियोग्यता के कारण ही किया जाता है। यदि आप इसे विश्वव्यापी अनुमान बना दें, तो पिछले समाज सुधारकों के इस सरकार के और गांधी जी के सारे प्रयत्न व्यर्थ हो जायेंगे। अतः मेरे विचार से अच्छे प्रशासन के हित में दलित जातियों के हित में और देश की सामान्य विधि के हित में हमें ऐसा नहीं करना चाहिये। मैं देखता हूं कि जब कभी अपराध का कोई प्रश्न उपस्थित होता है, तो प्रमाण का भार अभियुक्त पर छोड़ दिया जाता है। क्या इसका अर्थ यह है कि इस देश में प्रत्येक व्यक्ति अस्पृश्यता की भावनाओं से प्रेरित है और कोई उससे ऊपर नहीं उठ सकता है। मेरा कथन यह है कि अनेक मामलों में अनेक अन्य कारणों से भी यह काम किया जाता है। यदि अन्य कोई तथ्य न हों, तो न्यायालय यह अनुमान कर सकता है कि यह इसी कारण किया गया है। किन्तु ऐसे भी मामले हो सकते हैं जहां अस्पृश्यता की कोई बात ही न आती हो किन्तु वर्तमान स्थिति में प्रत्येक मामले में दोष सिद्धि निश्चित है। इसलिये मैंने इन संशोधनों की सूचना दी है।

अब मैं खंड १४ के बारे में कुछ कहूंगा। इस खंड को देखने से यह मालूम होता है कि कंपनियों के मामले में भी अस्पृश्यता को बनाये रखने के संगठित प्रयत्न हो सकते हैं। सभी आर्थिक और वाणिज्यिक मामलों में यह उपबन्ध रखा जाता है और यहां भी रखा गया है। इस विधेयक में इस उपबन्ध की असंगति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के उद्देश्य से मैंने उस संशोधन का सुझाव दिया है जिसमें

मैंने कहा है कि सरकारी विभागों को, मंत्रियों को और प्रशासन के अध्यक्ष सचिवों को भी साधारण व्यक्तियों के तरह इस अपराध के लिये दंड दिया जाये । मैं नहीं जानता कि इसे यहां क्यों रखा गया है । मैं तो यहां तक कहूंगा कि जब सरकार और सारा राष्ट्र अस्पृश्यता को दूर करने के लिये कटिबद्ध है तो यह असम्भव है कि कंपनियों अथवा संगठित व्यक्ति अस्पृश्यता का व्यवहार करें । इसीलिये मैंने यह सुझाव दिया है । मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह खंड १२ के सम्बंध में मेरा संशोधन स्वीकार कर लें और इस विधेयक में खंड १४ के रखे जाने की व्यर्थता को समझें । मैं इसके लिए बिलकुल चिंतित नहीं हूं कि खंड १४ सम्बन्धी मेरा संशोधन स्वीकार किया जाये किन्तु मैं यह चाहता हूं कि उसकी व्यर्थता को समझा जाये ।

श्री साधन गुप्त : मैं पंडित ठाकुरदास भार्गव की खंड १२ सम्बन्धी टिप्पणियों से पूर्णतया सहमत नहीं हूं । यह एक सामाजिक विधान है और इसे कार्यान्वित करने के लिये अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । अतः ऐसे मामलों में, जहां यह संदेह हो कि कोई कार्य अस्पृश्यता के आधार पर अथवा अन्य किसी आधार पर किया गया है, वहां विधि की कार्यान्विति को सम्भव बनाने के लिये कुछ अनुमान का उपबन्ध करना आवश्यक है । मैं इस बात से सहमत हूं कि अनुमान की कठोरता कुछ कम कर दी जाये किन्तु प्रारंभिक अनुमान अवश्य होना चाहिये अन्यथा इस सामाजिक बुराई को दूर करना असम्भव होगा और प्रमाण की असंदिग्धता के कारण अनेक अपराधी दंड से बच जायेंगे । इसलिये मैंने इस परिवर्तन का—"विपरीत परिस्थितियों की अनुपस्थिति में"—सुझाव दिया है ।

खंड १४ के सम्बन्ध में, पंडित ठाकुर दास भार्गव से मेरा पूर्ण मतभेद है । प्रश्न यह नहीं है कि अस्पृश्यता को कार्यान्वित करने के लिये कम्पनियां बनायी जायेंगी या नहीं । कम्पनियां तो कतिपय व्यक्तियों के दृष्टिकोण से संचालित होती हैं । सम्भव है कि किसी कम्पनी के संचालक अथवा अंशधारी अस्पृश्यता का व्यवहार करना चाहें और वे अनुसूचित जातियों को माल या सेवाओं का विक्रय न करें । सम्भव है कि कम्पनी की ओर से ऐसे परिपत्र जारी किये जायें जिन से कि माल या सेवाओं की बिक्री उनके लिये निषिद्ध हो । यदि खंड १४ रखा जायेगा, तो इस तरह की कार्यवाही को रोका जा सकता है । उदाहरण के लिये, यदि किसी कंपनी के संचालक इस आशय का कोई परिपत्र जिस पर किसी संचालक के हस्ताक्षर न हों, जारी करे कि यह कंपनी अस्पृश्यों को कोई चीज नहीं बेचेगी, तो आप इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को किस प्रकार पकड़ेंगे ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : कोई भी समवाय यह कह देगा कि वह कोई वस्तु बेचना नहीं चाहता है । उन का हित तो प्रत्येक वस्तु को बेच देने में ही है ।

श्री साधन गुप्त : मैं चाहता हूं कि खण्ड १४ अवश्य रखा जाये । इस खण्ड के न रहने से इस बात का वास्तविक खतरा है कि जो लोग समवाय बनाने वाले हैं वे अस्पृश्यता संबंधी अपराध करते रहेंगे और यदि यह खण्ड रहेगा तो जैसा

[श्री साधन गुप्त]

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा है कोई भी अस्पृश्यता संबंधी अपराध नहीं करेगा। खंड १५ में मैंने एक संशोधन अपराध की अभिसंधेयता के हटाने के लिये रखा है। अपराध अभिसंधेय जभी बनाये जाते हैं जब वे प्रधानतः व्यक्तिगत महत्व वाले होते हैं। परन्तु यह एक ऐसा अपराध है जिस से उस व्यक्ति विशेष से अधिक समाज दिलचस्पी रखता है। इस लिये इसे अभिसंधेय नहीं बनाया जाना चाहिये। यह कहा जा सकता है कि अभिसंधेय न्यायालय की अनुमति से किया जा सकता है। ऐसी अवस्था में न्यायालय इस बात का ध्यान रखेगा कि ऐसा कोई काम न किया जाये जिस में समाज का अहित हो। परन्तु अस्पृश्यता का अपराधी अधिकांशतः बहुत शक्तिशाली व्यक्ति होगा और जिस अछूत के विरुद्ध वह ऐसा अपराध करेगा उस को वह इस प्रकार मिला लेगा कि सच बात न्यायालय के सामने आने ही नहीं पायेगी अभियुक्त तथा अछूत की ओर से संयुक्त रूप से एक प्रार्थनापत्र न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर दिया जायेगा और इस प्रकार सभी मामले खत्म हो जायेंगे। इस लिये मैं अभिसंधेयता के उपबंध का विरोध करता हूं। यदि आप समझते हैं कि अपराध गंभीर नहीं है तो आप नाममात्र का ही दंड रखिये जैसे न्यायालय के उठने तक बन्दीकरण।

श्री राघवाचारी : खंड १२ के सम्बन्ध में मैं ने एक संशोधन रखा है कि इस खंड की भाषा में परिवर्तन किया जाये।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

पहली बात तो यह है कि यह खंड मूल विधेयक में नहीं था वरन् संयुक्त समिति द्वारा बढ़ाया गया है। दूसरी बात यह है कि अनुमान सम्बन्धी यह खंड इसलिये बढ़ाया गया था कि विधेयक में कहा गया था---सभी मामलों में केवल अस्पृश्यता के आधार पर। इसी लिये यह उपबन्ध बढ़ाया गया था कि जब कोई अपराध किया जाये तो यह अनुमान किया जाये कि यह केवल अस्पृश्यता के आधार पर किया गया है। अब सरकार ने यह मान लिया है कि शब्द 'केवल' न रखा जाये इस लिये अब इस खंड के रहने की आवश्यकता नहीं है।

मैं यह भी चाहता हूं कि जहां यह कहा गया है, "जब किसी अपराध का किया जाना बताया गया हो" वहां होना चाहिये "जब किसी अपराध का किया जाना प्रमाणित हो जाये" अन्यथा परिणाम यह होगा कि इस का निर्वचन किया जायेगा "जब किसी अपराध के किये जाने का कथन किया गया हो।" इस का अर्थ है कि प्रमाण की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी केवल अनुमान के आधार पर ही लोगों को कारावास का दण्ड दिया जायेगा। यह प्रक्रिया आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धान्तों के सर्वथा प्रतिकूल है।

दूसरी बात यह है कि आप चाहते हैं कि सभी अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में इस प्रकार का अनुमान किया जाये। अनुसूचित जातियों में ८० या ९० जातियां हैं, उन में से बहुत सी ऐसी हैं जो अछूत नहीं हैं। मानलीजिये इस अपराध का लक्ष्य किसी ऐसी जाति के व्यक्ति को बनाया गया हो जो अछूत जातियों में से न हो परन्तु अनुमान फिर भी यही किया जायेगा कि इसका आधार अस्पृश्यता है। यह एक विचित्र बात होगी। अतः हमें इस विधेयक के क्षेत्र के सम्बन्ध में निश्चित हो जाना चाहिये।

श्री वेलायुधन : अनुमान खण्ड के सम्बन्ध में मेरा एक संशोधन था कि शब्द "केवल" निकाल दिया जाये, परन्तु क्योंकि माननीय मन्त्री ने इसे स्वीकार कर लिया है इसलिये अब वह बात पूरी हो गई है।

में श्री राघवाचारी से सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं कि इस खण्ड का रखना आवश्यक है।

डा० रामा राव : अपराधों की अभिसंधेयता सम्बन्धी संशोधन संख्या ५० का मैं समर्थन करता हूं। हम एक बहुत ही आवश्यक विधेयक को पारित कर रहे हैं और इस उपबन्ध के कारण इस विधेयक से जो लाभ हो सकते हैं वे सब व्यर्थ हो जायेंगे। आप सब जानते हैं कि समाज की दशा क्या है। सवर्ण जाति वाले हर प्रकार से शक्तिशाली तथा सम्पन्न हैं और यह तथाकथित अछूत उनसे दबे हुए हैं। पहले तो इस अपराध को प्रमाणित करना कठिन है। फिर यदि प्रमाणित भी हो गया तो उसका अभिसंधान किया जा सकता है क्योंकि सवर्ण जाति वाले अछूतों को हर प्रकार से विवश कर सकते हैं। इसलिये ऐसे अपराधों के लिये जब तक कोई दण्ड नहीं रखा जायेगा चाहे वह बहुत साधारण सा ही क्यों न हो, इस विधेयक से कोई लाभ नहीं होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यह अपराध हस्तक्षेप्य बनाया गया है।

श्री नानादास (ओंगोल--रक्षित अनुसूचित जातियां) : अनुमान सम्बन्धी खण्ड के विरोध में कहा गया है कि यह न्यायशास्त्र तथा न्यायालयों की प्रक्रिया के विरुद्ध है, परन्तु साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि इन अपराधों का प्रमाणित करना अनुसूचित जातियों के लिए बहुत कठिन है। इसलिये संयुक्त समिति ने यह अनुमान सम्बन्धी उपबन्ध बढ़ाया था।

दूसरी बात मैं अभिसंधेयता के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। यदि यह अभिसंधेयता वाला उपबन्ध रखा गया तो इस विधेयक का सारा प्रयोजन ही समाप्त हो जायेगा। संयुक्त समिति में भी अधिकांश सदस्यों का मत यही था कि यह अपराध हस्तक्षेप तथा अभिसंधेय हो। जब राज्यसभा में वाद-विवाद हो रहा था तो मेरे माननीय मित्र श्री दातार ने भी इसी प्रकार का आश्वासन दिया था। अछूत इतने निर्बल हैं कि एक दिन की मजूरी के लालच से भी उनको मिलाया जा सकता है। वे बहिष्कार या सामाजिक दबाव का भी सामना नहीं कर सकते हैं। इसलिये अभिसंधान का यह उपबन्ध हटा दिया जाये।

श्री राघवय्या : जब हम खण्ड १५ पर आते हैं तो देखते हैं कि जिस गंभीरता के साथ यह विधेयक सभा के सामने प्रस्तुत किया गया है उसका कोई अंश भी शेष नहीं रहा है। आज हमारे देश का सामाजिक ढांचा ऐसा है कि एक अछूत के लिये एक सवर्ण हिन्दू के विरुद्ध इस प्रकार के अपराध के लिये न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना बहुत कठिन है। यदि सारे लालचों और धमकियों से बचकर उसने किसी प्रकार वाद प्रस्तुत कर भी दिया तो इस अपराध के अभिसंधेय होने का परिणाम यह होगा कि बजाये इसके कि अभियुक्त को दंड दिया जाये अभिसंधान के कारण स्वयं वाद ही समाप्त हो जायेगा। हम २५ वर्ष से इस अभिशाप के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। आज जब हम इसे समाप्त करने के लिए यह विधेयक पारित कर रहे हैं तो हमें इसमें ऐसे उपबन्ध को स्थान नहीं देना चाहिए जो इसके लिए घातक है।

श्री धुलेकर : मैं खंड १२ का विरोध करता हूं क्योंकि इसमें कहा गया है कि

[श्री धुलेकर]

कोई भी व्यक्ति यदि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति का कोई कार्य करने से इन्कार कर दे तो अनुमान यही किया जायेगा कि उसने अस्पृश्यता के आधार पर ही ऐसा किया है । मान लीजिए कि किसी अधिकारी के सामने पांच-छै उम्मेदवार क्लर्क या स्टेनों की नियुक्ति के लिए उपस्थित होते हैं । जिनमें से एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का होता है । अब वह यदि अनुसूचित जाति वाले को न चुन कर किसी अन्य उम्मेदवार को चुन लेता है तो वह अनुसूचित जाति वाला व्यक्ति न्यायालय के सामने उस अधिकारी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकता है और उसके कथनमात्र से अनुमान किया जायेगा कि ऐसा करने का आधार अस्पृश्यता था। इस प्रकार यह खंड बहुत ही अनुचित है और इसे किसी प्रकार स्थान नहीं दिया जाना चाहिये ।

यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो "shall" ["गा"] शब्द के स्थान पर "may" ["सकता है"] शब्द का प्रयोग किया जाए जिससे कि न्यायालय को इतना स्वविवेक प्राप्त हो कि वह सारी स्थिति पर विचार करके यथोचित अनुमान ही करे ।

इसी प्रकार मैं खण्ड १४ का विरोध करता हूं जो समवायों के अपराध के सम्बन्ध में है । एक समवाय की कितनी ही शाखायें सारे देश में फैली होती हैं । यदि किसी एक शाखा के किसी व्यक्ति ने अपराध किया हो तो इसका यह अर्थ नहीं है कि समवाय के सभी व्यक्तियों ने अपराध किया है, और यदि माननीय मंत्री शब्द "समवाय" रखना ही चाहते हैं तो इसकी परिभाषा इस प्रकार की जाये कि ानीय निकाय जैसे कार्यपालिकायें तथा पंचायतें भी इसमें सम्मिलित की जा सकें क्योंकि इस प्रकार के अपराध करने में सब से बड़ा स्थान कार्यपालिकाओं को ही प्राप्त है जो मेहतरों और भंगियों को अपने सर पर रख कर टट्टी ले जाने के लिए विवश करती हैं ।

श्री एस० एल० सक्सेना : मैं समझता हूं कि खंड १२ का होना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि एक ओर सवर्ण जातिवाले और उनकी सारी सम्पत्ति और प्रभाव और दुसरी ओर सबसे निर्धन व्यक्ति जिनके पास इतने साधन भी नहीं है कि वे न्यायालय में जाने का साहस कर सकें । इसलिये खंड १२ ही उनका एकमात्र परित्राण है जिससे उन्हें किंचित न्याय मिल सकता है क्योंकि उन्हें अपने वाद को प्रमाणित नहीं करना होगा और दूसरा पक्ष अपनी रक्षा करने के लिये कितने ही वकीलों को खड़ा करेगा । मैं समझता हूं 'खंड' १२ में कोई दोष नहीं है सिवाय इसके कि शब्द 'केवल' निकाल दिया जाये ।

मुझे खेद है कि खण्ड १५ में इस अपराध को अभिसंधेय बना दिया गया है । एक तो वैसे ही अभियुक्त का दण्डित होना कठिन है क्योंकि वह सवर्ण जाति वाला एक धनी व्यक्ति होगा जो कितने ही वकीलों को खड़ा करेगा और यह प्रमाणित करेगा कि वह अपराधी है ही नहीं, और यदि वह अपराधी प्रमाणित भी हो जाये तो उसे दण्ड नहीं मिलेगा क्योंकि वह निर्धन हरिजन को मजबूर करके अभिसंधान करा लेगा । दूसरे कुछ लोग हैं जिनका काम ही दावे दायर करना है । ऐसे लोगों को एक व्यापार मिल जायेगा ।

पंडित जी० बी० पन्त : मुझे खेद है कि इन खण्डों पर उस दृष्टि से विचार

नहीं किया जा रहा है जिस से कि एक सामाजिक विधान पर विचार किया जाना चाहिए। यह विधेयक सामाजिक सुधार की क्रिया को आसान बनाने के लिये पारित किया जा रहा है। इस विधान का उद्देश्य बदला लेना नहीं है और न हमारा यह अभिप्राय है कि अनुसूचित जाति वालों के लिये कठिनाईयां बढ़ाई जायें। इस विधेयक का प्रयोजन तो उनकी कठिनाइयों को दूर करना है और शीघ्र ही उस दिन को निकट लाना है जब कि इस देश के प्रत्येक भाग से अस्पृश्यता का लोप हो जायेगा। इसी दृष्टिकोण से हमें इस विधेयक पर विचार करना चाहिये।

खण्ड १२ को जैसी हमारी परिस्थितियां हैं उनके अनुकूल ही बनाया गया है। उसमें उपबंध किया गया है कि अनुसूचित जाति वालों का जहां तक संबंध है यदि इस विधेयक में उल्लिखित किसी कार्य का किया जाना प्रमाणित हो जाये तो यह मान लिया जायेगा कि उस का संबंध अस्पृश्यता से है। बस इतना ही इस खण्ड में कहा गया है।

श्री राघवाचारी : ये शब्द वहां नहीं हैं।

पंडित जी० बी० पन्त : किन्तु उस में जो शब्द दिये गये हैं वे ये हैं कि जब किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के सम्बन्ध में यह अपराध किया गया हो"। जब यह अपराध किया गया होगा तब ऐसा अनुमान किया जायेगा। अभियुक्त को यह सिद्ध करना होगा कि उस ने जो काम किया वह अभियोक्ता को अनुसूचित जाति का सदस्य मानकर नहीं अपितु अन्य कारणों से किया है। अतः मैं नहीं समझता कि लोगों को इस खण्ड में क्या आपत्ति हो सकती है। मैं समझता हूं कि यह खण्ड यथावत् रहना चाहिये। अनुसूचित जातियों को विधि द्वारा सुरक्षा की आवश्यकता है जो उन्हें इस खण्ड से प्राप्त होगी।

हमने अन्य खण्डों से शब्द 'केवल' को निकाल दिया है, अतः उसे इस खण्ड की पंक्ति ३० में से भी शब्द 'केवल' निकाला जा सकता है।

खण्ड १४ में कुछ शब्द अनावश्यक और अनुचित हैं। उनमें से शब्द "समवाय भी" निकाल दिये जायें क्योंकि कम्पनी कोई जीवित वस्तु नहीं है, वह तो एक न्यायज्ञ निकाय है। अतः उसका अपबन्ध उस में से निकाला जा सकता है। जो व्यक्ति अपराध करे उसे दण्डित किया जा सकता है, किन्तु इस प्रकार के मामलों में किसी भी कम्पनी को दण्ड नहीं दिया जा सकता।

इसी प्रकार उपखण्ड २ में "उपेक्षा के कारण अथवा किसी की लापरवाही के कारण।" शब्द निकाल दिये जायें। इससे कम्पनी के जिस किसी पदाधिकारी की अनुमति से कोई अपराध किया गया होगा, उसे दण्ड दिया जा सकेगा। कोई भी अदालत इसके पश्चात् किसी अन्य व्यक्ति को अपराधी नहीं बता सकती।

खन्ड १५ के उपखण्ड (ख) के बारे में भी कुछ आपत्ति की गई है। संयुक्त समिति में सभा के सभी दलों के प्रतिनिधि थे और उसके प्रतिवेदन के पृष्ठ (६) की कण्डिका २६ में जो कहा गया है उसे किसी ने गलत नहीं बताया है। अतः हमें संयुक्त समिति की यह राय माननी पड़ती है कि ये अपराध अभि-

[पंडित जी० बी० पन्त]

संधेय होने चाहियें । जितने भी अपराध होते हैं वे सब अदालत की अनुमति से अभिसंधेय बनायें जाते हैं। उदाहरण के लिये गम्भीर आघात आदि के मामले अदालत की अनुमति से अभिसंधेय बनाये जा सकते हैं। जहाँ पर अदालत यह देखती है कि मामले को अभिसंधेय बनाना अभियोक्ता के हित में है, तो वह उस की अनुमति दे देगी। इसी दृष्टि से हम इन अपराधों के बारे में भी विचार कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्य नहीं है तो उस के प्रति तो यह अपराध किया नहीं जा सकता। यदि कोई होटल वाला मुझे होटल में नहीं आने देता है तो मैं दीवानी अदालत में भले ही उस पर दावा कर सकूं किन्तु मैं इसे फौजदारी अपराध नहीं बता सकता। इसी प्रकार यह विधेयक सम्बन्धी मामले अधिकतर दीवानी से सम्बन्ध रखते हैं। वे फौजदारी के अपराध केवल इस दृष्टि-कोण से बनाये जाने को हैं कि हमारे देश से अस्पृश्यता दूर हो सके । हम ऐसी स्थिति नहीं पैदा करना चाहते जो बूमरैंग की तरह उलटी हमारे ही गले पड़े । अस्पृश्यता सम्बन्धी अपराध अज्ञानतावश किये जाते हैं। अतः उनसे दोनों पक्षों में मित्रता बढ़ाने की जरूरत है कटुता की नहीं । किसी भी देश में ऐसे काम अपराध नहीं माने जाते हैं। फिर भी लोग हम पर कटाक्ष करते हुए यह कहते हैं हम अस्पृश्यता निवारण में ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं । ऐसी बातों से हमें बड़ा दुःख होत है ।

एक सदस्य ने यह भी कहा कि हम अपना धर्म बदल लेंगे । सामाजिक सुधार का यह कोई ढंग नहीं है । प्राचीन काल में सैंकड़ों वर्षों तक अनुसूचित जातियों ने यातनायें सहीं किन्तु उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा । लालचवश अन्य लोगों ने तो धर्म परिवर्तन भी किया किन्तु वे अपने स्थान पर दृढ़ रहे । उन की यह धर्म निष्ठा प्रशंसनीय है ।

आज जब हम उन की समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो हमें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहियें जो हमारे लिये कल्याणकारी न हों । अतः मैं निवेदन करता हूं कि जिन संशोधनों का मैंने सुझाव दिया है उन के साथ इन खंडों को स्वीकार किया जाये ।

श्री पाटस्कर : मैं प्रस्ताव करता हूं कि : पृष्ठ ५, पंक्ति ३० में शब्द "only" ["केवल"] हटा दिया जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि : पृष्ठ ५, पंक्ति ३० में शब्द "only" ["केवल"] हटा दिया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संशोधन संख्या ४८, ४९, ११४ और ११५ मतदान के लिय प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १२, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १२, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : अब हम खंड १३ को लेते हैं ।

डा० रामा राव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि : पृष्ठ ५ पंक्ति ४० में शब्द 'only' ['केवल'] हटा दिया जाय ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि : पृष्ठ ५, पंक्ति ४० में शब्द 'only' ['केवल'] हटा दिया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"खंड १३, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १३ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : खंड १४ में दो सरकारी संशोधन हैं । माननीय मंत्री उन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री पाटस्कर : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ५, पंक्ति ४५ में शब्द "as well as Company" ["कम्पनी भी"] निकाल दिऐ जायें ।

(२) पृष्ठ ६, पंक्ति ५ में "or connivance of or is attributable to any neglect on the part " ["उपेक्षा के कारण अथवा किसी की लापरवाही के कारण"] शब्द निकाल दिये जायें ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ५, पंक्ति ४५ में शब्द "as well as company" ["कम्पनी भी"] निकाल दिये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ६, पंक्ति ५ में "or connivance of or is attributable to any neglect on the part" ["उपेक्षा के कारण अथवा किसी की लापरवाही के कारण"] शब्द निकाल दिये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : इस खंड के लिये तीन संशोधन और हैं जिनकी संख्या है ११६, ११७ और ११८ ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं संशोधन संख्या ११८ वापस लेता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

संशोधन संख्या ११६ और ११७ मतदान के लिये प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है: "कि खंड १४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १४, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : अब हम खंड १५ को लेते हैं । इस के लिये श्री साधन गुप्त का संशोधन संख्या ५० है जो प्रस्तुत किया जाता है।

संशोधन मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि खंड १५ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १६ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड १७ (निरसन)

श्री साधन गुप्त : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ट ६, पंक्ति २८ के अन्त में यह जोड़ दिया जाये :

"to the extent to which they or any of the provisions contained therein correspond or are repugnant to this Act or to any of the provisions contained therein.",

[श्री साधन गुप्त]

["इस अधिनियम से अथवा इस के किन्हीं भी उपबन्धों से जिस अंश तक वे अथवा उस के कोई भी उपबन्ध अनुरूप हैं या विरुद्ध हैं।"]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि: पृष्ठ ६, पंक्ति २८ के अन्त में यह जोड़ दिया जाये:

"to the extent to which they or any of the provisions contained therein correspond or are repugnant to this Act or to any of the provisions contained therein",

["इस अधिनियम से अथवा उस के किन्हीं भी उपबन्धों से जिस अंश तक वे अथवा उस के कोई भी उपबन्ध अनुरूप है या विरुद्ध हैं।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि खंड १७, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १७, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

नये खण्ड

श्री पाटस्कर : नये खंडों के जोड़े जाने के सम्बन्ध में कुछ और संशोधन हैं ।

श्री जांगड़े : मेरा संशोधन संख्या ८९ है जिसे मैं प्रस्तुत करता हूं । वह नया खंड ६-क रखने के बारे में है ।

श्री पाटस्कर : उन के संशोधन की जो बातें हैं वे पहले ही इन खण्डों में आ चुकी हैं अतः उन की आवश्यकता नहीं है ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

श्री पाटस्कर : यही बात संशोधन संख्या ११९, १३८ पर लागू होती हैं ।

श्री राघवैय्या : मेरा संशोधन संख्या १३७ भी इसी विषय में है ।

श्री पाटस्कर : वह भी अनावश्यक है ।

सभापति महोदय : यदि माननीय सदस्य चाहें तो अपना संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं और उस के बारे में बोल सकते हैं ।

श्री राघवैय्या : मैं अपना संशोधन संख्या १३७ प्रस्तुत करता हूं । इसके बारे में मैं कुछ बातें निश्चय ही सभा के सन्मुख रखना चाहता हूं । हमारे यहां अनेक संस्थायें ऐसी हैं जिन्हें कुछ व्यक्ति आर्थिक सहायतायें देते हैं । उन्होंने लिखित रूप में यह शर्त लिखवा ली होगी। ऐसा सम्भव है, कि यदि अमुक समुदाय के व्यक्ति उस संस्था में भर्ती होंगे तो वे अपना अनुदान बन्द कर देंगे । मैं चाहता हूं कि ऐसे व्यक्तियों को इस विधेयक के अन्तर्गत लाया जाये अन्यथा जब अनुसूचित जातियों के बच्चे उन संस्थाओं में भर्ती होंगे तब यह स्थिति पैदा हो सकती है । अथवा, यह आवश्यक नहीं कि ऐसे व्यक्तियों की कोई लिखित शर्त हो तभी वे ऐसा कर सकते हैं । अनेक व्यक्ति बिना किसी दस्तावेज के स्वेच्छा से ही अनेक वर्षों से संस्थाओं को दान देते रहे हैं और वे अपना अनुदान रोक सकते हैं। इसके लिए वे अनेक बहाने बनाकर बच सकते हैं ।

वह कह सकता है कि उसकी आमदनी अच्छी थी इसीलिए वह ऐसा करता था और क्योंकि अब उसकी आमदनी उतनी नहीं है इसलिए वह ऐसा नहीं कर सकता। इस प्रकार वह अपराध से मुक्त होने की चेष्टा करेगा।

मैं चाहता हूं कि ऐसे व्यक्तियों को भी इस विधेयक के अन्तर्गत दंड दिया जाना चाहिए। इसलिए मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है। मैं आशा करता हूं कि माननीय गृह मंत्री मेरे संशोधन को इस विधेयक में अवश्य स्थान देंगे।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री क्या कहना चाहते हैं ?

पंडित जी० बी० पन्त : मैं इसकी जरूरत नहीं समझता। यह एक कल्पनात्मक विषय है। यदि ऐसा कोई अवसर आया तो हम अनुदानों से अपना अनुदान जारी रखने की प्रार्थना करेंगे।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १३७ मतदान के लिए प्रस्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : जिन संशोधनों को स्वीकार नहीं किया जाने को है उन्हें प्रस्तुत करने की मैं आवश्यकता नहीं समझता। अब हम खण्ड १ लेते हैं।

खण्ड १—संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

श्री दातार : मैं प्रस्ताव करता हूं कि : पृष्ठ १ पंक्ति ४ में "1954" ['१९५४'] के स्थान पर "1955"["१९५५"] रखा जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि : पृष्ठ १ पंक्ति ४ में "1954" ["१९५४"] के स्थान पर "1955" ["१९५५"] रखा जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि : "खण्ड १ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

श्री दातार : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

पृष्ठ १ पंक्ति १ में "Fifth Year" ["पांचवें वर्ष"] के स्थान पर "Sixth Year" ["छटे वर्ष"] शब्द रखे जायें।

संशोधन सभापति महोदय द्वारा मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि : अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

पंडित जी० बी० पन्त : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि : "विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

हैदराबाद निर्यात शुल्क (मान्यीकरण) विधेयक

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि हैदराबाद राज्य से वस्तुओं के निर्यात पर कतिपय शुल्क लगाने

[पंडित जी० बी० पन्त]

तथा उनके वसूल करने को मान्यता देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह विधेयक एक औपचारिक ढंग का है। विलयन के समय हैदराबाद में कुछ शुल्क लगे हुए थे जो बाद में भी जारी रहे। उन में कुछ वैधिक कठिनाइयां उपस्थित हो गई हैं जिन के कारण इस विधि को मान्यता देना हमारे लिये आवश्यक हो जाता है। इन शुल्कों को जब लगाया गया था तो उपभोक्ताओं ने उन्हें दिया था, और अब उन शुल्कों के वसूल करने वाले उस धन के वापस किये जाने की मांग कर रहे हैं जो उन्हों ने दिया है परन्तु जिस को उन्हों ने उपभोक्ताओं से प्राप्त किया था यह बहुत अनुचित है। अतः न्याय और समानता को सुनिश्चित करने के हेतु इस विधेयक को पुरःस्थापित करना ठीक समझा गया है। यह एक पूर्ण रूप से अविवादी विषय है और मुझे विश्वास है कि सभा इसे स्वीकार करेगी।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व) : मैं इस विधेयक के विरोध में नहीं हूं। इस का जो उद्देश्य है, वह हमें मालूम है। यह कुछ ऐसे कार्यों को मान्यता देने के लिये है जो इस बात के न जानते हुए कि जिस विधि के अन्तर्गत वह कार्य किया गया था, कालातीत हो चुकी थी, किये गये थे। यह विधि रक्षा विनियम के अन्तर्गत बनाई गई थी और जो आपातकालीन स्थिति के समाप्त होने पर रद्द हो गई थी। किन्तु हैदराबाद सरकार फिर भी इस विनियम के अन्तर्गत निर्यात-शुल्क लगाती रही। राज्य सरकारें इतनी लापरवाही से काम करती हैं कि किसी विधि के कालातीत हो जाने और उच्च न्यायालय द्वारा शक्ति परास्तात् घोषित कर दिये जाने पर भी वे उसके अन्तर्गत कार्य करती रहती हैं। स्वयं मेरे राज्य में भी ऐसा प्रायः हुआ है। क्या मैं आशा करूं कि माननीय गृह मंत्री इस दशा में सुधार करेंगे ?

श्री मुहीउद्दीन (हैदराबाद नगर) : इस विधेयक के पारित होने में तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है किन्तु मुझे यही खेद है कि जब राज्य का विधान मंडल इसे पारित कर सकता था तो फिर इसके लिये संसद् का समय क्यों नष्ट किया गया ?

३१ मार्च १९५५ तक वहां के विधान मण्डल को समझौते के अनुसार यह अधिकार था कि वह ऐसे शुल्कों के सम्बन्ध में नियम बना सकती थी। ऐसी दशा में क्या माननीय गृह मंत्री यह बता सकेंगे कि यह काम संसद् पर क्यों छोड़ा गया ?

डा० सुरेश चन्द्र (औरंगाबाद) : सभापति जी, इस बिल के बारे में पूर्ववक्ता मेरे भाई ने जो कुछ कहा है, मैं उससे सहमत हूं। यह ठीक है कि इस बिल के बारे में किसी का कोई विरोध नहीं हो सकता है। जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है, यह बिल कुछ कानूनों को वैध बनाने के लिये पार्लियामेंट के सामने आया है। जो भी बिल हमारे सामने आता है, हम उसको अच्छी तरह आंख खोल कर देखते हैं और जब हम इस बिल को देखते हैं, तो जैसा कि श्री साधन चन्द्र गुप्त और श्री मुहीउद्दीन ने भी कहा है, हमारी समझ में यह बात नहीं आती कि यह बिल यहां पर लाने की इस समय क्या आवश्यकता थी। आखिर हैदराबाद की असेम्बली भी इस को पास कर सकती थी। ३१ मार्च

तक की कलेक्शन ऑफ़ लेवीज एंड ड्यूटीज को वेलीडेट करने के लिये हैदराबाद की लेजिस्लेचर भी एक कानून पास कर सकती थी। उसके बाद इतना समय निकल गया है। क्या इस का मतलब यह है कि चूंकि जिस असेम्बली का यह काम था, वह इसको पूरा नहीं कर सकी, इस लिए यहां पर कानून लाया गया है ? मैं समझता हूं कि यह एक बहुत बड़ी गलती है।

अगर मंत्री महोदय इस बारे में हमारे सामने कुछ सूचना रख सकें तो ठीक है। बाकी हमारे सामने जो कानून रखा गया है, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि इसका मकसद उन ड्यूटीज़ को वेलीडेट करना है, जो कि ली जा चुकी हैं। मैं सिर्फ इतना ही सदन के सामने रखना चाहता हूं।

श्री एच० जी० वैष्णव (अम्बड़) : कुछ माननीय सदस्यों ने यह आपत्ति की है कि यह विधेयक हैदराबाद के विधान मण्डल में प्रस्तुत किया जाना चाहिये था किन्तु मेरी यह धारणा है कि यह विषय अन्तः-प्रान्तीय है। संभवतः इसी कारण से हैदराबाद के विधान मण्डल ने इसे पारित करना उचित नहीं समझा। कुछ भी सही यह अत्यन्त लाभकारी विधेयक है और इसे अवश्य पारित किया जाना चाहिये।

पंडित जी० बी० पन्त : मुझे आश्चर्य है कि हैदराबाद के माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का स्वागत करने के बजाय इस पर आपत्ति की है। उन्हें तो इस लाभप्रद विधेयक को पारित करने के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहिये था। हैदराबाद के धन को बचाने के लिये सभा इस विधेयक को अपना रही है। यद्यपि यह कुछ अनौपचारिक ढंग है फिर भी हैदराबाद वालों ने वहां से बाहर के व्यक्तियों से शुल्क रूप में जो सात करोड़ रुपया प्राप्त किया है, उसे वे खो न बैठें इसलिय हम ऐसा कर रहे हैं।

ये निर्यात शुल्क हैदराबाद रक्षा विनियमन के विनियमन संख्या १३४८ के अन्तर्गत लगाये गये थे। ये किसी अवधि विशेष के लिये नहीं थे अपितु जब तक रद्द न हो जायें तब तक के लिये लागू किये गये थे। सितम्बर १९५४ में हैदराबाद उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि हैदराबाद रक्षा विनियमन के अन्तर्गत आपति स्थिति में ये लागू किये गये थे और अब वे अवैध हैं। अब यह प्रश्न उठा कि जो रकम मिल गई है उसे वैध कैसे बनाया जाये, अन्यथा लोग अदालतों में जाकर रुपया माँगेंगे। हम नहीं चाहते कि हैदराबाद से बाहर से आई हुई तिलहन तथा अन्य कृषि उत्पादनों पर जो रुपया उपभोक्ताओं ने हैदराबाद सरकार को दिया है वह उन्हें वापस कर दिया जाये। हैदराबाद सरकार की सहायता करने के लिये तथा लोक हित में और न्याय की दृष्टि से इस विधेयक को पुरःस्थापित करना उचित समझा गया। मैं आशा करता हूं कि यह विधेयक स्वीकार कर लिया जायेगा।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि हैदराबाद राज्य से वस्तुओं के निर्यात पर कतिपय शुल्क लगाने तथा उनके वसूल करने को मान्यता देने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि खंड १ और २, नाम और अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १ और २, नाम और अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये।

पंडित जी० बी० पन्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभा का कार्य

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : कल हिन्दू विवाह विधेयक पर और शनिवार को भारत के राज्य बैंक पर चर्चा होगी।

इस के पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, २९ अप्रैल, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

GIPND—HS—140 L S D—17-2-56